क्रम-संख्या–69 (क–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०-डब्लू / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 15 अप्रैल, 2025

चैत्र 25, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

संस्कृति अनुभाग

संख्या 1281 / चार-2025–4096–2023
लखनऊ, 15 अप्रैल, 2025

अधिसूचना

सा०प०नि०–31

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2022) की धारा 45 के साथ पठित धारा 46 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय हेतु निम्नलिखित प्रथम परिनियमावली बनाती हैं–

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2025

अध्याय–एक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (1) यह परिनियमावली भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली, 2025 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 15 अप्रैल, 2025 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

परिभाषायें

धारा 45 2–(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस परिनियमावली में,–

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2022) से है;

(ख) 'सम्बद्धता' में इसके व्याकरणिक रूपभेदों के साथ किसी महाविद्यालय के संबंध में तथा भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों को ऐसे महाविद्यालयों में ग्रहण किया जाना सम्मिलित है;

(ग) 'खंड' का तात्पर्य परिनियम के उस खंड से है जिसमें वह पद आया हो;

(घ) महाविद्यालय का तात्पर्य किसी संस्था से है, चाहे वह इस प्रकार के या किसी अन्य नाम से जाना जाए जो विश्वविद्यालय से किसी भी अर्हता को प्राप्त करने के लिये 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा के अतिरिक्त अध्ययन कार्यक्रम का प्रबंध करता हो और जो विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के अनुसार ऐसे अध्ययन कार्यक्रम को प्रबंध करने हेतु सक्षम रूप से मान्यता प्राप्त हो;

(ङ) "पाठ्यक्रम" का तात्पर्य एक इकाई जिसमें अध्ययन कार्यक्रम समाविष्ट हो,

(च) "सहायता अनुदान महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय से है जो अपने कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त करता हो;

(छ) "कार्यक्रम"/"अध्ययन कार्यक्रम" का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 (3) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट उपाधि प्राप्त करने हेतु उच्च शिक्षा कार्यक्रम का अध्ययन करना है;

(ज) "सांविधिक"/"विनियामक निकाय" का तात्पर्य उच्च शिक्षा के सुसंगत क्षेत्रों में मानकों को स्थापित करने तथा बनाए रखने के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा इस प्रकार गठित किये गये किसी निकाय से है;

(झ) "छात्र" का तात्पर्य किसी विनिर्दिष्ट अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाला और अनुसरण करने वाला कोई व्यक्ति से है;

(ञ) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है;

(ट) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय से है;

(2) ऐसे शब्द और पद, जो अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु इस परिनियमावली में अपरिभाषित है, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हैं।

धारा–45 (3) इस परिनियमावली में अध्यापकों की आयु के संबंध में समस्त निर्देश सम्बंधित अध्यापकों की जन्म तिथि के प्रति जो उसके हाई स्कूल प्रमाण–पत्र में या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य परीक्षा में यथा उल्लिखित हो, निर्देश समझे जायेंगे।

विश्वविद्यालय के अधिकारी और अन्य कार्य निर्वाहिक

अध्याय–दो

कुलाधिपति — धारा 10 (4) — 3–(1) कुलाधिपति किसी ऐसे विषय पर जो उन्हें धारा 68 के अधीन निर्दिष्ट किया जाये, पर विचार करते समय विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध पक्षकारों से ऐसे दस्तावेज अथवा सूचना, जिन्हें वह आवश्यक समझें मांग सकते हैं, और किसी अन्य मामले में विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना मांग सकते हैं।

(2) जहां कुलाधिपति खण्ड (1) के अधीन विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना मांगे, वहां कुलसचिव का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य होगा कि ऐसे दस्तावेज या सूचना उन्हें तुरन्त प्रदान की जाए।

कुलपति — धारा 12 एवं 45 (ग) — 4–कुलपति को किसी सहयुक्त महाविद्यालय से अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान, वित्त अथवा महाविद्यालय में अनुशासन अथवा अध्यापन की कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाले किसी विषय के संबंध में जिस दस्तावेज या सूचना को वह उचित समझे, उसको मांगने की शक्ति होगी।

कुलसचिव — धारा 14(3), 20(1) 7, 20(8) 45 (ग) और (ङ) — 5–(1) अधिनियम तथा परिनियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन कुलसचिव का अनुशासनिक नियंत्रण विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों पर होगा, जो निम्नलिखित न हो, अर्थात:–

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारी;

(ख) विश्वविद्यालय के अध्यापकगण, चाहे वे अध्यापक के रूप में कार्य से सम्बंधित हों या किसी भी पारिश्रमिक अधिकारी के पद पर रहते हुए या किसी अन्य हैसियत से, यथा परीक्षक या अन्तरीक्षक हों;

(ग) पुस्तकालयाध्यक्ष, ;

(घ) धारा 17 में निर्दिष्ट अन्य कर्मचारीगण ;

(ङ) विश्वविद्यालय के लेखा तथा संपरीक्षा अनुभाग में कर्मचारीगण,

(2) खण्ड (1) के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही करने की शक्ति, उक्त खण्ड में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को पदच्युत करने, हटाने, पंक्तिच्युत करने, प्रतिवर्तित करने, उसकी सेवा समाप्त करने या उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का आदेश देने की शक्ति होगी, और ऐसे कर्मचारी को जांच होने तक, यदि कोई हो, निलम्बित करने की भी शक्ति होगी।

(3) खण्ड (2) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक ऐसी जांच न कर ली जाये, जिसमें कर्मचारी को उसके विरुद्ध दोषारोपों से अवगत करा दिया गया हो और उन दोषारोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो और जहां ऐसी जांच के पश्चात् उस पर कोई शास्ति आरोपित करने की प्रस्थापना हो, वहां जब तक उसे प्रस्थापित शास्ति की बाबत अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाये, किन्तु उक्त अभ्यावेदन ऐसी जांच के दौरान दिये गये साक्ष्य के ही आधार पर हो सकेगा :

परन्तु यह कि खण्ड निम्नलिखित मामलों में नहीं लागू होगा, यद्यपि आदेश का आधार कोई आरोप हो (जिसमें दुराचरण या अक्षमता का आरोप भी सम्मिलित है) यदि ऐसे आदेश से प्रत्यक्षतः यह प्रकट न होता हो कि वह ऐसे आधार पर पारित किया गया था:—

(क) किसी स्थानापन्न प्रोन्नत व्यक्ति को उसके अधिष्ठायी रैंक में प्रतिवर्तित करने का आदेश;

(ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवा को समाप्त करने का आदेश;

(ग) किसी कर्मचारी को उसके पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का आदेश;

(घ) निलम्बन का आदेश।

धारा 20 व 45 — (4) परिनियम 6 (1) में निर्दिष्ट किसी आदेश से व्यथित विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, उस पर ऐसे आदेश के तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर परिनियम 20(1) के अधीन गठित अनुशासनिक समिति को (कुल सचिव के माध्यम से) अपील कर सकता है। ऐसी अपील पर समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

धारा 14 — (5) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन कुल सचिव का निम्नलिखित कर्तव्य होगा:—

(क) विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्ति 8 का अभिरक्षक होना जब तक कि कार्य परिषद द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो;

(ख) धारा 14(4) में निर्दिष्ट विभिन्न प्राधिकारियों के बैठकों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बुलाने के लिये समस्त सूचनाएं जारी करना और ऐसी समस्त बैठकों का कार्यवृत्त रखना;

(ग) कार्य परिषद तथा विद्या परिषद के शासकीय पत्र व्यवहार का संचालन करना;

(घ) ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग करना जो कुलाधिपति, कुलपति अथवा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों अथवा निकायों के, जिनका कार्य वह सचिव के रूप में करता हो, आदेशों के कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक या समीचीन हो;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामें पर हस्ताक्षर करना तथा अभिवचनों का सत्यापन करना;

धारा 9 (घ) — 6—(1) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो अथवा जब वित्त अधिकारी अस्वस्थता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो उसके पद के कर्तव्यों का पालन कुलपति द्वारा संकायाध्यक्षों में से नाम निर्दिष्ट किसी एक संकायाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा और यदि किसी कारण से ऐसा करना साध्य न हो, तो कुलसचिव द्वारा अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसे कुलपति नाम निर्दिष्ट करें। — वित्त अधिकारी

धारा 15 (7) (2) (क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा;

(ख) किसी वित्तीय मामले में परामर्श या तो स्वतः या उसका परामर्श अपेक्षित होने पर दे सकता है;

(ग) नकद तथा बैंक में अतिशेष की स्थिति तथा विनिधान की स्थिति पर सतत दृष्टि रखेगा;

(घ) विश्वविद्यालय की आय का संग्रह और संदायों का वितरण करेगा और उसके लेखे रखेगा;

(ड) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर तथा उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जायें और विश्वविद्यालय में उपस्कर तथा उपयोग में आने वाली अन्य सामग्रियों के स्टाक की नियमित जांच की जाती हो;

(च) किसी भी अप्राधिकृत व्यय तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं की सम्यक परीक्षा करेगा और सक्षम प्राधिकारी को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विषयक सुझाव देगा;

(छ) विश्वविद्यालय के किसी विभाग अथवा इकाई से ऐसी कोई सूचना अथवा विवरणी, जिसे वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिये आवश्यक समझे, मंगा सकेगा;

(ज) विश्वविद्यालय के लेखों की निरन्तर आन्तरिक संपरीक्षा के संचालन का प्रबन्ध करेगा और ऐसे बिलों की संपरीक्षा प्रारम्भ में ही करेगा जो तत्संबंधी किसी भी स्थायी आदेश द्वारा अपेक्षित हो;

(झ) वित्तीय मामलों के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे कार्य परिषद अथवा कुलपति द्वारा सौंपे जायें;

(ञ) अधिनियम और परिनियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन परिनियम 6(1) के खण्ड (2) और (3) के अर्थान्तर्गत विश्वविद्यालय के संपरीक्षा तथा लेखा अनुभाग के सहायक कुलसचिव (लेखा) से निम्न श्रेणी के समस्त कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण रखेगा और उप/सहायक कुलसचिव (लेखा) और लेखा अधिकारी के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा।

धारा 12 (9), 15 (7) (3) यदि वित्त अधिकारी के कृत्यों का पालन करने के संबंध में किसी विषय पर कुलपति और वित्त अधिकारी के बीच कोई मतभेद उत्पन्न हो जाये, तो वह प्रश्न राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा और दोनों अधिकारियों पर बाध्यकारी होगा।

संकायों के संकायाध्यक्ष

धारा 27 (3) और 45 7–(1) यदि किसी संकाय के संकायाध्यक्ष के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो ज्येष्ठतम आचार्य और यदि उस संकाय में कोई आचार्य न हों तो संकायाध्यक्ष का पद सह– आचार्यों द्वारा धारित किया जायेगा और यदि कोई सह–आचार्य न हो तो उस संकाय में अन्य अध्यापकों द्वारा ज्येष्ठता क्रम में धारित किया जायेगा।

(2) यदि किसी व्यक्ति को उसके पूर्व पद जिसके आधार पर वह संकायाध्यक्ष नियुक्त हुआ है, से हटाया जाता है तो वह संकायाध्यक्ष नहीं बना रहेगा।

धारा 27 (4) (3) कोई ऐसा अध्यापक जिसने इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक पर, और

(क) तीन वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिये संकायाध्यक्ष का पद धारण कर लिया हो, यह समझा जायगा कि वह अपनी बारी पूरी कर चुका है और इन परिनियमों के प्रारम्भ में ज्येष्ठता क्रम में पात्र अगला अध्यापक, संकायाध्यक्ष का पद धारण करेगा;

(ख) संकायाध्यक्ष के रुप में तीन वर्ष पूरे न किये हों, तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक संकायाध्यक्ष का पद धारण किये रहेगा और ऐसी अवधि पूर्ण होने पर, ज्येष्ठता क्रम में अगला अध्यापक, संकायाध्यक्ष का पद धारण करेगा।

(4) ऐसी अवधि की जिसमें किसी अध्यापक ने संकायाध्यक्ष का पद धारण किया हो, गणना करने के प्रयोजनार्थ,–

(क) जिस अवधि में ऐसे अध्यापक ने विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के या किसी न्यायालय के आदेश द्वारा संकायाध्यक्ष का पद धारण किया था, उसको निकाल दिया जायेगा;

(ख) जिस अवधि में किसी अध्यापक को विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के या किसी न्यायालय के आदेश के अधीन संकायाध्यक्ष का पद धारण करने की अनुमति दी गयी हो, उस अवधि की गणना संकायाध्यक्ष की पदावधि के प्रयोजनार्थ उसकी बारी अगली बार आने पर की जायेगी, यदि अन्त में यह पाया जाय कि उस अवधि में उस पद को धारण करने का विधिक हक उसे नहीं था।

धारा 18 (5) संकायाध्यक्ष की निम्नलिखित कर्तव्य व शक्तियाँ होंगी:–

(एक) वह संकाय बोर्ड के समस्त बैठकों का सभापतित्व करेगा और यह देखेगा कि बोर्ड के विभिन्न विनिश्चय कार्यान्वित किये जाते हैं;

(दो) वह संकाय की वित्तीय तथा अन्य आवश्यकताओं को कुलपति की जानकारी में लाने के लिए उत्तरदायी होगा;

(तीन) वह संकाय में समाविष्ट विभागों के परिसम्पत्तियों की उचित अभिरक्षा के लिये आवश्यक उपाय करेगा;

(चार) उसे अपने संकाय से सम्बन्धित अध्ययन बोर्डों के किसी बैठक में उपस्थित होने तथा बोलने का अधिकार होगा किन्तु जब तक वह उसका सदस्य न हो, उसे उसमें मतदान करने का अधिकार न होगा।

धारा 18 (4) 8–(1) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति विश्वविद्यालय के उन अध्यापकों में से, जिन्हें अन्यून दस वर्ष का अध्यापन–कार्य का अनुभव हो और जो सह–आचार्य से अनिम्न रैंक के हों, कार्य परिषद् द्वारा कुलपति की सिफारिश पर की जायेगी। छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष

धारा 45 (2) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त अध्यापक, अध्यापक के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त संकायाध्यक्ष के कर्तव्यों का भी पालन करेगा।

धारा 45 (3) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष की पदावधि तीन वर्ष के लिये होगी, जब तक कि कार्य परिषद् द्वारा पहले ही समाप्त न कर दी जाये :

परन्तु यह कि इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को संकायाध्यक्ष का पद धारण करने वाला छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष परिनियम 8 (1) के अधीन नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

(4) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष की सहायता अध्यापकों का (जिनका चयन परिनियमों में निर्धारित रीति से किया जायेगा) एक दल करेगा, जो अध्यापक के रूप में अपने सामान्य कर्तव्यों के अतिरिक्त कर्तव्यों का पालन करेगा। इस प्रकार चुने गये अध्यापक छात्र कल्याण के सहायक संकायाध्यक्ष कहलायेंगे।

(5) छात्र कल्याण के सहायक संकायाध्यक्षों में से एक सहायक संकायाध्यक्ष विश्वविद्यालयों की महिला अध्यापकों में से नियुक्त किया जायेगा जो बालिका छात्रों की कल्याण की देखभाल करेगी।

(6) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष तथा छात्र कल्याण के सहायक संकायाध्यक्षों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे छात्रों की ऐसे मामलों में, जिनमें सहायता तथा मार्ग दर्शन अपेक्षित है, सामान्यतः सहायता प्रदान करें, तथा विशेषतया छात्रों तथा भावी छात्रों को,–

(क) विश्वविद्यालय तथा उसके पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने;

(ख) उपयुक्त पाठ्यक्रम तथा अभिरुचि का चुनाव करने;

(ग) निवास स्थान ढूंढने;

(घ) भोजन व्यवस्था करने;

(ङ) चिकित्सीय सलाह तथा सहायता प्राप्त करने;

(च) छात्रवृत्तियां, वृत्ति का अंशकालिक नियोजन तथा अन्य आर्थिक सहायता प्राप्त करने;

(छ) अवकाश के दिनों तथा शैक्षिक अध्ययन यात्राओं के लिए यात्रा–सुविधायें प्राप्त करने;

(ज) विदेश में अग्रतर अध्ययन की सुविधायें प्राप्त करने;

(झ) विश्वविद्यालय की परम्परायें अक्षुण्ण रहे, इस उद्देश्य से उन्हें विद्या अध्ययन करने में, उचित रुप से संचालित होने में सहायता करना और सलाह देना।

(7) छात्र–कल्याण का संकायाध्यक्ष किसी छात्र के संरक्षक से किसी मामले के सम्बन्ध में, जिसमें उसकी सहायता अपेक्षित हो आवश्यकतानुसार सम्पर्क कर सकता है।

(8) छात्र–कल्याण का संकायाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा के अधीक्षक अथवा सहायक अधीक्षक, यदि कोई हो तथा विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधिकारी पर सामान्य नियंत्रण रखेगा। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा उसे सौंपे जायें।

(9) कुलपति किसी छात्र के विरुद्ध अनुशासनिक आधार पर कोई कार्यवाही करने के पूर्व छात्र– कल्याण के संकायाध्यक्ष से परामर्श कर सकते हैं।

(10) छात्र–कल्याण के संकायाध्यक्ष को विश्वविद्यालय की निधियों से ऐसा मानदेय दिया जा सकता है जैसा कुलपति, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नियत करे।

विभागाध्यक्ष

9–(1) विभागाध्यक्ष की नियुक्ति संभावित सीमा तक चक्रानुक्रम के सिद्धांत के अनुसार कुलपति द्वारा की जाएगी। ऐसी नियुक्ति से कार्य परिषद को सूचित किया जाएगा।

(2) खंड (1) मे किसी बात के होते हुए भी यदि कोई वरिष्ठ अध्यापक, जो विद्यमान चक्रानुक्रम के अधीन विभागाध्यक्ष के रूप में सेवा कर चुके लोगों से वरिष्ठ है या उन कनिष्ठ अध्यापकों से, जो उसी क्षमता मे सेवा कर रहे हैं, किसी या अन्य कारणवश विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सका है, यह कुलपति पर होगा कि वह विभागाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर संबंधित विभाग में वरिष्ठ अध्यापक को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है, परन्तु यह कि वह इस रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र हो।

(3) विभागाध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि का होगा। कोई व्यक्ति लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(4) खंड (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी विभागाध्यक्ष की नियुक्ति लंबित होने की स्थिति में अथवा अवकाश के कारण अनुपस्थिति की स्थिति में, कुलपति प्रचलित स्थिति का आकलन करने के पश्चात् संबंधित विभाग के आचार्य या सह–आचार्य को विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर यथास्थिति या तो विभाग के प्रमुख के कर्तव्यों का जवाब देने या विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करने का निर्देश दे सकता है।

नोटः वरिष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम का सिद्धांत लागू होगा। कोई अध्यापक जो पहले विभागाध्यक्ष के पद पर कार्य कर चुका है या कर रहा है, उससे अगला वरिष्ठ अध्यापक विभागाध्यक्ष पद का हकदार होगा।

(5) प्रत्येक विभाग का प्रमुख विशेष रूप से संबंधित विभाग का आचार्य होगा। यदि किसी विभाग में केवल एक आचार्य है या किसी आचार्य के पास विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने की पात्रता नहीं है, तो किसी सह–आचार्य को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और यदि किसी विभाग मे कोई आचार्य या सह–आचार्य विभागाध्यक्ष के रूप मे नियुक्त किये जाने हेतु पात्र नहीं हो, वहां वरिष्ठ अध्यापक सबंधित विभाग के प्रमुख का कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(6) जिन विभागाध्यक्षों ने अपना तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, उन्हें तुरंत बदल दिया जाएगा और जिन्होंने अभी तक अपना तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण नहीं किया है, उन्हें शेष कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात् रखा जाएगा।

पुस्तकालयाध्यक्ष धारा 29 1(ड)

10–(1) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, एक पूर्णकालिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। पुस्तकालयाध्यक्ष, कार्य परिषद् द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात–

(क) कुलपति;

(ख) पुस्तकालय विज्ञान के दो विशेषज्ञ, जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

(2) जब तक खण्ड (1) के अधीन नियुक्त पुस्तकालयाध्यक्ष अपने पद का कार्यभार न संभाले, तब तक कार्य परिषद्, ऐसी अवधि के लिए, जिसे वह उचित समझे, विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी को अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त कर सकती है।

(3) पुस्तकालयाध्यक्ष की अर्हतायें ऐसी होंगी, जैसी परिनियमों में व्यवस्था की जाय।

(4) पुस्तकालयाध्यक्ष की परिलब्धियाँ ऐसी होंगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाय।

(5) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का अनुरक्षण करना और उसकी सेवा को ऐसी रीति से, जो अध्यापन कार्य और अनुसंधान कार्य के हित में सर्वाधिक सहायक हो, संगठित करना, पुस्तकालयाध्यक्ष का कर्तव्य होगा ।

(6) पुस्तकालयाध्यक्ष, कुलपति के अनुशासनिक नियंत्रण के अधीन रहेगाः

परन्तु यह कि उसे अनुशासनिक कार्यवाहियों में अपने विरूद्ध कुलपति द्वारा दिये गये किसी आदेश के विरूद्ध कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा ।

धारा 17 और 45

कुलानुशासक

11-(1) कुलानुशासक विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से, कुलपति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा। कुलानुशासक कुलपति, को विश्वविद्यालय के छात्रों के सम्बन्ध में अनुशासनिक प्राधिकार का प्रयोग करने में सहायता देगा और अनुशासन के सम्बन्ध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन भी करेगा जो उसे कुलपति द्वारा इस निमित्त समनुदेशित किये जाये।

(2) कुलानुशासक की सहायता के लिए सहायक कुलानुशासक होंगे जिनकी संख्या कार्य परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत की जायेगी।

(3) कुलपति कुलानुशासक के परामर्श से सहायक कुलानुशासक नियुक्त करेंगे।

(4) कुलानुशासक और सहायक कुलानुशासक एक वर्ष के लिए पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे:

परन्तु यह कि प्रत्येक कुलानुशासक या सहायक कुलानुशासक जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाय, उस पद पर बना रहेगाः

परन्तु यह और कि कार्य परिषद्, कुलपति की सिफारिश पर, कुलानुशासक को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व हटा सकती है.

परन्तु यह भी कि कुलपति किसी सहायक कुलानुशासक को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व हटा सकते है।

(5) कुलानुशासक और सहायक कुलानुशासकों को विश्वविद्यालय की निधियों से ऐसा मानदेय दिया जा सकता है जैसा कुलपति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नियत करें ।

कुलानुशासक की शक्तियां और कृत्य

12-(1) विश्वविद्यालय में एक कुलानुशासक होगा, जो विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासन का प्रभारी होगा।

(2) कुलानुशासक की नियुक्ति ऐसी शर्तों पर होगी जो इस निमित्त कार्य परिषद द्वारा समय-समय पर विहित की जाय।

(3) कुलानुशासक, कुलपति के नियंत्रण के अध्यधीन विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) किसी छात्र या छात्रों द्वारा अनुशासन के उल्लंघन के ऐसे समस्त मामलों को कुलानुशासक, कुलपति को कार्यवाही के लिए निर्दिष्ट करेगा जो मामले कार्यवाही के लिए उचित समझी जाये। उसके पास किसी भी छात्र से पूछताछ करने और विश्वविद्यालय परिसर में उपस्थित किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करने की शक्ति होगी ताकि वह अनुशासन बनाए रखने में सक्षम हो सके।

(5) कुलानुशासक, विश्वविद्यालय के समारोहों के आयोजन में समय-समय पर आवश्यक सभी सहायता देगा।

(6) जब भी कुलानुशासक द्वारा अपेक्षित हो, छात्रों को अपना पहचान–पत्र उनके समक्ष प्रस्तुत करना होगा। वह छात्रों को पहचान–पत्र जारी करने का प्रभारी भी होगा। उसके पास कुलपति को अर्थदण्ड की अनुशंसा करने की शक्ति होगी।

(7) कुलानुशासक, विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासन बनाए रखने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े किसी भी मामले पर कुलपति को सलाह दे सकता है।

(8) (क) छात्रावास वार्डन, पुस्तकालयाध्यक्ष और कक्षा–अध्यापकों की अधिकारिता में होने वाले अनुशासन के उल्लंघन के मामलों को संबंधित अधिकारी द्वारा सीधे कुलपति को सूचित किया जाएगा।

(ख) इस परिनियमावली के उपबंध पुस्तकालयाध्यक्ष या छात्रावास वार्डन या कक्षा– अध्यापकों को उनकी अधिकारिता के अधीन छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखने से वंचित नहीं करते हैं।

(9) कुलानुशासक के पास कुलपति को किसी भी छात्र पर अर्थदण्ड की अनुशंसा करने की शक्ति होगी जो उसकी राय में अनुशासनिक कार्यों में दोषी पाया गया है।

अध्याय–तीन

कार्य–परिषद् धारा 19 13–(1) संकायों के संकायाध्यक्ष जो धारा 19 के अधीन कार्य–परिषद् के सदस्य होंगे, उसी क्रम में चुने जायेंगे जिस क्रम में विभिन्न संकायों के नाम परिनियम 16(1) में प्रगणित हैं।

धारा 19 (2) धारा 19 के खंड (एक) के अधीन विश्वविद्यालय के सदस्यों का प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार होगा।

धारा 45 (3) कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से कार्य परिषद् का न सदस्य होगा और न तो सदस्य बना रहेगा, और जब कभी कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से कार्य परिषद् का सदस्य हो जाये, तो वह उसके दो सप्ताह के भीतर यह चुन लेगा कि वह किस हैसियत से कार्य परिषद् का सदस्य रहना चाहता है और दूसरा स्थान रिक्त कर देगा। यदि वह इस प्रकार चुनाव न करे, यह समझा जायेगा कि उसने उस स्थान को पूर्वोक्त दो सप्ताह की अवधि की समाप्त के दिनॉक से रिक्त कर दिया है, जिस पर समय की दृष्टि से वह पहले से आसीन था।

धारा 21 (4) कार्य परिषद् अपनी कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा पारित संकल्प से विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को अपनी ऐसी शक्तियाँ, जिन्हें वह ठीक समझे, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जिन्हें संकल्प में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रत्यायोजित कर सकती है।

धारा 20 व 45 (5) कार्य परिषद् की बैठकें कुलपति के निदेश से बुलायी जायेंगी।

धारा 20 व 45 (6) कार्य–परिषद् ऐसे किसी प्रस्ताव पर, जिसमें वित्तीय विवक्षा अन्तर्ग्रस्त हो, विचार करने के पूर्व वित्त अधिकारी की राय प्राप्त करेगी।

(7) कार्य परिषद के सदस्य विश्वविद्यालय के अधिकारी होंगे।

अध्याय–चार

विद्यापरिषद धारा 22 14–(1) विश्वविद्यालय के सदस्यों का प्रतिनिधित्व धारा–22 के खंड (तीन) के अधीन अधिनियम के अनुसार होगा।

(2) कुलपति किसी भी समय स्वयं की पहल पर या विद्या परिषद के अन्यून 5 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित मांग प्राप्त होने पर कुल सचिव को विद्या परिषद की बैठक आहूत करने लिए कहेंगे।

(3) बैठक के समय और स्थान के बारे में अन्यून 3 सप्ताह पूर्व सूचना दी जाएगी।

(4) अध्यक्ष सहित 6 सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

(5) कुलपति की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता के लिए एक सदस्य का चुनाव बैठक में से किया जाएगा।

(6) विद्या परिषद की समस्त बैठकों में अध्यक्ष का एक मत और निर्णायक मत होगा।

(7) विद्या परिषद की बैठक में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव या संकल्प की सूचना बैठक से अन्यून 14 दिन पूर्व कुलसचिव के पास होनी चाहिए।

(8) किसी प्रस्ताव या संकल्प में संशोधन की सूचना, जिससे पूर्व में सूचित किया गया हो, विद्या परिषद की बैठक से कम से कम 7 दिन पूर्व कुलसचिव के पास होना चाहिए, जिस पर प्रस्ताव या संकल्प प्रस्तुत किया जाना है।

(9) पैरा 14(3) और 14(6) में किसी भी बात के होते हुये भी, अध्यक्ष ऐसे प्रस्ताव जो स्वीकार करने या कार्य करने योग्य हो की अनुमति दे सकता है जिसे प्रस्तुत करने या चर्चा करने के लिए आवश्यक समय सीमा नहीं दी गई है। विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, बोर्ड, परिषद, समिति या उप–समिति या ऐसे किसी निकाय की समिति या उप–समिति की किसी सिफारिश या रिपोर्ट पर, और जहां इस अध्याय के पैरा 6 और 7 द्वारा आवश्यक नोटिस देना असंभव हो गया हो, परन्तु यह कि अध्यक्ष को इस बात का समाधान हो गया हो तब विश्वविद्यालय के कार्य को जारी रखने के उद्देश्य से प्रस्ताव पर तत्काल निर्णय प्राप्त करना आवश्यक है।

(10) कार्य परिषद की बैठकों में किसी कार्य की सूचना और चर्चा से संबंधित विनियमन विद्या परिषद की बैठकों में यथासम्भव लागू किया जाएगा।

(11) प्रत्येक वर्ष विद्या परिषद् की एक बैठक होगी जिसे वार्षिक बैठक कहा जायेगा।

(12) मानद उपाधियों प्रदान करने के प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:–

(क) विद्या परिषद की बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित करने से पहले मानद उपाधि प्रदान करने के प्रत्येक प्रस्ताव को कुलपति की सदस्यता वाली एक समिति को विचार हेतु निर्दिष्ट किया जाएगा।

(ख) समिति तब विचार करेगी यदि प्रस्तावित व्यक्ति,–

(एक) अपनी शिक्षा/कला हेतु प्रतिष्ठित है; या

(दो) ने शिक्षा/कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएँ दी हैं; या

(तीन) ने अपनी दानशीलता से शिक्षा/कला के निमित्त का सर्जन किया है; या

(चार) ने अन्य प्रकार से उत्कृष्ट सार्वजनिक सेवा की है, और अन्यथा उपाधि प्रदान हेतु सभी प्रकार से उपयुक्त है।

इस प्रकार के विचार के पश्चात यदि यह प्रस्ताव विद्या परिषद की स्वीकृति के लिए अनुशंसित की जाती है तो इसका प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ विद्या परिषद के समक्ष रखी जाएगी।

(ग) यदि समिति के विचार में प्रस्ताव से संबंधित सभी अग्रतर कार्यवाही को निरस्त करना उचित है, तो प्रस्ताव की सूचना देने वाले सदस्य को ऐसे विचार से अवगत कराया जाएगा और मामले में कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक कि वह लिखित रूप में इसकी पुष्टि न कर दे कि जिस स्थिति में प्रस्ताव को उस विषय पर समिति की कार्यवाही के साथ विद्या परिषद के समक्ष रखा जाएगा उसी स्थिति में उसका प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का उद्देश्य है।

(घ) मानद उपाधि प्रदान करने के सभी प्रस्तावों पर (एक) बिना चर्चा के और (दो) मतपत्र द्वारा मतदान किया जाएगा।

(ङ) विद्या परिषद द्वारा मानद उपाधि प्रदान करने के किसी भी प्रस्ताव को तब तक पारित घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि बैठक में उपस्थित सदस्यों में से अन्यून 2/3 सदस्यों का बहुमत इसके पक्ष में मतदान न कर दे।

अध्याय–पाँच

धारा 24, 25, 26 व 45

वित्त समिति

15–(1) व्यय की ऐसी नई मदें, जो पहले से ही वित्तीय अनुमान में सम्मिलित न हों, निम्नलिखित दशाओं में वित्त समिति को निर्दिष्ट की जायेंगी :–

(एक) अनावर्ती व्यय, यदि उसमें दस हजार रूपये या उससे अधिक का व्यय अन्तर्ग्रस्त हो; और

(दो) आवर्ती व्यय, यदि उसमें तीन हजार रूपये या इससे अधिक का व्यय अन्तर्गरस्त हो:

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यह अनुज्ञेय नहीं होगा कि वह किसी ऐसे मद को जो एक बजट शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली अनेक भागों में विभाजित की गयी हो, छोटी–छोटी धनराशियों की बहुत सी मदें मानकर कार्य करे और वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत न करे।

धारा 24, 25, 26 व 45

(2) वित्त समिति ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व, जैसा कि परिनियम द्वारा इस निमित्त उपबंधित किया जाय, परिनियम 15 (1) अथवा परिनियम 15 (3) के अधीन उसको निर्दिष्ट की गई व्यय की समस्त मदों पर विचार करेगी और उन पर अपनी सिफारिशें यथाशीघ्र देगी और कार्य परिषद् को संसूचित करेगी।

(3) यदि कार्य परिषद्, वार्षिक वित्तीय अनुमान (अर्थात् बजट) पर विचार करने के पश्चात् किसी समय उसमें किसी ऐसे पुनरीक्षण का प्रस्ताव करे, जिसमें परिनियम 15(1)में निर्दिष्ट आवर्ती या अनावर्ती धनराशि का व्यय अन्तर्ग्रस्त हो तो कार्य परिषद् वित्त समिति को प्रस्ताव निर्दिष्ट करेगी।

(4) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किया गया विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा वित्तीय अनुमान, वित्त समिति के समक्ष विचार के लिए रखा जायेगा और तत्पश्चात् कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(5) वित्त समिति के किसी सदस्य को असहमति अभिलिखित करने का अधिकार होगा, यदि वह वित्त समिति के किसी विनिश्चय से सहमत न हो।

(6) वित्त समिति की बैठकें कुलपति के निदेश के अधीन बुलायी जायेंगी और वित्त अधिकारी द्वारा ऐसी बैठकों को बुलाने के लिए सभी नोटिस वित्त अधिकारी द्वारा जारी की जायेंगी जो सभी बैठकों का कार्यवृत्त रखेगा।

अध्याय–छह

संकाय / अध्ययन विभाग — धारा27(1)

16–(1) विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय होंगे अर्थात:

(एक) संगीत

(दो) नृत्य

(तीन) दृश्य कला

(चार) कला और भाषा

(पांच) लोक संगीत और कला

2–अध्ययन विभाग–

(एक) संकायों में उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये अध्ययन विभाग निम्नानुसार होंगे:–

1–संगीत संकाय

(एक) स्वर संगीत विभाग (हिन्दुस्तानी)

(दो) वाद्य संगीत विभाग

(तीन) ताल वाद्य विभाग

2–नृत्य संकाय

(एक) कथक नृत्य विभाग

(दो) भरतनाट्यम नृत्य विभाग

(तीन) मणिपुरी नृत्य विभाग

3–दृश्य कला संकाय

(एक) चित्रकला विभाग

(दो) मूर्तिकला विभाग

(तीन) ग्राफिक्स विभाग

(चार) अनुप्रयुक्त कला विभाग

(पांच) कला इतिहास व सौंदर्यशास्त्र विभाग

(छः) शिल्प एवं डिजाइन विभाग।

4–कला व भाषा संकाय

(एक) हिन्दी विभाग

(दो) अंग्रेजी विभाग

(तीन) संस्कृत विभाग

(चार) प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति व पुरातत्व विभाग

(पांच) जीवनपर्यन्त अधिगम विभाग

(छः) नाट्य विभाग

(सात) योग केंद्र

(आठ) दर्शनशास्त्र विभाग

5–लोक संगीत व कला संकाय

(एक) लोक संगीत विभाग

(दो) लोक नृत्य विभाग

17–(1) प्रत्येक संकाय में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:– संकायों का गठन और कृत्य

(एक) संकाय के संकायाध्यक्ष;

(दो) उस संकाय के अध्ययन विभागों के समस्त विभागाध्यक्ष;

(तीन) संकाय के समस्त आचार्य;

(चार) संकाय में प्रत्येक अध्ययन विभाग से चक्रानुक्रम वरिष्ठता के अनुसार एक सह–आचार्य और एक सहायक आचार्य;

(पांच) स्नातक अध्ययन तक अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले महाविद्यालयों में से ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से दो सह–आचार्य;

(छः) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले महाविद्यालयों में ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से तीन अध्यापक;

(सात) संकाय के प्रत्येक विभाग से एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय से सम्बद्ध न हो और विषय का विशेष ज्ञान रखता हो व संकाय द्वारा सहयोजित हो;

(आठ) संकाय के किसी भी विषय का विशेष ज्ञान होने के कारण विद्या परिषद द्वारा चुने गए दो वाह्य सदस्य।

(2) अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन संकाय के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी–

1–विद्या परिषद के नियंत्रण के अध्यधीन संकाय को सौंपे गए विषयों का विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम और अनुसंधान कार्य को व्यवस्थित करने के लिए।

2–अध्ययन विभागों से परामर्श के पश्चात विद्या परिषद को विभिन्न परीक्षाओं हेतु अध्ययन पाठ्यक्रमों को अनुशंसित करना।

3–विद्या परिषद के नियंत्रण के अध्यधीन उपाधि, डिप्लोमा और अन्य विशिष्ट पुरस्कारों हेतु शर्तों को विनियमित करना।

4–विद्या परिषद द्वारा निर्दिष्ट अथवा अध्यादेशों और विनियमों द्वारा सौंपे गए किसी भी मामले से निपटना।

(3) उपर्युक्त गठन में वर्णित संकाय की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से गणपूर्ति होगी।

18–अध्ययन बोर्ड का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा:– अध्ययन बोर्ड

(क) संबंधित संकायाध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

(ख) विश्वविद्यालय के उन विषयों के विभागाध्यक्ष जिनके लिए बोर्ड का गठन किया गया है।

(ग) विश्वविद्यालय के विभागों से एक आचार्य और एक सह–आचार्य जो उन विषयों का अध्यापन करते हैं, उन्हें ज्येष्ठता के अनुसार कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(घ) विषयों के दो से अनधिक सहायक आचार्य जिन्हें कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(ङ) बोर्ड द्वारा सहयोजित एक सदस्य जो बाह्य विषय विशेषज्ञ होगा।

(च) अध्ययन बोर्ड का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(छ) तीन सदस्यों से गणपूर्ति की जा सकती है, जिसमें एक बाह्य विषय विशेषज्ञ का होना अनिवार्य है।

अध्याय–सात

धारा–76 19–अधिनियम और परिनियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन विश्वविद्यालय का कोई भी प्राधिकारी समय–समय पर ऐसी और इतनी मात्रा में स्थायी समितियों या उप–समितियों या बोर्डों का गठन कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे तो उन्हें नियुक्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति जो ऐसे प्राधिकरणों के सदस्य नहीं है। ऐसी समितियाँ या बोर्ड उन्हें प्रत्यायोजित किये गए किसी भी विषय का निपटारा कर सकते हैं, जो उन्हें नियुक्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा बाद में पुष्टीकरण के अध्यधीन हो। स्थायी समितियां

अनुशासनिक समितियां

धारा 45 20-(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय में ऐसी अवधि के लिए जिसे वह उचित समझे, एक अनुशासनिक समिति का गठन करेगी जिसमें कुलपति, या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रति कुलपति और उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट दो व्यक्ति सम्मिलित होंगे:

परन्तु यह कि यदि कार्य परिषद इसे समीचीन समझती है, तो वह विभिन्न मामलों या मामलों की श्रेणियों पर विचार करने हेतु एक से अधिक ऐसी समितियों का गठन कर सकती है।

(2) कोई भी अध्यापक जिसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही से जुड़ा कोई मामला लंबित है तो वह उस मामले से निपटने वाली अनुशासनात्मक समिति के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेगा।

(3) कार्य परिषद किसी भी प्रक्रम पर, एक अनुशासनिक समिति के किसी मामले को दूसरी अनुशासनिक समिति को अन्तरित कर सकती है।

धारा 45 (4) (1) अनुशासनिक समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे:-

(क) परिनियमावली के अधीन विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी अपील पर विनिश्चय करना;

(ख) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक या पुस्तकालयाध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही से जुड़े मामलों की जांच करना;

(ग) उपर्युक्त उप-खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध जांच लंबित होने या विचाराधीन होने पर उसे निलंबित करने की अनुशंसा करना;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो उसे समय-समय पर कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जायें।

(2) समिति के सदस्यों में, मतभेद होने की दशा में, बहुमत का विनिश्चय अभिभावी होगा।

(3) अनुशासनिक समिति का विनिश्चय या उसकी रिपोर्ट, यथाशीघ्र कार्य परिषद् के समक्ष रखी जायेगी जिससे कार्य परिषद् मामले में अपना विनिश्चय कर सके।

धारा 45 (4) परिनियम 9(1) के अधीन नियुक्त विभागाध्यक्ष की सहायता के लिए विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापन विभाग में एक विभागीय समिति होगी।

धारा 45 (5) विभागीय समिति में निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होंगे:-

(एक) विभागाध्यक्ष, जो समिति का अध्यक्ष होगा।

(दो) विभाग के समस्त आचार्य और यदि कोई आचार्य न हो तो विभाग के समस्त सह-आचार्य।

(तीन) जिस विभाग में आचार्य के साथ-साथ सह-आचार्य भी न हो, वहां तीन वर्ष की अवधि हेतु ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम के अनुसार दो सहायक आचार्य होंगे:

परन्तु यह कि किसी विषय या विद्या - विशेष से विशेषतः सम्बद्ध किसी मामले के लिये उस विषय या विद्या - विशेष का ज्येष्ठतम अध्यापक यदि उसे पूर्ववर्ती शीर्षकों में पहले ही सम्मिलित न किया गया हो, उस मामले के लिये विशेषतः आमन्त्रित किया जायेगा।

(6) विभागीय समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे:-

(एक) विभाग के अध्यापकों के बीच अध्यापन कार्य के वितरण के संबंध में सिफारिशें करना।

(दो) विभाग में अनुसंधान और अन्य गतिविधियों के समन्वय के संबंध में सुझाव देना।

(तीन) उस विभाग में ऐसे कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति के संबंध में सिफारिशें करना जिसके लिए विभागाध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी है।

(चार) विभाग के सामान्य और शैक्षणिक हित के मामलों पर विचार करना।

धारा 45 (7) समिति की बैठक एक तिमाही में कम से कम एक बार होगी। इसकी बैठक के कार्यवृत्त कुलपति को प्रस्तुत किये जायेंगे।

धारा 45 21–परीक्षा समिति धारा–29 में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों या उप–समिति की सिफारिश पर, किसी परीक्षार्थी को तीन वर्षों की अवधि के लिए आगामी किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक सकती है, यदि समिति की राय में, ऐसा परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में कदाचार या अनुचित साधनों के प्रयोग का दोषी पाया जाता। परीक्षा समिति

अध्याय–आठ

धारा 29 एवं 46 22–(1) कला और भाषा, संगीत, नृत्य, दृश्य कला और लोक संगीत और कला संकायों में विश्वविद्यालय के अध्यापकों के निम्नलिखित वर्ग होंगे :– अध्यापकों का वर्गीकरण

(1) आचार्य;

(2) सह–आचार्य;

(3) सहायक आचार्य;

धारा 29 एवं 46 (2) विश्वविद्यालय के अध्यापक विषयों के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान में पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किये जायेंगे। अनुसंधान सहचर या अनुसंधान सहायक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अंशकालिक अध्यापक के रूप में कार्य करने के लिए कहा जा सकता है।

धारा 29 (3) कार्य परिषद, विद्या परिषद की सिफारिश पर निम्नलिखित को नियुक्त कर सकती है।

(4) इस निमित्त परिनियमों/अध्यादेशों के अनुसार विशिष्ट शर्तों पर शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट योग्यता के आचार्य।

(5) अवैतनिक प्रतिष्ठित (एमिरिटस) आचार्य, जो–

(क) विशिष्ट विषयों पर व्याख्यान देंगे;

(ख) अनुसंधान– कार्य का मार्ग दर्शन करेंगे;

(ग) सम्बद्ध संकाय बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने के हकदार होंगे और उसके विचार–विमर्श में भाग लेंगे, किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा;

(घ) जिन्हें यथासम्भव, विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं में अध्ययन और अनुसंधान कार्य करने की सुविधायें प्रदान की जायेंगी, और

(ङ) समस्त दीक्षान्त समारोह में उपस्थित होने के हकदार होंगे:

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति विभाग में अवैतनिक प्रतिष्ठित (एमिरिटस) आचार्य के रूप में आचार्य का पद धारण करने के आधार पर विश्वविद्यालय में या उसके किसी प्राधिकारी या निकाय में कोई पद धारण करने का पात्र नहीं होगा।

(6) (क) अनुदेशक या अध्यापन अनुसंधान सहायक, ऐसी शर्तो और निबन्धनों जैसा कि परिनियम/अध्यादेशों में उपबंध किया जाय, पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किये जा सकते हैं।

23–विद्या परिषद की अनुशंसा पर उनकी अध्येतावृत्ति और उच्च बौद्धिक उपलब्धियों के लिए कार्य परिषद द्वारा नियुक्त मानद आचार्य या सह–आचार्य के पास निम्नलिखित कृत्य और विशेषाधिकार होंगे:– मानद आचार्य की नियुक्ति, उनके निबंधन व शर्तें

(क) कृत्य–

1–एक शैक्षणिक वर्ष में अपने विषय के कुछ क्षेत्रों पर या तो नई व्याख्या के माध्यम से या नए अभिविन्यास के माध्यम से या अपने विषय में नई प्रवृत्तियों पर कम से कम 6 व्याख्यान माला देना।

2–छात्रों को उनकी प्रायोगिक कक्षाओं में मार्गदर्शन करना।

3–मान्यता प्राप्त आचार्य की हैसियत से अनुसंधान कर्मियों का मार्गदर्शन करना और मान्यता प्राप्त आचार्य या सह–आचार्य के रूप में अपने विषय में विशेष व्याख्यानमाला प्रदान करना।

(ख) विशेषाधिकार –

(एक) मानद आचार्य विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का सदस्य होगा लेकिन वह किसी भी तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन से सम्बन्धित नहीं होगा और विश्वविद्यालय के किसी भी निकाय में उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा।

(दो) उन्हें विश्वविद्यालय में उनके भ्रमण की अवधि में उपलब्ध आवासीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और वे समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदेय के हकदार होंगे।

(तीन) मानद आचार्य या सह–आचार्य को यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता का भुगतान राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा।

अध्याय–नौ

भाग–एक

अध्यापक की न्यूनतम योग्यता

24–विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वरिष्ठ आचार्य, आचार्य तथा अध्यापक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के पदों के लिए न्यूनतम अर्हताएं और ऐसे पदों से संबंधित वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों का पुनरीक्षण।

(1) व्याप्ति–

उच्चतर शिक्षा में मानकों को बनाए रखने और वेतनमान की पुनरीक्षण के लिए विश्वविद्यालय के अध्यापकों और पुस्तकालयाध्यक्ष के संवर्गों में नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्तों हेतु न्यूनतम अर्हता।

(2) विश्वविद्यालय अध्यापक से संबंधित विधा में अध्यापन पदों पर सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ,–

(एक) परन्तु यह कि उस स्थिति में जहां परिनियम द्वारा कोई मानदंड या मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं, उस स्थिति में यू0जी0सी0 विनियम उस समय तक लागू होंगे जब तक कि विनियामक प्राधिकारी द्वारा कोई मानक या मानदंड निर्धारित नहीं किये जायें।

(दो) परन्तु अग्रतर यह कि उन विधाओं, जिनमें सहायक आचार्य और समतुल्य पदों पर नियुक्ति राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) के माध्यम से की गई हो, जिसका आयोजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, द्वारा किया गया हो अथवा राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एसएलईटी) अथवा राज्य पात्रता परीक्षा (एसईटी), जिन्हें उक्त प्रयोजनार्थ यू0जी0सी0 द्वारा प्रत्यायित निकायों द्वारा आयोजित किया गया हो उनमें एनईटी/एसईएलटी/एसईटी में अर्हता प्राप्त करना एक अतिरिक्त अपेक्षा होगी।

वेतनमान तथा वेतन निर्धारण–

वेतनमान तथा वेतन निर्धारण

25–(1) वेतनमान के पुनरीक्षण को कार्यान्वित किये जाने की तिथि दिनांक 01 जनवरी, 2016 होगी।

भर्ती तथा अर्हताएं–

भर्ती तथा अर्हताएं

26–(1) विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्य, सह–आचार्य, आचार्य और वरिष्ठ आचार्य के पदों पर सीधी भर्ती अखिल भारतीय विज्ञापन के माध्यम से गुणावगुण के आधार पर इस परिनियम के अधीनकृत उपबंधों के अनुसार विधिवत रूप से गठित चयन समिति द्वारा चयन के आधार पर किया जाएगा।

(2) इस परिनियम में सहायक आचार्य, सह–आचार्य, आचार्य, वरिष्ठ आचार्य, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष, पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों के लिए न्यूनतम अर्हताएं अपेक्षित होंगी।

(3) (एक) जहां कहीं भी इस परिनियम में यह उपबंधित हो, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) अथवा प्रत्यायित परीक्षा (राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा एसएलईटी/एसईटी) सहायक आचार्य और समकक्ष पदों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्रता बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त एसएलईटी/एसईटी सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम पात्रता के रूप में विधिमान्य होगा:

परन्तु यह कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2016 और समय–समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो, को विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य या समकक्ष पद पर भर्ती या नियुक्ति के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की न्यूनतम पात्रता शर्त अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी:

परन्तु अग्रतर यह कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एमफिल/ पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना, उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों/उपनियमों /विनियमों के उपबन्धों द्वारा अभिशासित होगा। ऐसे समस्त पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य अथवा समतुल्य पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी /एसएलईटी /एसईटी की अपेक्षाओं से छूट प्रदान की जाएगी।

(क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई हो;

(ख) पीएचडी शोध प्रबंध कम से कम दो वाह्य परीक्षकों द्वारा प्रदान किया गया हो;

(ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

(ङ) अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/आईसीएसएसआर/ सीएसआईआर अथवा ऐसी किसी एजेंसी द्वारा प्रायोजित वित्तपोषित/सहायता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो;

इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा अधिप्रमाणित किया जाए।

(दो) ऐसे विषयों में एनईटी / एसएलईटी / एसईटी को उत्तीर्ण करना अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक नहीं होगा जिनके लिए एनईटी /एसएलईटी / एसईटी आयोजित नहीं की गई हो।

(4) किसी भी स्तर पर अध्यापकों और अन्य समकक्ष संवर्गों की सीधी भर्ती के लिए निष्णात स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत (अथवा प्वॉइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है) अनिवार्य अर्हता होगी।

(एक) सीधी भर्ती हेतु पात्रता के प्रयोजनार्थ और बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड के मूल्यांकन के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) (असंपन्न वर्ग)/ निःशक्त (क) दृष्टिहीनता तथा निम्न दृश्यता (ख) बधिर और कम सुनाई देना (ग) लोकोमोटर निःशक्तता जिसमें सेरेब्रल पालसी, कुष्ट उपचारित, नाटापन, अम्लीय हमले के पीड़ित और मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी सम्मिलित है (घ) विचार भ्रम (आटिज्म), बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता (ङ) गूंगापन– अंधापन सहित (क) से (घ) के अधीन व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता) से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। 55 प्रतिशत के पात्रता अंकों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है उस स्थिति में किसी प्वॉइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) और उपर्युक्त उल्लिखित श्रेणियों के लिए 5 प्रतिशत की छूट केवल रियायती अनुकम्पा अंक प्रक्रिया को सम्मितलित किये बिना अर्हकारी अंक पर अनुज्ञेय होगी।

(5) उन पीएचडी उपाधि धारक अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत (55 प्रतिशत अंक से कम करके 50 प्रतिशत अंक तक) की छूट प्रदान की जाएगी जिन्होंने दिनांक 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व निष्णात उपाधि प्राप्त की है।

(6) एक सुसंगत ग्रेड जिसे 55 प्रतिशत के समरूप माना जाता है, जहां कहीं भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर ग्रेडिंग प्रणाली लागू है, को भी विधिमान्य माना जाएगा।

(7) आचार्य के पद पर नियुक्ति और पदोन्नति के लिए पीएचडी उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी।

(8) सह-आचार्य के पद पर नियुक्ति और पदोन्नति के लिए पीएचडी की उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी।

(9) विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर पदोन्नति (चयन ग्रेड/अकादमिक स्तर 12) के लिए पीएचडी की उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी।

(10) दिनांक 01 जुलाई, 2021 से विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर सीधी भर्ती के लिए पीएचडी उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी।

(11) अध्यापन पदों पर नियुक्ति के लिए दावे हेतु एमफिल और/अथवा पीएचडी उपाधि प्राप्त करने में अभ्यर्थियों द्वारा लिए गए समय को अध्यापन/अनुसंधान अनुभव के रूप में विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई अवकाश लिए बिना अध्यापन कार्य के साथ अनुसंधान उपाधि प्राप्त करने में व्यतीत की गई सक्रिय सेवा अवधि को सीधी भर्ती/पदोन्नति के उद्देश्य के लिए अध्यापन अनुभव माना जाएगा कुल संकाय संख्या (चिकित्सा/मातृत्व छुट्टी पर गए संकाय सदस्यों के अलावा) के बीस प्रतिशत तक नियमित आधार पर कार्यरत संकाय सदस्यों को उनकी संबंधित संस्थाओं द्वारा पीएचडी की उपाधि के लिए अध्ययन छुट्टी लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

अर्हताएं

अर्हताएं:-

27-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 2 के खंड (च) के अधीन मान्यता प्राप्त संबद्ध महाविद्यालयों या विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति नही होगी जब तक कि ऐसा व्यक्ति इस परिनियम में उपर्युक्त पद के लिए यथा उपबंधित अर्हताओं के रूप में अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता हो।

सीधी भर्ती:-

सीधी भर्ती

28-(1) कला, मानविकी, और भाषा विधाओं के लिए

(एक) सहायक आचार्य

पात्रता (क अथवा ख):

क-(एक) किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित/सुसंगत/संबद्ध विषय में 55 प्रतिशत अंक (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि ।

(दो) उपर्युक्त अर्हताओ को पूरा करने के साथ-साथ अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) उत्तीर्ण की हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा यथा एसएलईटी/एसईटी उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी उपाधि के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय-समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो उन्हें एनईटी /एसएलईटी/एसईटी से छूट प्रदान की जाएगी:

परन्तु यह कि दिनाक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एमफिल/ पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों/उपनियमों/विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे और ऐसे समस्त पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समतुल्य पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी:-

(क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो,

(ख) पीएचडी शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो;

(ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो,

(ङ) अभ्यर्थी ने यू0जी0सी0/आईसीएसएसआर/सीएसआईआर अथवा ऐसी किसी अन्य समान एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित/सहायता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो;

इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा सत्यापित किया जाए।

नोटः उन विषयो में ऐसे मास्टर्स प्रोग्राम के लिए भी एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की आवश्यकता नहीं होगी, जिनके लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी का आयोजन यूजीसी, सीएसआईआर या यूजीसी द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा जैसे एसएलईटी/ एसईटी नहीं किया जाता है।

अथवा

किसी विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान जिसकी रैंकिंग विश्व के विश्वविद्यालय रैंकिंग में (किसी भी समय) शीर्ष 500 में हो जो निम्नलिखित में किसी एक द्वारा प्रदत्त हो-

(ख) क्वेक्वेरेली सायमंड (क्यूएस) (दो) दि टाइम्स हॉयर एजूकेशन (टीएचई) अथवा (तीन) शंघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी (शंघाई) के विश्व के विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक रैंकिंग (एआरडब्ल्यू) से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की गयी हो।

नोटः परिशिष्ट (दो) में यथा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राप्तांक केवल साक्षात्कार के लिए चुनने हेतु विचार किया जाएगा और चयन इस साक्षात्कार में किये गए प्रदर्शन पर आधारित होगा।

दो सह-आचार्यः सह-आचार्य

पात्रता

(एक) संबंधित/संबद्ध/सुसंगत विधाओ में पीएचडी की उपाधि के साथ उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकार्ड।

(दो) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड)।

(तीन) किसी भी शैक्षणिक / अनुसंधान पद पर शिक्षण और / अथवा अनुसंधान में न्यूनतम आठ वर्षों का अनुभव जो किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा प्रत्यायित अनुसंधान संस्थान / उद्योग में सहायक आचार्य के समान हो तथा समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा यू0जी0सी0 सूचीबद्ध जर्नलों में न्यूनतम सात शोध पत्र प्रकाशित हो और परिशिष्ट दो तालिका 2 में दिए गए मानदंडो के अनुसार अनुसंधान मे कुल पचहत्तर (75) अनुसंधान प्राप्तांक हो।

तीन आचार्यः आचार्य

पात्रता (क अथवा ख)ः

क- (एक) कोई प्रतिष्ठित विद्वान जिसे संबंधित /संबद्ध /सुसंगत विधा में पीएचडी की उपाधि प्राप्त हो और उच्च गुणवत्ता वाला प्रकाशन कार्य किया हो तथा प्रकाशित कार्य के साक्ष्य के साथ- साथ अनुसंधान में सक्रिय रूप से अभिनियोजित हो तथा समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नलो मे न्यूनतम दस प्रकाशन और परिशिष्ट -दो मे दिए गए मानदंडो के अनुसार कुल 120 शोध प्राप्तांक अर्जित किए हों।

(दो) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय मे सहायक आचार्य/सह-आचार्य /आचार्य स्तर पर न्यूनतम दस वर्ष का अध्यापन अनुभव और /अथवा विश्वविद्यालय / राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में समतुल्य स्तर पर शोध अनुभव के साथ सफल रूप से डाक्टोरल अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन करने का साक्ष्य हो।

अथवा

ख- कोई उत्कृष्ट वृत्तिक जिसे किसी भी शैक्षणकि संस्थान (उपर्युक्त 'क' मे सम्मिलित नही)/ उद्योग से सुसंगत/ संबद्ध/ अनुप्रयुक्त विधाओं में पीएचडी की उपाधि प्राप्त हो, जिन्होंने संबंधित/संबद्ध /सुसंगत विधा के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, दस्तावेजी साक्ष्य जिसमें यह उपबंधित हो कि उसे दस वर्षों का अनुभव है, से समर्थित हो।

विश्वविद्यालय में वरिष्ठ आचार्य

चार विश्वविद्यालय में वरिष्ठ आचार्य

विश्वविद्यालय में आचार्यों की विद्यमान संस्वीकृत संख्या के 10 प्रतिशत संख्या तक सीधी भर्ती के माध्यम से विश्वविद्यालय में वरिष्ठ आचार्य के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है।

पात्रता

पांच पात्रता:

(एक) कोई प्रतिष्ठित विद्वान जिसका समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा यूजीसी सूचीबद्ध जर्नलों में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान प्रकाशन का अच्छा निष्पादन रिकार्ड हो तथा इन विधाओं में महत्वपूर्ण अनुसंधान योगदान और अनुसंधान पर्यवेक्षण किया हो।

(दो) किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा राष्ट्रीय स्तर की किसी संस्थान में आचार्य के रूप में अथवा समतुल्य ग्रेड में अध्यापन / अनुसंधान का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो।

(तीन) यह चयन शैक्षणिक उपलब्धियों, तीन प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञ, जो वरिष्ठ आचार्य के पद से कम न हो, अथवा कम से कम दस वर्ष के अनुभव वाले आचार्य की अनुकूल समीक्षा पर आधारित होगा।

(चार) यह चयन समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा यू0जी0सी0 के सूचीबद्ध जर्नलों में सर्वोत्तम दस प्रकाशनों और यूजीसी विनियमों के अनुसार गठित चयन समिति के साथ सहक्रिया के साथ– साथ पिछले 10 वर्षों के दौरान उनकी पर्यवेक्षण में कम से कम दो अभ्यर्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदत्त किए जाने पर आधारित होगा।

29–संगीत, परफार्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और अन्य परंपरागत भारतीय कला स्वरूपों यथा शिल्पकला आदि ।

सहायक आचार्य पात्रता

एक सहायक आचार्य

पात्रता (क अथवा ख):

क– (एक) किसी भारतीय /विदेशी विश्वविद्यालय से सुसंगत विषय अथवा किसी समतुल्य उपाधि में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ स्नातकोत्तर उपाधि ।

(दो) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ–साथ अभ्यर्थी ने यूजीसी अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) उत्तीर्ण की हो अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा यथा एसएलईटी / एसईटी उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल / पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय–समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुरूप पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो:

परन्तु अग्रतर यह कि दिनांक 11 जुलाई 2009 से पूर्व एमफिल/ पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी, उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों/उपनियमों/विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे। ऐसे समस्त पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन विश्वविद्यालय /महाविद्यालयों/संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समतुल्य पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी /एसएलईटी/एसईटी की अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी:–

(क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो;

(ख) पीएचडी शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो;

(ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

(ड) अभ्यर्थी ने यूजीसी/एआईसीटीई/आईसीएसएसआर अथवा ऐसी किसी अन्य एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित सहायता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो।

नोट 1: इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा अनुप्रमाणित किया जाए।

नोट 2: ऐसी विधाओं में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी उत्तीर्ण किया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिसके लिए यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा एनईटी/एसएलईटी/एसईटी अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा (जैसे एसईएलटी/एसईटी) आयोजित नहीं की जाती है।

अथवा

ख– एक परंपरागत अथवा वृत्तिक कलाकार जिसकी संबंधित विधा में अत्यंत उल्लेखनीय वृत्तिक उपलब्धि रही हो और जिन्हें स्नातक की उपाधि प्राप्त हो, जिन्होंने–

(एक) प्रसिद्ध परंपरागत उस्ताद (उस्तादों)/कलाकार (कलाकारों) के अधीन अध्ययन किया हो;

(दो) वह आकाशवाणी /दूरदर्शन में श्रेणी 'क' का कलाकार रहा हो;

(तीन) वह संबंधित विषय में तार्किक तर्कशक्ति के साथ व्याख्या करने की क्षमता रखता हो; और

(चार) संबंधित विधा में दृष्टांत के साथ सिद्धांत पढ़ाने के लिए पर्याप्त ज्ञान से सम्पन्न हो ।

दो सह–आचार्य सह–आचार्य पात्रता

पात्रता (क अथवा ख):

क– (एक) डॉक्टोरल उपाधि के साथ उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड ।

(दो) उच्च वृत्तिक मानक के साथ कार्य निष्पादन क्षमता।

(तीन) किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में अध्यापन कार्य में आठ वर्ष का अनुभव और/अथवा किसी विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में अनुसंधान में आठ वर्ष का अनुभव जोकि किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सहायक आचार्य के समतुल्य हो ।

(चार) उन्होंने गुणवत्तापूर्ण प्रकाशन द्वारा यथा प्रमाणित संबंधित विषय में ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

अथवा

ख– एक परंपरागत अथवा वृत्तिक कलाकार जिसकी संबंधित विषय में अत्यंत उल्लेखनीय वृत्तिक उपलब्धि हो और जिन्हें संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हो, जो

(एक) आकाशवाणी/दूरदर्शन में श्रेणी 'क' का कलाकार रहा हो;

(दो) विशेषज्ञता के क्षेत्र में आठ वर्ष की उल्लेखनीय कार्यनिष्पादन उपलब्धि रही हो;

(तीन) नए पाठ्यक्रम और/अथवा पाठ्यचर्या का तैयार करने का अनुभव रहा हो;

(चार) प्रसिद्ध संस्थाओं में राष्ट्रीय स्तर की विचार गोष्ठियों/सम्मेलनों/ संगीत गोष्ठियों में भाग लिया हो, और

(पांच) वह संबंधित विषय में तार्किक तर्कशक्ति के साथ व्याख्या करने की क्षमता रखता हो और उक्त विधा में दृष्टांत के साथ सिद्धांत पढ़ाने के लिए पर्याप्त ज्ञान से सम्पन्न हो।

आचार्य पात्रता

तीन आचार्यः

पात्रता (क अथवा ख):

क–(एक) डॉक्टोरल उपाधि के साथ प्रतिष्ठित विद्वान।

(दो) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अध्यापन और/अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में अनुसंधान मे कम से कम दस वर्ष के अनुभव के साथ सक्रिय रूप से अभिनियोजित हो।

(तीन) समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा यूजीसी सूचीबद्ध जर्नलों में न्यूनतम 6 अनुसंधान प्रकाशित हुआ हो।

(चार) परिशिष्ट –दो के अनुसार अनुसंधान में कुल 120 प्राप्तांक हो।

अथवा

ख– एक परंपरागत अथवा वृत्तिक कलाकार जिसकी संबधित विषय में अत्यंत उल्लेखनीय वृत्तिक उपलब्धि रही हो,

(एक) सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो,

(दो) आकाशवाणी/दूरदर्शन में श्रेणी 'क' का कलाकार रहा हो;

(तीन) विशेषज्ञता के क्षेत्र में दस वर्ष का उत्कृष्ट कार्य निष्पादन की उपलब्धि रही हो;

(चार) विशेषज्ञता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो और अनुसंधान में मार्गदर्शन करने की क्षमता हो;

(पांच) राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय विचार गोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं/ संगीत गोष्ठियों में भागीदारी की हो और/अथवा राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार /अध्येतावृत्तियां प्राप्त की हो;

(छ.) संबंधित विषय में तार्किक तर्कशक्ति के साथ व्याख्या करने की क्षमता रखता हो; और

(सात) उक्त विधा मे दृष्टांत के साथ सिद्धांत पढ़ाने के लिए पर्याप्त ज्ञान से सम्पन्न हो।

नाट्य विधा सहायक आचार्य

30–नाट्य विधा:

एक सहायक आचार्य

पात्रता (क अथवा ख)

क. (एक) भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से सुसंगत विषय अथवा किसी समतुल्य उपाधि में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ स्नातकोत्तर उपाधि ।

(दो) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ–साथ अभ्यर्थी ने यूजीसी अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) उत्तीर्ण की हो अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा यथा एसएलईटी/एसईटी उत्तीर्ण की हो अथवा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय–समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्राप्त किये हों।

अग्रतर यह कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों/उपनियमों/विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे। ऐसे समस्त पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों/संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समतुल्य पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी –

(क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो;

(ख) पीएचडी शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो;

(ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ;

(ड.) अभ्यर्थी ने यूजीसी/सीएसआईआर/आईसीएसएसआर अथवा ऐसी किसी समान एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित/सहायता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो शोध पत्रों को प्रस्तुत किया हो;

नोट 1–इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा अभिप्रमाणित किया जाए।

नोट 2–ऐसी विधाओं में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए एनईटी/एसएलईटी/ एसईटी उत्तीर्ण किया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिसके लिए यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा एनईटी/एसएलईटी/एसईटी अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा (जैसे एसईएलटी एसईटी) आयोजित नहीं की जाती है।

अथवा

ख. संबंधित विषय में उच्च उल्लेखनीय वृत्तिक उपलब्धि रखने वाला कोई परंपरागत अथवा वृत्तिक कलाकार, जिसके पासः

(एक) भारतीय नाट्य विद्यालय अथवा भारत या विदेश में किसी अन्य ऐसे ही संस्थान से 55 प्रतिशत अंक (अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड के साथ तीन वर्षीय स्नातक की उपाधि/स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ वृत्तिक कलाकार रहा हो;

(दो) साक्ष्य सहित, क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पांच वर्ष का नियमित रूप से प्रशंसनीय कार्यनिष्पादन रहा हो; और

(तीन) संबंधित विषय की तार्किक रूप से व्याख्या करने की क्षमता हो और संबंधित विधा में दृष्टांत के साथ सिद्धांत को पढ़ाने की पर्याप्त जानकारी हो;

दो– सह–आचार्यः सह–आचार्यः पात्रता

पात्रता (क अथवा ख):

क. (एक) संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए गठित की गई विशेषज्ञ समिति द्वारा यथा अनुप्रमाणित उच्च वृत्तिक मानकों के कार्यनिष्पादन की क्षमता के साथ पीएचडी की उपाधि सहित उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकार्ड रहा हो।

(दो) किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अध्यापन कार्य में और/अथवा किसी विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में शोध कार्य में आठ वर्ष का अनुभव रहा हो जोकि किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सहायक आचार्य के समतुल्य हो ।

(तीन) गुणवत्तापूर्ण प्रकाशन द्वारा यथा प्रमाणित संबंधित विषय में ज्ञान में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया हो।

अथवा

ख. कोई परंपरागत अथवा वृत्तिक कलाकार जिसकी संबंधित विषय में अत्यंत उल्लेखनीय वृत्तिक उपलब्धि रही हो और जो संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हो, जो:–

(एक) रंगमंच/रेडियो/टेलीविजन में मान्यता प्राप्त कलाकार रहा हो;

(दो) विशेषज्ञता के क्षेत्र में आठ वर्ष की उल्लेखनीय कार्य निष्पादन उपलब्धि रहा हो;

(तीन) नए पाठ्यक्रम और/अथवा पाठ्यचर्या का तैयार करने का अनुभव रहा हो,

(चार) प्रख्यात संस्थाओं में संगोष्ठियों/सम्मेलनों में भाग लिया हो; और

(पांच) वह संबंधित विषय में तार्किक तर्कशक्ति के साथ व्याख्या करने की क्षमता रखता हो और उक्त विधा में दृष्टांत के साथ सिद्धांत पढ़ाने के लिए पर्याप्त ज्ञान से सम्पन्न हो।

आचार्य

तीन– आचार्य

पात्रता

(क अथवा ख)

क. डॉक्टरेट की उपाधि सहित अनुसंधान कार्य में सक्रिय रूप से अभिनियोजित प्रख्यात विद्वान हो और विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन उपलब्धियों के साथ डॉक्टरेट स्तर पर अनुसंधान मार्गदर्शन प्रदान करने में अनुभव सहित विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में अध्यापन और/अथवा अनुसंधान में दस वर्ष का अनुभव हो साथ ही समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा यूजीसी सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम 5 अनुसंधान प्रकाशन एवं परिशिष्ट – दो तालिका –2 में दिए गए मानदंडों के अनुसार शोध में कुल 120 अंक प्राप्त किए हो।

अथवा

ख. कोई परंपरागत अथवा वृत्तिक कलाकार जिसकी संबंधित विषय में अत्यंत उल्लेखनीय वृत्तिक उपलब्धि रही हो और जिनके पास

(एक) सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि हो;

(दो) विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में दस वर्ष की उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन उपलब्धि रही हो;

(तीन) विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया हो;

(चार) अनुसंधान में मार्गदर्शन प्रदान किया हो,

(पांच) राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय विचार गोष्ठियों/ सम्मेलनों / कार्यशालाओं में भागीदारी की हो और/अथवा राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृत्तियां प्राप्त की हो;

(छः) संबन्धित विषय को तार्किक रूप से व्याख्या करने की क्षमता हो;

(सात) उक्त विधा में दृष्टांत सहित सिद्धांत को पढ़ाने हेतु पर्याप्त ज्ञान हो।

योग विधा
सहायक आचार्य
पात्रता

31–योग विधा

एक–सहायक आचार्यः

पात्रता (क अथवा ख)

क. अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड के साथ, योग अथवा किसी अन्य सुसंगत विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो उस स्थिति में पॉइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा किसी भारतीय/ विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि।

उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के अतिरिक्त अभ्यर्थी ने यूजीसी अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्यायित ऐसी ही परीक्षा यथा एसएलईटी/एसईटी उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/ पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय–समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो।

अथवा

ख. किसी भी विधा में 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो, उस स्थिति में प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ स्नातकोत्तर उपाधि और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/ पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय–समय पर इनमें किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुरूप योग में पीएचडी उपाधि।

***नोटः** योग के इस नए उभरते क्षेत्र में अध्यापकों की कमी को ध्यान में रखते हुए यह विकल्प दिया गया है और यह इस परिनियम के अधिसूचना के दिनांक से केवल पांच वर्षों के लिए ही विधिमान्य होगा।

दो–सह–आचार्य आचार्य

(एक) संबंधित विषय अथवा सुसंगत विषय में पीएचडी उपाधि के साथ अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड।

(दो) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि (अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो उस स्थिति में प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड)।

(तीन) किसी शैक्षणिक/अनुसंधान पद जो किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा प्रत्यायित अनुसंधान संस्थान/उद्योग में सहायक आचार्य के समतुल्य हो, में प्रकाशन कार्य के साक्ष्य सहित न्यूनतम आठ वर्ष का अध्यापन कार्य और/अथवा अनुसंधान का अनुभव हो और समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा यूजीसी सूचीबद्ध जर्नलों में पुस्तकों और/अथवा अनुसंधान/नीति– पत्रों के रूप में कम से कम सात प्रकाशन किए हो और परिशिष्ट– दो तालिका– 2 में दिए गए मानदंडों के अनुसार कम से कम कुल पचहत्तर (75) अनुसंधान अंक प्राप्त किए हों।

तीन–आचार्यः आचार्य

पात्रता (क अथवा ख)

क (एक) संबंधित विषय या किसी सहबद्ध/सुसंगत विषय में पीएचडी की उपाधि के साथ प्रतिष्ठित विद्वान हो और उच्च गुणवत्ता वाला प्रकाशन कार्य किया हो, प्रकाशित कार्य के साक्ष्य के साथ अनुसंधान में सक्रिय रूप से अभिनियोजित हो और प्रकाशन कार्य के साक्ष्य सहित समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा यूजीसी सूचीबद्ध जर्नलों में पुस्तकों और/अथवा नीति–पत्रों के रूप में कम से कम दस प्रकाशन किए हो और परिशिष्ट दो तालिका– 2 में दिए गए मानदंडों के अनुसार कम से कम कुल 120 अनुसंधान अंक प्राप्त किए हों।

(दो) किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में न्यूनतम दस वर्षों का अध्यापन अनुभव और/अथवा विश्वविद्यालय / राष्ट्रीय स्तर की संस्थानों/ उद्योगों में अनुसंधान का अनुभव हो और डॉक्टोरल अभ्यर्थियों का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन करने के साक्ष्य हो।

अथवा

ख. सुसंगत क्षेत्र में प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त उत्कृष्ट वृत्तिक जिन्होंने प्रत्यायन द्वारा अभिपुष्टि किए जाने वाले संबंधित/सहबद्ध/सुसंगत विषय में ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

32–विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/ विश्वविद्यालय उप पुस्तकालयाध्यक्ष और विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताएं।

एक–(एक) विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष

कम से कम 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ पुस्तकालय विज्ञान, सूचना विज्ञान अथवा प्रलेखन विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समतुल्य वृत्तिक उपाधि।

(दो) पुस्तकालय में कंप्यूटरीकरण के ज्ञान के साथ सतत रूप से अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड।

(तीन) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के अलावा, अभ्यर्थी को यूजीसी सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा यथा एसएलईटी/एसईटी उत्तीर्ण करनी होगी अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक व प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 एवं समय – समय पर इनमें किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो:

परन्तु यह कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व पीएचडी की उपाधि के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी ऐसी उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के विद्यमान अध्यादेशों/ उपविधियों/विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे तथा ऐसे पीएचडी अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/ संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त होगी–

क. अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो;

ख. पीएचडी शोध प्रबंध का कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया गया हो;

ग. पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

घ. अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक रेफर्ड जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

ङ अभ्यर्थी ने यूजीसी–आईसीएसएसआर–सीएसआईआर अथवा इसी प्रकार की एजेंसी द्वारा प्रायोजित–वित्तपोषित–सहायता प्राप्त सम्मेलनों–विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किए हों।

नोट–(एक)–इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा।

(दो) ऐसे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में एनईटी /एसएलईटी /एसईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा जिसके लिए यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा एनईटी/ एसएलईटी /एसईटी अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा जैसे एसएलईटी/ एसईटी आयोजित नहीं की जाती हो।

विश्वविद्यालय उप पुस्तकालयाध्यक्ष

दो–(एक) विश्वविद्यालय उप पुस्तकालयाध्यक्ष–

कम से कम 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ पुस्तकालय विज्ञान, सूचना विज्ञान / प्रलेखन विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि।

(दो) सहायक विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में आठ वर्षों का अनुभव।

(तीन) पुस्तकालय में आईसीटी के समेकन के साथ नवोन्मेषी पुस्तकालय सेवाओं का साक्ष्य।

(चार) पुस्तकालय विज्ञान / सूचना विज्ञान / प्रलेखन विज्ञान / अभिलेख और पुस्तकालय की पांडुलिपियों का रखरखाव / कंप्यूटरीकरण करने में पीएचडी की उपाधि।

विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष

तीन–(एक) विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष–

कम से कम 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान / प्रलेखन विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि।

(दो) विश्वविद्यालय पुस्तकालय में किसी भी स्तर पर पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में कम से कम दस वर्षों का अनुभव अथवा पुस्तकालय विज्ञान में सहायक/ सह–आचार्य के रूप में दस वर्षों का अध्यापन अनुभव अथवा किसी महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में दस वर्षों का अनुभव।

(तीन) किसी पुस्तकालय में आईसीटी के समेकन के साथ नवोन्मेषी पुस्तकालय सेवाओं का साक्ष्य।

(चार) पुस्तकालय विज्ञान / सूचना विज्ञान/प्रलेखन विज्ञान/अभिलेख और पुस्तकालय की पांडुलिपियों का रखरखाव / कंप्यूटरीकरण करने में पीएचडी की उपाधि।

भाग – दो

चयन समिति और चयन प्रक्रिया

चयन समिति और चयन प्रक्रिया

33–चयन समिति का गठन और चयन प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देशः

(1) चयन समिति की संरचना

विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य

एक–विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य–

क. विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य के पद के लिए चयन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति अन्तर्विष्ट होंगेः

(एक) कुलपति समिति का अध्यक्ष होगा।

(दो) कुलाधिपति द्वारा आचार्य से अनिम्न रैंक के शिक्षाविद् को नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(तीन) कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा संबंधित विषय में तीन विशेषज्ञ का नामनिर्देशन किया जायेगा।

(चार) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष।

(पांच) संबंधित विभाग का अध्यक्ष।

(छः) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/ महिला/निःशक्त श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाला शिक्षाविद, यदि इन श्रेणियों से संबंध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो और यदि उपरोक्त कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो तो उसे कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

ख. दो बाह्य विषय विशेषज्ञों सहित चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति होगी।

दो–विश्वविद्यालय में सह–आचार्य–

विश्वविद्यालय में सह–आचार्य

(क) विश्वविद्यालय में सह–आचार्य के पद के लिए चयन समिति की संरचना निम्नलिखित होगी:

(एक) कुलपति समिति का अध्यक्ष होगा।

(दो) कुलाधिपति द्वारा आचार्य से अनिम्न रैंक के शिक्षाविद् को नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(तीन) कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा संबंधित विषय में तीन विशेषज्ञ का नामनिर्देशन किया जायेगा।

(चार) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष।

(पांच) संबंधित विभाग का अध्यक्ष।

(छः) यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/महिला/निःशक्त श्रेणी से संबंध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो और यदि उपरोक्त कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो तो कुलपति द्वारा इन श्रेणियों से किसी शिक्षाविद को नामनिर्देशित किया जायेगा।

ख. दो बाह्य विषय विशेषज्ञों सहित कम से कम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति होगी।

तीन– विश्वविद्यालय में आचार्य

विश्वविद्यालय में आचार्य

क. विश्वविद्यालय में आचार्य के पद के लिए चयन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति अन्तर्विष्ट होंगे:

(एक) कुलपति जो समिति का अध्यक्ष होगा।

(दो) कुलाधिपति द्वारा आचार्य से अनिम्न रैंक के शिक्षाविद् को नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(तीन) कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा संबंधित विषय /क्षेत्र में तीन विशेषज्ञों का नामनिर्देशन किया जायेगा।

(चार) संकाय का संकायाध्यक्ष।

(पांच) संबंधित विभाग का अध्यक्ष।

(छह) यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/निःशक्त श्रेणी से संबंध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो और यदि उपरोक्त कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो तो कुलपति द्वारा इन श्रेणियों से किसी शिक्षाविद को नामनिर्देशित किया जायेगा।

ख. दो बाह्य विषय विशेषज्ञों सहित कम से कम चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति होगी।

वरिष्ठ आचार्य

चार–वरिष्ठ आचार्य–

क. विश्वविद्यालय में वरिष्ठ आचार्य के पद के लिए चयन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति अन्तर्विष्ट होंगे–

(एक) कुलपति जो समिति का अध्यक्ष होगा।

(दो) कोई शिक्षाविद, जिसके पास न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो और वह वरिष्ठ आचार्य/आचार्य अनिम्न रैंक का हो, जो कुलाधिपति का नामनिर्देशती होगा।

(तीन) कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा संबंधित विषय/क्षेत्र के तीन विशेषज्ञों का नामनिर्देशन, जो वरिष्ठ आचार्य /आचार्य से अनिम्न रैंक के होंगे और उनके पास न्यूनतम दस वर्षो को अनुभव होगा।

(चार) संबधित संकाय का संकायाध्यक्ष (न्यूनतम दस वर्षों के अनुभव के साथ वरिष्ठ आचार्य/आचार्य से अनिम्न रैंक)।

(पांच) संबधति विभाग का अध्यक्ष (वरिष्ठ आचार्य/आचार्य से अनिम्न रैंक का होगा और उसके पास न्यूनतम दस वर्षों का अनुभव होगा) अथवा वरिष्ठतम आचार्य (वरिष्ठ आचार्य/आचार्य से अनिम्न रैंक का होगा और उसके पास न्यूनतम दस वर्षों का अनुभव होगा)।

(छः) शिक्षाविद (वरिष्ठ आचार्य/आचार्य से अनिम्न रैंक का होगा और उसके पास न्यूनतम दस वर्षों का अनुभव होगा) जो अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/निशक्त श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता हो, यदि इन श्रेणियों से संबंध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो तो, और यदि चयन समिति में कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबधित नहीं हो तो उसे कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा।

(ख) दो बाह्य विषय विशेषज्ञों सहित चार सदस्यों द्वारा गणपूर्ति होगी।

पांच–पुस्तकालयाध्यक्ष, उप–पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिए चयन समितियां क्रमशः आचार्य, सह–आचार्य और सहायक आचार्य के समान ही होंगी, और सिवाय कि पुस्तकालय में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्ष चयन समिति मे एक विषय विशेषज्ञ के रूप में सम्बद्व होंगे।

छ–हायक आचार्यों/पुस्तकालयाध्यक्ष/समकक्ष संवर्गों में एक स्तर से उच्चतर स्तर में सीएएस प्रोन्नति के लिए 'छानबीन सह मूल्यांकन समिति' निम्नानुसार होगी

विश्वविद्यालय के अध्यापक

क. विश्वविद्यालय के अध्यापकों हेतु–

(एक) कुलपति, समिति का अध्यक्ष होगा;

(दो) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष;

(तीन) संबधित विभाग का अध्यक्ष; और

(चार) कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ के पैनलों में से संबंधित विषय के एक विषय विशेषज्ञ को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) छानबीन सह मूल्यांकन समिति, इन विनियमों के आधार पर विनिर्दिष्ट न्यूनतम अपेक्षाओं के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए मूल्यांकन मानदंड और प्रविधि प्रारूप के माध्यम से अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए ग्रेडों का सत्यापन/मूल्यांकन कर

(क) सहायक आचार्य के प्रत्येक संवर्ग के लिए परिशिष्ट दो तालिका –1 में, और

(ख) पुस्तकालयाध्यक्ष के प्रत्येक संवर्ग के लिए परिशिष्ट दो तालिका –4 में;

कार्य परिषद को कार्यान्वयन हेतु सीएएस के अधीन अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) की प्रोन्नति की उपयुक्तता के विषय में सिफारिश करेगी।

(3) चयन प्रक्रिया को चयन समिति की बैठक के दिन अंतिम दिन ही पूरा किया जाएगा, जहां कार्यवृत्त अभिलिखित किया जायेगा और साक्षात्कार में किए गए निष्पादन के आधार पर अनुशंसा की जाएगी जिस पर चयन समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक् हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(4) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी चयन समितियों के लिए विभागाध्यक्ष को जिस रैंक/पद के लिये साक्षात्कार आयोजित किया जाना है, उसके समकक्ष अथवा उच्चतर रैंक/पद में होना चाहिए।

ख–विश्वविद्यालय के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष हेतुः– विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष

(एक) कुलपति, समिति का अध्यक्ष होगा,

(दो) संकाय का संकायाध्यक्ष;

(तीन) पुस्तकालयाध्यक्ष, विश्वविद्यालय पुस्तकालयय और

(चार) विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के पैनल में से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विशेषज्ञ जो कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्ष हो।

नोटः–समस्त श्रेणियों में इन समितियों के लिये तीन सदस्यों द्वारा गणपूर्ति होगी, जिसमें एक विषय विशेषज्ञ/विश्वविद्यालय का नामनिर्देशिति सम्मिलित होगा।

34–चयन प्रक्रिया चयन प्रक्रिया

एक–समग्र चयन प्रक्रिया में आवेदकों के गुणावगुण और प्रत्ययपत्रों के विश्लेषण की पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय प्रविधि सम्मिलित होगी जो विभिन्न सुसंगत मानदंडो में अभ्यर्थी के निष्पादन को दिए गए भारांक और परिशिष्ट दो तालिका – 1, 2, 3 और 4 के आधार पर ग्रेडिंग प्रणाली प्रोफार्मा में उनके निष्पादन पर आधारित होगा। प्रणाली को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए विश्वविद्यालय साक्षात्कार के स्तर पर अध्यापन और अथवा शोध में नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में संगोष्ठियों अथवा कक्षा की स्थिति में व्याख्यान के माध्यम से अध्यापन की योग्यता और अथवा अनुसंधान अभिवृत्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है। जहां कहीं इन परिनियम में चयन समितियां विहित की गई हैं, वहां यह प्रक्रियाएं सीधी भर्ती और सीएसए प्रोन्नति दोनों के लिए अपनाई जा सकती हैं।

दो–विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभागों के लिए परिशिष्ट दो तालिका 1, 2, 3 और 4 को समाहित करते हुए अपने संबंधित सांविधिक निकायों के माध्यम से परिनियम चयन समितियों और चयन प्रक्रिया को अपनाएगा। विश्वविद्यालय इन परिनियम में विनिर्दिष्ट परिशिष्ट दो तालिका 1, 2, 3 और 4 का कड़ाई से अनुपालन करते हुए अध्यापकों के लिए अपना स्व–मूल्यांकन–सह निष्पादन समीक्षा प्रपत्र तैयार कर सकती है।

तीन–यदि विश्वविद्यालय में अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए इसमें उपबंधित समस्त चयन समितियों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिलाओं/निःशक्त श्रेणियों से संबंधित कोई अभ्यर्थी आवेदक है और यदि चयन समिति का कोई सदस्य उस श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो कुलपति द्वारा उक्त श्रेणियों से संबंध रखने वाले किसी शिक्षाविद को नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु इस प्रकार नामनिर्दिष्ट शिक्षाविद आवेदक के संवर्ग के स्तर से एक स्तर ऊपर का होगा और ऐसा नामनिर्देशिती यह सुनिश्चित करेगा कि चयन प्रक्रिया के दौरान उपर्युक्त श्रेणियों संबंधित राज्य सरकार के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

चार–आचार्य के चयन की प्रक्रिया में इस अध्याय के परिशिष्ट दो तालिका 1 और 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यांकन मानदंड और प्रविधि संबंधी दिशानिर्देशों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन आमन्त्रित करना तथा अभ्यर्थियों के महत्वपूर्ण प्रकाशनों का पुनर्मुद्रण करना सम्मिलित है:

परन्तु यह कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रकाशन को अर्हक अवधि के दौरान प्रकाशित किया गया हो:

परन्तु अग्रतर यह कि साक्षात्कार किए जाने से पूर्व ऐसे प्रकाशनों को मूल्यांकन हेतु विषय विशेषज्ञों को उपलब्ध कराया जाएगा। विशेषज्ञ द्वारा किए गए प्रकाशनों के मूल्यांकन को चयन के निष्कर्षों को अंतिम रूप देते समय ध्यान में रखा जाएगा।

पांच–ऐसे संकाय सदस्यों के चयन के मामले में, जो शैक्षणिक क्षेत्र के बाहर से हों तथा जिन पर इस अध्याय के खंड 4.1 (तीन ख), 4.2 (एक ख, दो ख, तीन ख), 4.3 (एक, दो, तीन ख) और 4.4 (तीन ख) के अधीन विचार किया गया हो, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसे उत्कृष्ट पृत्तिक जो विश्वविद्यालयी ज्ञान प्रणाली में पर्याप्त योगदान दे सकते हैं, उनका चयन किया जाय।

छः–कतिपय विधाओं/क्षेत्रों यथा संगीत तथा ललित कला, विजुअल आर्ट्स तथा परफार्मिंग आर्ट्स, और पुस्तकालय जिनमें भिन्न स्वरूप के उत्तरदायित्व होते हैं, से अन्तर्ग्रस्त पदों के चयन प्रक्रिया में, इस अध्याय के विनियम में प्रत्येक पद के समक्ष उल्लिखित दायित्वों के स्वरूप पर बल दिया जाना चाहिए जिस पर सीधी भर्ती तथा सीएएस प्रोन्नति दोनों के लिए प्ररूप को विकसित करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए।

सात–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) दिशानिर्देशों के अनुसार कुलपति की अध्यक्षता में समस्त विश्वविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की स्थापना की जाएगी। आईक्यूएसी, विश्वविद्यालय के लिए प्रलेखन तथा अभिलेखों का रखरखाव करने वाले प्रकोष्ठ के रूप में कार्य करेगा जिसमें इस अध्याय के आधार पर मूल्यांकन मानदंड और प्रविधि प्ररूप विकसित करने में सहायता प्रदान करना सम्मिलित हैं। जहां कहीं भी संभव हो, आईक्यूएसी संस्थागत मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन मानदंड और प्रविधि प्ररूप में प्रत्येक अध्यापक के संबंध में छात्र के मूल्यांकन के घटक को सम्मिलित नही करते हुए एनएएसी दिशानिर्देशों के अनुसार छात्र प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित कर सकता है।

क. सीएएस प्रोन्नति हेतु विश्वविद्यालय के अध्यापकों के निष्पादन का मूल्यांकन निम्नवत मानदंडों पर आधारित है:

(एक) अध्यापन– ज्ञान अर्जन और मूल्यांकनः कक्षा में नियमित रूप से आने, कक्षा में समय पर आने, कक्षा के समय में या उसके बाद सुधारात्मक अध्यापन और संशय मिटाने, परामर्श और मार्गदर्शन, जब आवश्यकता हो तो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में सहायता हेतु अतिरिक्त अध्यापन इत्यादि जैसे ध्यान देने योग्य संकेतकों पर आधारित अध्यापन की वचनबद्धता, परीक्षा और मूल्यांकन कार्यकलाप जैसे परीक्षा पर्यवेक्षण संबंधी कार्य करना, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र बनाना, परीक्षा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में भाग लेना, विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अनुसूची के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन के लिए परीक्षाएं संचालित करना।

(दो) अध्यापन और शोध कार्यकलापों से संबंधित व्यक्तिगत विकासः प्रबोधन/पुनश्चर्या/कार्यविधि पाठ्यक्रम में भाग लेना, ई – विषयवस्तु और एमओओसी का विकास, संगोष्ठियों/सम्मलेनों/कार्यशालाओं का आयोजन/पत्र प्रस्तुत करना और सत्रों की अध्यक्षता करना/शोध परियोजनाओं को मार्गदर्शन प्रदान करना तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में शोध निष्कर्षों का प्रकाशन इत्यादि।

(तीन) प्रशासनिक सहायता और छात्र सह–पाठ्यक्रम और पाठ्येत्तर कार्यकलापों में सहभागिता।

मूल्यांकन प्रक्रिया

ख. मूल्यांकन प्रक्रिया–

सभी स्तरों पर सीएएस के अधीन प्रोन्नति हेतु मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित तीन चरणों वाली प्रक्रिया की सिफारिश की जाती है:

पहला चरण–विश्वविद्यालय के अध्यापक विहित प्ररूप में वार्षिक स्व–मूल्यांकन रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेंगे जिसे परिशिष्ट दो की तालिका 1 से 4 के आधार पर बनाया जाएगा। यह रिपोर्ट निर्धारित समय में प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में प्रस्तुत की जानी चाहिए। अध्यापक, वार्षिक स्व–मूल्यांकन रिपोर्ट में किए गए दावों के लिए साक्ष्यों के दस्तावेज उपलब्ध करायेंगे। जो विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित किया जायेगा। इसे विभागाध्यक्ष (एचओडी) के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

दूसरा चरण–सीएएस के अधीन प्रोन्नति हेतु आवश्यक वर्षों के अनुभव को पूर्ण किए जाने और नीचे उपदर्शित अन्य अपेक्षाओं को पूरा किए जाने के पश्चात् अध्यापक सीएएस के अधीन आवेदन प्रस्तुत करेगा।

तीसरा चरण–सीएएस प्रोन्नति इस अध्याय के खण्ड 6.4 में उल्लिखित पद्धति के अनुसार प्रदान की जाएगी।

(1) मूल्यांकन मानदण्ड और प्रविधि– मूल्यांकन मानदण्ड और प्रविधि

(क) परिशिष्ट दो की तालिका 1 से 3, विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य/ सह–आचार्य /आचार्य /वरिष्ठ आचार्य के चयन के लिए लागू है; और

(ख) परिशिष्ट दो की तालिका 4, कॅरियर उन्नति योजना के अधीन प्रोन्नति हेतु सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष और उप पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए लागू है।

(2) उक्त संवर्गों के लिए चयन समिति का गठन और चयन प्रक्रिया तथा मूल्यांकन मानदण्ड और प्रविधि चाहे वह सीधी भर्ती के लिए हो या कॅरियर उन्नति योजना के अधीन हो, इस अध्याय के अनुसार होगी।

(3) इस अध्याय के अधीन निर्धारित कॅरियर उन्नति योजना के अधीन प्रोन्नतियों के लिए मानदण्ड, यूजीसी गजट अधिसूचना दिनांक 18.07.2018 में प्रकाशित यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार प्रभावी होंगे। तथापि, पहले से अर्हित अथवा शीघ्र अर्ह होने वाले संकाय के सदस्यों की कठिनाई कम करने के लिए उन्हें प्रोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए विकल्प दिया जा सकता है, यह विकल्प यूजीसी गजट अधिसूचना दिनांक 18.07.2018 में प्रकाशित यू0जी0सी0 विनियम, 2018 की अधिसूचना के दिनांक से केवल तीन वर्ष तक प्रयोग में लाया जा सकता है।

(एक) सीएएस के अधीन प्रोन्नति हेतु विचार किए जाने के इच्छुक अध्यापक को, अंतिम दिनांक से तीन माह के भीतर अग्रिम रूप में विश्वविद्यालय को लिखित में यह प्रस्तुत करना होगा कि वह सीएएस के अधीन समस्त अर्हताओं को पूरा करता है/करती है और इस अध्यादेश में दिये गये मूल्यांकन मानदण्ड और प्रविधि दिशानिर्देशों के अनुसार समस्त प्रत्यय पत्रों सहित, विश्वविद्यालय द्वारा विकसित मूल्यांकन मानदण्ड और प्रविधि प्ररूप विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीएएस के अधीन विभिन्न पदों के लिए चयन समिति की बैठकों के आयोजन में किसी विलंब से बचने के लिए विश्वविद्यालय जांच / चयन की प्रक्रिया आरंभ कर सकता है और आवेदन प्राप्ति से छः माह के भीतर प्रक्रिया को पूरा करेगा। इसके अतिरिक्त इस अध्याय के अधिसूचित होने के दिनांक को अथवा तक इस अध्याय में दिए गए समस्त अन्य मानदण्डों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों की कठिनाई को कम करने के लिए उन पर इन पात्रता शर्तों को पूरा करने की तिथि के बाद से अथवा उस तिथि से प्रोन्नति हेतु विचार किया जा सकता है।

(दो) खण्ड 4.1 से 4.4 में यथा अंतर्विष्ट चयन समिति संबंधी विनिर्दिष्टताएं संकाय पदों अथवा समकक्ष संवर्गों और सहायक आचार्य से सह–आचार्य, सह–आचार्य से आचार्य, आचार्य से वरिष्ठ आचार्य (विश्वविद्यालय में) और समकक्ष संवर्गों के लिए सभी सीधी भर्ती तथा कॅरियर उन्नति योजना के लिए लागू होंगे।

(तीन) सहायक आचार्य के एक निचले स्तर से ऊंचे स्तर तक सीएएस प्रोन्नति परिशिष्ट–दो की तालिका 1 में विनिर्दिष्ट मानदण्डों को पालन करते हुए एक "जाँच सह मूल्यांकन समिति" के माध्यम से संचालित की जाएगी।

(चार) सीएएस के अधीन प्रोन्नति मूल संस्वीकृत पद को धारण करने वाले अध्यापक की वैयक्तिक प्रोन्नति है, उसकी अधिवर्षता पर उक्त पद मूल संवर्ग में वापस चला जाएगा।

(पांच) सीएएस के अधीन प्रोन्नति के लिए आवेदक अध्यापक को चयन समिति द्वारा विचार किए जाने वाले दिनांक को विश्वविद्यालय की सक्रिय सेवा और भूमिका में होना चाहिए।

(छ) यदि अभ्यर्थी सुसंगत मूल्यांकन मानदण्ड और प्रविधि तालिकाओं में विनिर्दिष्ट न्यूनतम ग्रेडिंग को पूरा करता/करती है तो वह आवेदन तथा अपेक्षित मूल्यांकन मानदण्ड और प्रविधि प्रारूप प्रस्तुत करते हुए प्रोन्नति हेतु मूल्यांकन के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेगा/करेगी। ऐसा वह अंतिम दिनांक से तीन माह पूर्व कर सकता/सकती है। विश्वविद्यालय, पात्र अभ्यर्थी से सीएएस प्रोन्नति हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिए वर्ष में दो बार एक सामान्य परिपत्र निकालेगा।

एक–यदि एक अभ्यर्थी न्यूनतम पात्रता अवधि के पूर्ण होने पर प्रोन्नति के लिए आवेदन करता है और सफल हो जाता तो प्रोन्नति का दिनांक पात्रता की न्यूनतम अवधि को पूर्ण किये जाने का दिनांक होगा।

दो–तथापि, यदि अभ्यर्थी को पता चलता है कि वह परिशिष्ट दो की तालिकाओं 1, 2 और 4 में यथा विनिर्दिष्ट सीएएस प्रोन्नति मानदण्डों को किसी पश्चातवर्ती दिनांक को पूरा करेगा और वह उस दिनांक को आवेदन करता है तथा सफल हो जाता है तो उसकी प्रोन्नति उसके द्वारा पात्रता मानदण्ड पूरा करने के दिनांक से प्रभावी होगी।

तीन–ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम मूल्यांकन में सफल नहीं हो पाते है उनका पुनर्मूल्यांकन एक वर्ष के पश्चात ही किया जाएगा। जब ऐसे अभ्यर्थी पारिणामिक मूल्यांकन में सफल हो जाते हैं तो उनकी प्रोन्नति अस्वीकृति के दिनांक से एक वर्ष मानी जाएगी।

चार–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा मे मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय, संबंधी विनियम, 2010 और इसमें बाद में किए गए संशोधनों में यथा उपबंधित कॅरियर उन्नति योजना के अधीन एक अकादमिक स्तर/ग्रेड वेतन से दूसरे अकादमिक स्तर/ग्रेड वेतन में प्रोन्नतियों के लंबित मामलो के संबंध मे अध्यापक को एक अकादमिक स्तर/ग्रेड वेतन से दूसरे अकादमिक स्तर/ग्रेड वेतन में प्रोन्नति पर विचार किए जाने हेतु निम्नानुसार विकल्प दिया जाएगा:

(क) इस अध्याय के अधीन अध्यापकों के, एक अकादमिक स्तर /ग्रेड वेतन से दूसरे में प्रोन्नति हेतु सीएएस के अनुसार विचार किया जाएगा।

अथवा

(ख) एक अकादमिक स्तर/ग्रेड वेतन से दूसरे में प्रोन्नति हेतु संकाय के सदस्यो पर सीएएस के अनुसार विचार किया जाएगा जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2010 तथा इसमें बाद मे किए गए संशोधनो पर आधारित होगा जिसमें इस अध्याय की अधिसूचना के दिनांक तक अकादमिक निष्पादन संकेतकों (एपीआई) पर आधारित निष्पादन आधारित मूल्यांकन पद्धति (पीबीएएस) की अर्हताओं में छूट प्रदान की जाएगी।

सारणी–क

विश्वविद्यालय के विभागों मे सीएएस के अधीन अध्यापकों की प्रोन्नति के लिये अपेक्षित न्यूनतम ए0पी0आई0

क्रम संख्या		सहायक आचार्य स्टेज–1/ ए0जी0पी0 रू0 6000/– स्टेज–2/ ए0जी0पी0 रू0 7000/–	सहायक आचार्य स्टेज–2/ ए0जी0पी0 रू0 7000/– स्टेज–3/ ए0जी0पी0 रू0 8000/–	सहायक आचार्य स्टेज–3/ ए0जी0पी0 रू0 8000/– सह–आचार्य स्टेज–4/ ए0जी0पी0 रू0 9000/–	सह–आचार्य स्टेज–4/ ए0जी0पी0 रू0 9000/– आचार्य स्टेज–5/ ए0जी0पी0 रू0 10000/–
1	अनुसंधान एवं शैक्षणिक योगदान (श्रेणी तीन)	40/मूल्यांकन अवधि	100/ मूल्यांकन अवधि	90/ मूल्यांकन अवधि	120/ मूल्यांकन अवधि
2	विशेषज्ञ मूल्यांकन प्रणाली	स्क्रीनिंग समिति	स्क्रीनिंग समिति	चयन समिति	चयन समिति

सारणी–ख

विश्वविद्यालय में सीएएस के अधीन पुस्तकालय कर्मचारिवृन्द की प्रोन्नति के लिये न्यूनतम अपेक्षित ए0पी0आई0

क्रम संख्या		सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष स्टेज–1 / ए0जी0पी0 रू0 6000 /– स्टेज–2 / ए0जी0पी0 रू0 7000 /–	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष स्टेज–2 / ए0जी0पी0 रू0 7000 /– स्टेज–3 / ए0जी0पी0 रू0 8000 /–	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष चयन ग्रेड / उप पुस्तकालयाध्यक्ष स्टेज–3 / ए0जी0पी0 रू0 8000 /– उप पुस्तकालयाध्यक्ष स्टेज–4 / ए0जी0पी0 रू0 9000 /–	उप पुस्तकालयाध्यक्ष स्टेज–4 / ए0जी0पी0 रू0 9000 /– उप पुस्तकालयाध्यक्ष स्टेज–5 / ए0जी0पी0 रू0 10000 /–
1	अनुसंधान एवं शैक्षणिक योगदान (श्रेणी तीन)	40 / मूल्यांकन अवधि	100 / मूल्यांकन अवधि	90 / मूल्यांकन अवधि	120 / मूल्यांकन अवधि
2	विशेषज्ञ मूल्यांकन प्रणाली	स्क्रीनिंग समिति	स्क्रीनिंग समिति	चयन समिति	चयन समिति

आठ–सीएएस के अधीन प्रोन्नतियों के लिए प्रबोधन पाठ्यक्रम और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की अपेक्षा दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक अनिवार्य नहीं होगी।

भाग–तीन

35–कॅरियर उन्नति योजना के अधीन पदधारी और नव–नियुक्त सहायक आचार्य / सह–आचार्य / आचार्यों की प्रोन्नति के चरण सीएएस के अधीन प्रोन्नति

क– प्रवेश स्तर पर सहायक आचार्य (स्तर 10), कॅरियर उन्नति योजना (सीएएस) के अधीन प्रोन्नति लिए दो क्रमिक स्तरों (स्तर 11 और स्तर 12) के माध्यम से पात्र होंगे बशर्ते वे इस अध्याय के खण्ड 6.3 में निर्धारित पात्रता और निष्पादन मानदण्ड को पूरा करते हों।

ख– महाविद्यालय के अध्यापकों के लिए कॅरियर उन्नति योजना (सीएएस)

एक–सहायक आचार्य (अकादमिक स्तर 10) से सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान / अकादमिक स्तर 11)

ग– योग्यता योग्यता

(एक) ऐसे सहायक आचार्य जिन्होंने सेवा में चार वर्ष पूरे कर लिए हों और पीएचडी की उपाधि धारक हो अथवा सेवा में पांच वर्ष पूरे कर लिए हों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में एमफिल / स्नातकोत्तर उपाधि धारक हों जैसे एलएलएम, एम0टेक0, एम0वी0एससी, और एम0डी0 अथवा जो व्यावसायिक पाठयक्रमों में पीएचडी / एम0फिल / स्नातकोत्तर की उपाधि धारक नहीं हो और जिन्होंने सेवा में छह वर्ष पूरे कर लिए हो और निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करते हों,

(दो) शिक्षण प्रविधि पर 21 दिवस की अवधि के एक प्रबोधन पाठ्यक्रम में भाग लिया हो; और

(तीन) निम्नलिखित में से किसी एक कार्यक्रम में भाग लिया हो— पुनश्चर्या/शोध प्रविधि पाठ्यक्रम/कार्यशाला, पाठ्यचर्या उन्नयन कार्यशाला/प्रशिक्षण शिक्षण— ज्ञान अर्जन मूल्यांकन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम/कम से कम एक सप्ताह (5 दिवस) की अवधि का संकाय विकास कार्यक्रम अथवा मूल्यांकन अवधि के दौरान एक एमओओसी पाठ्यक्रम (ई— प्रमाणन के साथ) पूरा किया हो अथवा चार चतुर्थांश में ई—विषयवस्तु का विकास/एमओओसी पाठ्यक्रम पूरा किया हो; और

(चार) मूल्यांकन अवधि के दौरान समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नल में एक शोध प्रकाशन प्रकाशित हुआ हो।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्ड

घ—सीएएस प्रोन्नति मानदण्ड:

किसी अध्यापक को प्रोन्नत किया जा सकता है यदि—

एक—उसे मूल्यांकन अवधि के पिछले चार/पाँच/छह वर्षों में से कम से कम तीन—चार—पाँच, इनमें से जो भी लागू हो, वर्ष की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हो, जैसा कि परिशिष्ट दो, सारणी 1 में यथाविनिर्दिष्ट है, और

दो—प्रोन्नति की सिफारिश छानबीन सह मूल्यांकन समिति द्वारा की गई हो।

तीन—सहायक आचार्य (ज्येष्ठ वेतनमान/अकादनिक स्तर 11) से सहायक आचार्य (चयन श्रेणी/अकादमिक स्तर 12)

योग्यता

योग्यता

एक—ऐसे सहायक आचार्य जिन्होने वेतनमान अकादमिक स्तर 11/ज्येष्ठ वेतनमान में पाच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

दो—संगत /संबद्ध/संगत विषय मे पी0एच0डी0 की उपाधि प्राप्त की हो।

तीन—अकादमिक स्तर—11/ज्येष्ठ वेतनमान के पिछले पांच वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से कोई दो किए हो: मूल्यांकन की अवधि के दौरान कम से कम दो सप्ताह (10 दिन) की अवधि [अथवा कम से कम दो सप्ताह (दस दिनों) की अवधि के प्रत्येक एकल पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (पांच दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों] के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम /शोध कार्यविधि पाठ्यक्रम /कार्यशालाओं /पाठ्यचर्या उन्नयन कार्यशाला /शिक्षण— ज्ञान अर्जन— मूल्यांकन/ प्रौद्योगिकी कार्यक्रम /संकाय विकास कार्यक्रम /पाठ्यक्रम पूर्ण किए हो अथवा संगत विषय में (ई—प्रमाणन) सहित एमओओसी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो; एक पाठ्यक्रम के कम से कम 10 मॉड्यूल के 4 चतुर्थांश (कम से कम एक चतुर्थांश) में ई— विषयवस्तु के विकास में योगदान दिया हो /एमओओसी पाठ्यक्रम संचालित करने में योगदान दिया हो।

चार—मूल्यांकन अवधि के दौरान समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नल में तीन शोध प्रकाशन प्रकाशित हुआ हो।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्ड

घ—सीएएस प्रोन्नति मानदण्ड:

किसी अध्यापक को प्रोन्नत किया जा सकता है यदि:—

एक—मूल्यांकन अवधि के पिछले पाँच वर्षों में से कम से कम चार इनमें से जो भी लागू हो, वर्ष की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में संतोषजनक अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हो (जैसा कि परिशिष्ट दो सारणी 1 में यथाविहित किया गया है)।

दो—प्रोन्नति की सिफारिश छानबीन सह मूल्यांकन समिति द्वारा की गई हो।

तीन—सहायक आचार्य (चयन वेतनमान/अकादमिक स्तर 12) से सह—आचार्य (अकादमिक स्तर 13 क)

योग्यता मानदण्ड

योग्यता मानदण्ड:

एक—ऐसे सहायक आचार्य जिन्होने अकादमिक स्तर 12 /चयन वेतनमान में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण की हो।

दो—संगत /संबद्ध /संगत विषय में पी0एच0डी की उपाधि प्राप्त की हो।

तीन–पिछले तीन वर्षों दौरान निम्नलिखित से कोई एक कार्यक्रम/पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों मूल्यांकन की अवधि के दौरान कम से कम दो सप्ताह (10 दिन) की अवधि [अथवा कम से कम दो सप्ताह (दस दिनों) की अवधि के प्रत्येक एकल पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (पांच दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों] के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/कार्यविधि कार्यशाला/पाठ्यचर्या उन्नयन कार्यशाला/शिक्षण–ज्ञान अर्जन मूल्यांकन/ प्रौद्योगिकी कार्यक्रम/संकाय विकास कार्यक्रम श्रेणी के कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में से कम से कम एक कार्यक्रम/पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो, अथवा संगत विषय में (ई–प्रमाणन) सहित एमओओसी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो, एक पाठ्यक्रम के कम से कम 10 मॉड्यूल के 4 चतुर्थांश (कम से कम एक चतुर्थांश) में ई–विषयवस्तु के विकास में योगदान दिया हो/एमओओसी पाठ्यक्रम संचालित करने में योगदान दिया हो।

चार–समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नल में कम से कम सात प्रकाशन जिनमें से तीन शोध पत्र मूल्यांकन अवधि में प्रकाशित हुआ हो।

पांच–कम से कम एक पीएच.डी अभ्यर्थी का मार्गदर्शन करने के साक्ष्य हो।

घ–सीएएस प्रोन्नति मानदण्ड: सीएएस प्रोन्नति मानदण्ड

किसी अध्यापक को प्रोन्नत किया जा सकता है यदि:–

एक–जैसा कि परिशिष्ट दो सारणी 1 में विनिर्दिष्ट है, मूल्यांकन अवधि के पिछले तीन वर्षों में से निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हो, और परिशिष्ट दो सारणी–2 के अनुसार कम से कम 70 शोध अंक प्राप्त किए हों।

दो–इस अध्याय के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा प्रोन्नति की सिफारिश की गई हो।

चार–सह–आचार्य (अकादमिक स्तर 13क) से आचार्य (अकादमिक स्तर 14)

योग्यता:

(एक) ऐसे सह–आचार्य जिन्होंने अकादमिक स्तर 13क में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(दो) संबंधित /संबद्ध /संगत विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की हो।

(तीन) समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम दस शोध प्रकाशन पत्र मूल्यांकन अवधि के दौरान प्रकाशित हुए हों।

(चार) पीएच.डी अभ्यर्थी का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन करने के साक्ष्य हो।

(पांच) परिशिष्ट –दो सारणी 2 के अनुसार न्यूनतम 110 शोध अंक प्राप्त किए हों।

ङ–सीएएस प्रोन्नति मानदण्ड: सीएएस प्रोन्नति मानदण्ड

किसी अध्यापक को प्रोन्नत किया जा सकता है यदि:–

(एक) यदि उसे परिशिष्ट– दो सारणी 1 में यथा विहित मूल्यांकन अवधि के पिछले तीन वर्षों में से निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हो तथा परिशिष्ट – दो सारणी 2 के अनुसार न्यूनतम 110 शोध अंक प्राप्त किए हों।

(दो) इन विनियमो के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा प्रोन्नति की सिफारिश की गई हो।

पांच–आचार्य (अकादमिक स्तर 14) से ज्येष्ठ आचार्य (अकादमिक स्तर 15)

सीएएस के अधीन एक आचार्य की वरिष्ठ आचार्य के पद पर प्रोन्नति की जा सकती है। प्रोन्नति शैक्षणिक उपलब्धि, तीन ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञों जो न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त ज्येष्ठ आचार्य अथवा आचार्य से अनिम्न रैंक के हो की अनुकूल समीक्षा पर आधारित होगा। प्रख्यात विषय विशेषज्ञों, जो चयन पिछले 10 वर्षों के दौरान 10 सर्वोत्तम प्रकाशनों और इस अध्याय के अनुसार गठित चयन समिति के साथ विचार–विमर्श के आधार पर होगा।

योग्यता

योग्यताः

एक–आचार्य के पद पर दस वर्ष का अनुभव।

दो–समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नलों में न्यूनतम दस प्रकाशन और पी०एच०डी० मूल्यांकन अवधि के दौरान उनके पर्यवेक्षण में दो अभ्यर्थियों को सफलतापूर्वक उपाधि प्रदान की गई हो।

ज–पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए कॅरियर उन्नति योजना (सीएएस)

नोटः

एक–निम्नलिखित उपबंध केवल उन व्यक्तियों पर लागू है जो पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षण से नहीं जुड़े हों। जिन संस्थानों में पुस्तकालय विज्ञान एक शिक्षण विभाग है वहां के शिक्षक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिये क्रमशः इस अध्याय की धारा 6.4 (ख) में दिये गये उपबंधों के अधीन आच्छादित होंगे।

दो–विश्वविद्यालयों में उप पुस्तकालयाध्यक्ष के दो स्तर होंगे अर्थात् अकादमिक स्तर 13क और अकादमिक स्तर 14।

झ–विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (अकादमिक स्तर 10) से विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (ज्येष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 11)

योग्यता

योग्यताः

एक सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष जो कि अकादमिक स्तर 10 में हो और पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखीकरण विज्ञान में पी०एच०डी० की उपाधि धारण करते हुये चार वर्ष की सेवा पूर्ण की हो अथवा समकक्ष उपाधि धारक हो अथवा पांच वर्ष का अनुभव हो, कम से कम एम०फिल० की उपाधि के साथ पांच वर्ष का अनुभवधारी हो अथवा जो अभ्यर्थी न्यूनतम एम०फिल० की डिग्री अथवा पीएच.डी की उपाधि नहीं हो उनका छह वर्षों का सेवाकाल हो।

एक–उसने 21 दिवस की अवधि के कम से कम एक प्रबोधन पाठ्यक्रम में भाग लिया हो और

दो–परिशिष्ट–दो सारणी 4 के अनुसार कम से कम 5 दिवस का स्वचालन और डिजिटलीकरण रख–रखाव और संबद्ध क्रियाकलापों पर प्रशिक्षण, संगोष्ठी अथवा कार्यशाला में भाग लिया हो।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्ड

सीएएस प्रोन्नति मानदण्डः

एक सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष को प्रोन्नति दी जा सकती है यदि उसनेः–

(एक) यदि उसे मूल्यांकन अवधि के पिछले चार/पांच/छः वर्षों में से कम से कम तीन/चार/पांच वर्षों जैसा भी मामला हो, की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में संतोषजनक अथवा अच्छे ग्रेड प्राप्त हुए हो, जैसा कि परिशिष्ट–दो सारणी –4 में यथाविनिर्दिष्ट है, और

(दो) प्रोन्नति की सिफारिश छानबीन सह मूल्यांकन समिति द्वारा की गई हो।

दो–विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (ज्येष्ठ वेतनमान/अकादमिक स्तर 11) से विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन वेतनमान/अकादमिक स्तर 12)

योग्यता

योग्यताः

1–उन्होंने उस वेतनमान में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

2–उन्होंने पिछले पांच वर्षों में निम्नलिखित में से कोई दो कार्य किये हो।

(एक) स्वचालन और डिजिटलीकरण पर प्रशिक्षण/संगोष्ठी/कार्यशाला/पाठ्यक्रम, (दो) परिशिष्ट –दो सारणी 4 के अनुसार कम से कम दो सप्ताह (दस दिवस) की अवधि तक के रख–रखाव और अन्य संबद्ध कार्यकलाप [अथवा कम से कम दो सप्ताह (दस दिवस) के प्रत्येक पाठ्यक्रम / कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (पांच दिवस) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों], (तीन) सुसंगत विषय में (ई–प्रमाणन के साथ) एमओओसी पाठ्यक्रम किया हो / विकसित किया हो अथवा (चार) पुस्तकालय उन्नयन पाठ्यक्रम किया हो।

(ञ) सीएएस प्रोन्नति मानदण्डः

किसी व्यक्ति विशेष को प्रोन्नत किया जा सकता है, यदिः–

(एक) यदि उसे मूल्यांकन अवधि के पिछले पांच वर्षों में से कम से कम चार वर्षों के दौरान वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हो, जैसा कि परिशिष्ट दो सारणी 4 में यथाविनिर्दिष्ट है, और (दो) प्रोन्नति की सिफारिश छानबीन सह मूल्यांकन समिति द्वारा की गई हो।

विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन वेतनमान /अकादमिक स्तर 12) से विश्वविद्यालय उप पुस्तकालयाध्यक्ष (अकादमिक स्तर 13क)

योग्यता:

1–उन्होंने उस वेतनमान में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

2–उन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से कोई दो कार्य किये हो।

(एक) स्वचालन और डिजिटलीकरण पर प्रशिक्षण / संगोष्ठी/कार्यशाला/पाठ्यक्रम, (दो) परिशिष्ट –दो सारणी 4 के अनुसार कम से कम दो सप्ताह (दस दिवस) की अवधि तक के रख–रखाव और अन्य अन्य संबद्ध कार्यकलाप (तीन) कम से कम दो सप्ताह (दस दिवस) के प्रत्येक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (पांच दिवस) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हो, (चार) सुसंगत विषय में (ई–प्रमाणन के साथ) एमओओसी पाठ्यक्रम किया हो/विकसित किया हो और (पांच) पुस्तकालय उन्नयन पाठ्यक्रम किया हो।

(ट) सीएएस प्रोन्नति मानदंड: सीएएस प्रोन्नति मानदंड

किसी व्यक्ति विशेष को प्रोन्नत किया जा सकता है, यदि:–

(एक) यदि उसे मूल्यांकन अवधि के पिछले तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्षों के दौरान वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हो, जैसा कि परिशिष्ट दो सारणी 4 में यथाविनिर्दिष्ट है; और

(दो) प्रोन्नति की सिफारिश साक्षात्कार में निष्पादन के आधार पर इस अध्याय के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा की जाएगी।

चार–विश्वविद्यालय उप पुस्तकालयाध्यक्ष (अकादमिक स्तर 13 क) से विश्वविद्यालय उप पुस्तकालयाध्यक्ष (अकादमिक स्तर 14) में सीएएस प्रोन्नति के लिए निम्नलिखित मानदण्ड होंगे:

योग्यता:

1–उन्होंने उस वेतनमान में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

2–उन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से किन्हीं एक कार्यक्रम में भाग लिया हो;

(एक) स्वचालन और डिजिटलीकरण के संबंध में प्रशिक्षण /संगोष्ठी / कार्यशाला /पाठ्यक्रम, (दो) परिशिष्ट –दो सारणी 4 के अनुसार कम से कम दो सप्ताह (दस दिवस) की अवधि तक के रख–रखाव और अन्य संबद्ध कार्यकलाप (तीन) कम से कम दो सप्ताह (दस दिवस) के प्रत्येक पाठ्यक्रम / कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (पांच दिवस) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों, (चार) सुसंगत विषय में (ई–प्रमाणन के साथ) एमओओसी पाठ्यक्रम किया हो /विकसित किया हो और (पांच) अथवा पुस्तकालय उन्नयन पाठ्यक्रम किया हो।

3–पुस्तकालय आईसीटी समेकन सहित नवोन्मेषी पुस्तकालय सेवाओं के साक्ष्य हो

4–पुस्तकालय विज्ञान /सूचना विज्ञान /प्रलेखीकरण/अभिलेख और पाण्डुलिपि संरक्षण में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की हो।

ठ–सीएएस प्रोन्नति मानदण्ड सीएएस प्रोन्नति मानदण्ड

किसी व्यक्ति विशेष को प्रोन्नत किया जा सकता है, यदि:–

(एक) यदि उसे मूल्यांकन अवधि के पिछले तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्षों के दौरान वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हो, जैसा कि परिशिष्ट दो सारणी 4 में यथाविनिर्दिष्ट है, और

(दो) प्रोन्नति की सिफारिश साक्षात्कार में निष्पादन के आधार पर इस अध्याय के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा की जाएगी।

(5) इस व्यवसाय में आने वाले उच्च मैरिट उच्च गुणवत्ता के अनुसंधान प्रकाशनों की अधिक संख्या और समुचित स्तर पर अनुभव वाले सह– आचार्य अथवा आचार्य का अग्रिम वेतन वृद्धि का विवेकपूर्ण पुरस्कार, संकाय में अन्य अध्यापकों के वेतन ढांचे और मेरिट विशिष्ट कार्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले की मैरिट के संदर्भ में व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करते समय चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर संबधित विश्वविद्यालय अथवा भर्ती करने वाली संस्था के उपयुक्त प्राधिकारी की सक्षमता पर आधारित होगा। अग्रिम वेतन वृद्धि का यह विवेकपूर्ण पुरस्कार उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो सहायक आचार्य/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के रूप में इस पेशे में आते हैं और जो पीएचडी, एमफिल अथवा एमटेक और एलएलएम की उपाधि प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पात्र है। तथापि चयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय और रिकॉर्ड के अनुसार सेवा में आने वाले ऐसे सहायक आचार्य/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा और खेलकूद अग्रिम वेतनवृद्धि के विवेकपूर्ण पुरस्कार के पात्र हो सकते हैं जिनके पास पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् पोस्ट डॉक्टोरल शिक्षा शोध अनुभव और सिद्ध पूर्ववृत्त हो ।

(6) सी.ए.एस. के अधीन सीधी भर्ती और प्रोन्नति हेतु पिछली सेवाओं की गणना करना–

सहायक आचार्य, सह– आचार्य, आचार्य अथवा किसी अन्य नाम से जाने वाले रूप में एक अध्यापक को सी.ए.एस. के अंतर्गत सीधी भर्ती और प्रोन्नति हेतु विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं अथवा सीएसआईआर, आईसीएआर डीआरडीओ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आईसीएसएसआर, आईसीएचआर, आईसीएमआर और डीबीटी जैसे अन्य वैज्ञानिक/व्यावसायिक संगठनों में सहायक आचार्य, सह–आचार्य अथवा आचार्य अथवा समकक्ष के रूप में पूर्व नियमित सेवा, चाहे राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय हो की गणना की जानी चाहिए, बशर्ते कि–

क– धारित पद की अनिवार्य अर्हताएं सहायक आचार्य, सह– आचार्य और आचार्य, जैसी भी स्थिति हो, के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई अर्हताओं से कम नहीं हो।

ख– पद, सहायक आचार्य (व्याख्याता), सह– आचार्य (उपाचार्य) और आचार्य के पद के रूप में समकक्ष श्रेणी का हो / था अथवा पूर्व संशोधित वेतनमान पर हो रहा हो।

ग– संबंधित सहायक आचार्य, सह–आचार्य और आचार्य के पास सहायक आचार्य, सह–आचार्य और आचार्य, जैसी भी स्थिति हो, के पद पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं होनी चाहिए।

घ– ऐसी नियुक्तियों के लिए संबंधित विश्वविद्यालय / राज्य सरकार/केंद्र सरकार/संस्थानों की निर्धारित चयन प्रक्रिया के निर्धारित विनियमों के अनुसार पद भरे गए हों।

ङ– किसी भी अवधि के दौरान पूर्व नियुक्ति अतिथि व्याख्याता के रूप में नहीं की गई हो।

च– पूर्व तदर्थ अथवा अस्थाई अथवा परिशिष्ट सेवा (जिस भी नाम से इसे जाना जाए) की सीधी भर्ती और प्रोन्नति हेतु गणना की जाएगी, परन्तु यह कि

(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायक आचार्य, सह–आचार्य और आचार्य, जैसी भी स्थिति हो, हेतु अनिवार्य अर्हताएं आवश्यक धारित पद की आवश्यक अर्हताओं से कम ना हो;

(दो) पदधारी की नियुक्ति, विधिवत रूप से गठित चयन समिति/संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों पर की गई हो;

(तीन) पदधारी नियमित आधार पर नियुक्त किए गए सहायक आचार्य, सह–आचार्य और आचार्य, जैसी भी स्थिति हो, के मासिक सकल वेतन से कम कुल सकल परिलब्धियां प्राप्त नहीं कर रहे हो, और

छ– इस खंड के अंतर्गत विगत सेवा की गणना करते समय संस्थान (निजी/स्थानीय निकाय/सरकारी), जहां पूर्व सेवाएं प्रदान की गई थी, की प्रबंधन के स्वरूप का संदर्भ देते समय कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

36–(1) परिवीक्षा और स्थायीकरण की अवधि

परिवीक्षा और स्थायीकरण की अवधि

(क) किसी अध्यापक की परिवीक्षा की न्यूनतम अवधि एक वर्ष होगी, जिसे असंतोषजनक प्रदर्शन किए जाने की स्थिति में एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।

(ख) परिवीक्षाधीन अध्यापक को एक वर्ष के अंत में स्थायी किया जाएगा, जब तक कि पहले वर्ष की समाप्ति से पूर्व किसी विनिर्दिष्ट आदेश के माध्यम से इस अवधि को एक और वर्ष बढ़ाया ना गया हो।

(ग) इस विनियम के खंड 11 के अध्यधीन विश्वविद्यालय/संबंधित संस्थान के लिए यह अनिवार्य है कि वह संतोषजनक कार्य निष्पादन के सत्यापन की यथावत प्रक्रिया के अनुसरण के पश्चात् परिवीक्षा अवधि के पूरा होने के 45 दिनों के भीतर पदधारियों को स्थायी करने का आदेश जारी करें।

(घ) परिवीक्षा और स्थायीकरण नियमों को विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी केवल भर्ती के शुरूआती चरण पर ही लागू किया जाएगा।

(ड) परिवीक्षा और स्थायीकरण संबंधी राज्य सरकार के अन्य समस्त नियम यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(2) अध्यापकों के पदों का सृजन और उनका भरा जाना

(क) जहां तक व्यवहार्य हो विश्वविद्यालयों में अध्यापकों का पद पिरामिड क्रम में सृजित किए जाएं, उदाहरण के लिए आचार्य के एक पद के लिए प्रति विभाग सह–आचार्य के दो पद और सहायक आचार्यों के चार पद होने चाहिए।

(ख) विश्वविद्यालय प्रणाली में समस्त स्वीकृत/अनुमोदित पद तत्काल आधार पर भरे जाएंगे।

37–संविदा आधार पर नियुक्तियां

संविदा आधार पर नियुक्तियां

संविदा आधार पर अध्यापक की नियुक्ति तभी की जानी चाहिए जब पूर्ण रूप से अनिवार्य हो और जब छात्र अध्यापक का अनुपात निर्धारित मानदंड पर खरा न उतरता हो ऐसे किसी मामले में उक्त नियुक्तियों की संख्या महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में संकाय पदों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्हें नियुक्त करने संबंधी अर्हताएं और चयन प्रक्रिया वही होनी चाहिए जो नियमित आधार पर नियुक्त किए गए अध्यापकों पर लागू होती हैं। उक्त अनुबंधित अध्यापकों को दी गई निर्धारित परिलब्धियां नियमित आधार पर नियुक्त किए गए सहायक आचार्य के मासिक सकल वेतन से कम नहीं होनी चाहिए। प्रारंभ में ऐसी नियुक्तियां एक शैक्षणिक सत्र से अधिक के लिए नहीं होनी चाहिए और ऐसे किसी नए अध्यापक के कार्य निष्पादन की अन्य सत्र हेतु संविदा आधार पर नियुक्त करने से पहले शैक्षणिक उपलब्धियों की समीक्षा किया जाना चाहिए। जब प्रसूति छुट्टी, बालचर्या छुट्टी इत्यादि के कारण उद्भूत रिक्तियां भरना पूर्ण रूप से अनिवार्य हो, तभी संविदा आधार पर ऐसी नियुक्तियां की जानी चाहिए।

भाग–चार

38–विश्वविद्यालय के कुलपति का चयनः

कुलपति का चयन

एक–सर्वोच्च स्तर की सक्षमता, सत्यनिष्ठता, नैतिकता और संस्था के प्रति प्रतिबद्धता सम्पन्न व्यक्ति को ही कुलपति नियुक्त किया जाएगा। कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाने वाला व्यक्ति एक विश्वविद्यालय में कम से कम दस वर्षों के लिए आचार्य के रूप में अनुभव या एक प्रतिष्ठित अनुसंधान या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में शैक्षणिक नेतृत्व के सक्ष्य के साथ दस वर्षों के अनुभव के साथ एक प्रख्यात शिक्षाविद् होना चाहिए।

35 RPH 2025 (Sanskriti Anubhg) Data 8e

दो–कुलपति के पद हेतु चयन एक खोज सह चयन समिति के माध्यम से एक सार्वजनिक अधिसूचना या नामांकन या प्रतिभा खोज प्रक्रिया या इनके संयोजन से 3–5 लोगों के एक पैनल द्वारा उचित पहचान के माध्यम से की जानी चाहिए। ऐसी खोज सह चयन समिति के सदस्य उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होने चाहिए और किसी भी प्रकार से संबंधित विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों से नहीं जुड़े होने चाहिए। पैनल तैयार करते समय खोज सह चयन समिति को शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश और विदेश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली से अवगत होने के अतिरिक्त शैक्षणिक और प्रशासनिक अभिशासन में पर्याप्त अनुभव को लिखित रूप में पैनल सहित कुलाध्यक्ष/कुलाधिपति को देना चाहिए। राज्यों, निजी और सम विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के चुनाव हेतु खोज सह चयन समिति के एक सदस्य का नामांकन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति द्वारा किया जाना चाहिए।

तीन–कुलपति की नियुक्ति खोज सह चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए पैनल के नामों में से कुलाधिपति द्वारा की जाएगी।

चार–कुलपति का कार्यकाल पदधारी की सेवा अवधि का भाग बन जाएगा, जो उसे सेवा से जुड़े सभी लाभों हेतु पात्र बनाएगी।

भाग–पांच

शिक्षण के दिवस

39–शिक्षण के दिवस

(1) विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में कम से कम 180 शिक्षण दिवस होने चाहिए अर्थात् 6 दिवस के सप्ताह में न्यूनतम 30 सप्ताह के वास्तविक शिक्षण दिवस होने चाहिए। शेष अवधि में 12 सप्ताह को प्रवेश और परीक्षा संबंधी क्रियाकलापों और सह– पाठ्यचर्या, खेलकूद, महाविद्यालय दिवस इत्यादि हेतु शिक्षणेत्तर दिवसों के लिए उपयोग किया जा सकता है। 8 सप्ताह प्रावकाश के लिए और 2 सप्ताह विभिन्न सरकारी छुट्टियों के लिए दिए जा सकते हैं। यदि विश्वविद्यालय पांच दिवसीय प्रति सप्ताह की पद्धति अपनाता है तो सप्ताह की संख्या तदनुसार बढ़ाई जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 6 दिवसीय सप्ताह में 30 सप्ताह के समकक्ष वास्तविक शिक्षण कार्य किया जा सके।

उक्त उपबंध को निम्नानुसार संक्षेप में दिया गया है:

	सप्ताह की संख्या: 06 दिवस प्रति सप्ताह पैटर्न		सप्ताह की संख्या: सप्ताह में 05 दिवस पैटर्न	
वर्गीकरण	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय
शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया	30 (180 दिवस) सप्ताह	30 (180 दिवस) सप्ताह	36 (180 दिवस) सप्ताह	36 (180 दिवस) सप्ताह
प्रवेश परीक्षाएं और परीक्षा की तैयारी	12	10	8	8
प्रावकाश	8	10	6	6
सार्वजनिक अवकाश (तदनुसार बढ़ाने और प्रशिक्षण के दिवसों को समायोजित करने के लिए)	2	2	2	2
कुल	52	52	52	52

(2) प्रावकाश में 2 सप्ताह की कमी करने के बदले विश्वविद्यालय के अध्यापकों के अर्जित अवकाश में उक्त अवधि की एक तिहाई दिवसों के अवकाश की वृद्धि की जा सकती है। तथापि, महाविद्यालय के पास एक वर्ष में कुल 10 सप्ताहों के प्रावकाश का विकल्प होगा और प्रावकाश के दौरान कार्य करने की आवश्यकता के अलावा किसी और कारण से अर्जित अवकाश नहीं दिया जाएगा जिसके लिए विश्वविद्यालय के अध्यापकों के मामले में अर्जित अवकाश के रूप में एक 1/3 अवधि की छुट्टी दी जाएगी।

40–कार्यभार कार्यभार

(1) पूर्णकालिक रोजगार के मामले में एक शिक्षा वर्ष में अध्यापकों का कार्यभार तीस कार्य सप्ताह (एक सौ अस्सी शिक्षण दिवस) के लिए एक सप्ताह में चालीस घंटों से कम नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय में अध्यापकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह कम से कम पांच घंटे प्रतिदिन उपलब्ध हों। अध्यापक अवर– स्नातक पाठ्यक्रमों के मामले में सामुदायिक विकास/ पाठ्येत्तर कार्यकलापों/पुस्तकालय परामर्श/शोध हेतु छात्रों को शिक्षित करने के लिए कम से कम प्रतिदिन दो घंटे (प्रति समन्वयक न्यूनतम 15 छात्र) और/अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के मामले में शोध हेतु प्रतिदिन कम से कम दो घंटे का समय देंगे जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक स्थान और अवसंरचना प्रदान की जाएगी। प्रत्यक्ष शिक्षण– ज्ञान अर्जन कार्यभार निम्नानुसार होना चाहिए

सहायक आचार्य	16 घंटे प्रति सप्ताह
सह– आचार्य/आचार्य	14 घंटे प्रति सप्ताह

(ख) प्रशासन/विस्तार कार्य में सम्मिलित आचार्य/ सह–आचार्य/ सहायक आचार्य शिक्षण और सीखने के लिये प्रति सप्ताह दो घंटा निरत रह सकता है।

(2) सेवा करार और ज्येष्ठता का निर्धारण करना

क– विश्वविद्यालय मे भर्ती के समय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय और संबंधित अध्यापक के बीच एक सेवा करार होना चाहिए और उसकी एक प्रति कुलसचिव के पास जमा की जाएगी। ऐसे सेवा करार पर लागू सरकारी दरों के अनुसार सम्यक् रूप से स्टॉम्पित किया जाएगा।

ख– खंड 6.0 और इसके उपखंडों और खंड 6.1 से 6.4 के अनुसार स्व–मूल्यांकन पद्धति और इसमें अंतर्विष्ट सभी उपखंड तथा परिशिष्ट दो की सारणी 1 से 4 के अनुसार पात्रता के अनुसार सेवा करार बनाया जायेगा।

(3) सीधी भर्ती और सी.ए.एस. के अधीन प्रोन्नत किए गए अध्यापकों के मध्य परस्पर ज्येष्ठता का निर्धारण

सीधी भर्ती की परस्पर ज्येष्ठता पर ग्रहण के दिनांक से अवधारित की जायेगी और सी.ए.एस. के अधीन प्रोन्नत किए गए अध्यापकों हेतु पात्रता के दिनांक से किया जाएगा, जैसे कि संबंधित अभ्यर्थियों की चयन समिति की सिफारिशों में दर्शाया गया है। ज्येष्ठता के अन्य समस्त मामलों के लिए संबंधित केंद्र/राज्य सरकार के नियम और विनियम लागू होंगे।

भाग–छः

41–अध्यापक और उनका उत्तरदायित्व वृत्तिक सदाचार संहिता

जो कोई भी शिक्षण को वृत्ति के रूप में अपनाता है उसका उत्तरदायित्व होता है कि वह वृत्ति के आदर्शों के अनुरूप अपने आचरण को बनाए रखे। एक अध्यापक निरन्तर अपने छात्रों और बड़े पैमाने पर समाज की संवीक्षा के अधीन रहता है। इसलिए प्रत्येक अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी कथनी और करनी के बीच कोई भेद नहीं हो। पहले से ही निर्धारित शिक्षा के राष्ट्रीय आदर्शों और उन्हें छात्रों प्रसार करना एक अध्यापक का स्वयं का आदर्श होना चाहिए। इस वृत्त में अग्रतर यह भी आवश्यक है कि अध्यापक शांत, धैर्यवान, मिलनसार और मैत्रीपूर्ण स्वभाव का हो।

एक अध्यापक को

(एक) ऐसा जिम्मेदारी भरे आचरण तथा व्यवहार का पालन करना चाहिए जैसा कि समुदाय उनसे आशा करता है;

(दो) उन्हें अपने निजी मामलों का इस प्रकार से प्रबंधन करना चाहिए जो कि वृत्तिक गरिमा के अनुरूप हों;

(तीन) अध्ययन और शोध के माध्यम से निरन्तर वृत्तिक विकास जारी रखने चाहिए;

(चार) ज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए वृत्तिक बैठकों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों इत्यादि में भागीदारी करके मुक्त और मैत्रीपूर्ण विचार व्यक्त करने चाहिए;

(पांच) वृत्तिक संगठनों में सक्रिय सदस्यता को बनाए रखना चाहिए और उनके माध्यम से शिक्षा और वृत्तिक को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए;

(छः) विवेकपूर्ण और समर्पण भावना से शिक्षण, अनुशिक्षण, प्रायोगिक ज्ञान, संगोष्ठियों और अनुसंधान कार्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना चाहिए;

(सात) शिक्षण और शोध में साहित्य चोरी और अन्य अनैतिक व्यवहार में लिप्त नहीं होना और उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए;

(आठ) विश्वविद्यालय के अधिनियम परिनियम और अध्यादेश का पालन करना चाहिए और इसके आदर्शों, विजन, मिशन, सांस्कृतिक पद्धतियों और परंपराओं का आदर करना चाहिए;

(नौ) महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक उत्तरदायित्वों से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन करने में सहयोग और सहायता प्रदान करना जैसे कि प्रवेश हेतु आवेदनों का मूल्यांकन करने में सहायता करना, छात्रों को परामर्श देना और उनका मार्गदर्शन और साथ ही साथ निगरानी करना, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन करने सहित विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में परीक्षाएं आयोजित कराने में सहायता करना; और

(दस) सामुदायिक सेवा सहित सह पाठ्यचर्या और पाठ्येत्तर कार्यकलापों के विस्तार में भागीदारी करना।

अध्यापक और छात्र

दो–अध्यापक और छात्र

अध्यापक को

(एक) छात्रों को विचार व्यक्त करने के उनके अधिकारों और गरिमा का आदर करना चाहिए;

(दो) छात्रों के धर्म, जाति, लिंग, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक गुणों को ध्यान में नहीं रखते हुए उनसे निष्पक्ष और बिना भेदभाव व्यवहार करना चाहिए;

(तीन) छात्रों के व्यवहार और क्षमताओं में अंतर को पहचानना और उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए;

(चार) छात्रों को उनकी उपलब्धियों में और सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए उनके व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए और सामुदायिक कल्याण में योगदान देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए;

(पांच) छात्रों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति, जिज्ञासा का भाव और लोकतंत्र देश भक्ति सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और शांति के आदर्श का संवरण करना चाहिए;

(छः) छात्रों के साथ सम्मान से व्यवहार करना और किसी भी कारण के लिए किसी के साथ प्रतिशोधात्मक तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए;

(सात) गुणों का मूल्यांकन करने में छात्र की केवल उपलब्धियों पर ध्यान देना चाहिए;

(आठ) कक्षा के समय के बाद भी छात्रों के लिए स्वयं को उपलब्ध कराना और बिना किसी लाभ और पुरस्कार के छात्रों की सहायता और उनका मार्गदर्शन करना चाहिए;

(नौ) छात्रों में हमारी राष्ट्रीय विरासत और राष्ट्रीय उद्देश्यों की समझ विकसित करने में सहायता करना चाहिए;

(दस) अन्य छात्रों, सहपाठियों अथवा प्रशासन के विरुद्ध छात्रों को उत्तेजित नहीं करना चाहिए।

तीन–अध्यापक और सहयोगी अध्यापक अध्यापक और सहयोगी अध्यापक

(एक) वृत्ति से जुड़े अन्य सदस्यों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह स्वयं के साथ पसंद करेंगे,

(दो) अन्य अध्यापकों के बारे में आदरपूर्वक बात करना और पेशेवर बेहतरी के लिए सहायता देनी चाहिए,

(तीन) उच्च प्राधिकारियों को सहयोगियों के विरुद्ध बेबुनियादी आरोप लगाने से बचना चाहिए,

(चार) अपने वृत्तिक प्रयासों में जाति, रंग, धर्म प्रजाति अथवा लिंग संबंधी विचारों को नहीं आने देना चाहिए।

चार–अध्यापक और प्राधिकारी अध्यापक को चाहिये कि अध्यापक और प्राधिकारी अध्यापक

(एक) विद्यमान नियमों के अनुसार अपने व्यवसायिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और अपने स्वयं के संस्थागत निकाय और / अथवा व्यवसायिक संगठनो के माध्यम से वृत्तिक हेतु घातक ऐसे नियम में परिवर्तन के लिए कदम उठाने के लिए पेशे के अनुकूल प्रक्रियाओं और पद्धतियों का पालन करना चाहिए जो वृत्तिक हित में हो।

(दो) निजी ट्यूशन और अनुशिक्षण कक्षाओं सहित अन्य कोई रोजगार और प्रतिबद्धता से दूर रहना चाहिए, जिससे उनके वृत्तिक उत्तरदायित्वों में हस्तक्षेप होने की संभावना हो।

(तीन) विभिन्न पदों का कार्यभार स्वीकार करके और उक्त पदों के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करके संस्था की नीति निर्माण में सहयोग करना,

(चार) अन्य संस्थाओं की नीतियों के निर्माण में अपने संगठनो के माध्यम से सहयोग करके पदो को स्वीकार करेंगे,

(पांच) वृत्ति की गरिमा के अनुरूप और हितों के मद्देनजर संस्थाओं की बेहतरी हेतु प्राधिकरणों का सहयोग करना चाहिए,

(छः) संविदा की शर्तों का अनुपालन करेंगे,

(सात) किसी स्थिति में नियोजन में परिवर्तन से पहले सम्यक नोटिस देंगे और ऐसे नोटिस की अपेक्षा करेंगे,

(आठ) जहां तक संभव हो सके शैक्षणिक सत्र को पूरा करने हेतु अपने विशेष उत्तरदायित्व का ध्यान रखते हुए अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त छुट्टियाँ लेने से बचेंगे।

पांच–अध्यापक और शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृन्द अध्यापक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी

अध्यापकों को चाहिए कि:

(एक) प्रत्येक शैक्षणिक संस्था में सहयोग से किए जाने वाले कार्यों में शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृन्द को अपना सहकर्मी और समान सहयोगी समझे।

(दो) अध्यापकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृन्द से संबंधित संयुक्त कर्मचारिवृन्द परिषदों के कार्य में सहायता करें।

छ–अध्यापक और अभिभावक अध्यापक और अभिभावक

अध्यापकों को चाहिए कि:

अध्यापक, निकायों और संगठनों के माध्यम से इस बात पर ध्यान देने का प्रयास करें कि संस्थाएं अभिभावकों, अपने विद्यार्थियों के साथ संपर्क बनाए और जब कभी आवश्यक हो, अभिभावकों को उनकी निष्पादन रिपोर्ट भेजें और परस्पर विचारों के आदान–प्रदान और संस्था के हित हेतु इस प्रयोजनार्थ आयोजित बैठकों में अभिभावकों से भेंट करें।

सात–अध्यापक और समाज अध्यापक और समाज

अध्यापकों को चाहिए कि

(एक) इस बात को स्वीकार करें कि शिक्षा एक जन सेवा है और चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए प्रयास करें,

(दो) समाज में शिक्षा में सुधार करने और समाज के नैतिक और बौद्धिक जीवन को सुदृढ़ करने के लिए कार्य करें,

(तीन) सामाजिक समस्याओं से अवगत हो और ऐसी क्रियाकलापों में भाग लें जो समाज की प्रगति और कुल मिलाकर देश की प्रगति में सहायक हो,

(चार) नागरिक के कर्तव्यों का निवर्हन करें, सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लें और लोक पद के उत्तरदायित्वों में सहायता करें,

(पांच) ऐसी क्रियाकलापों में भाग लेने से और सदस्य बनने या किसी भी प्रकार से सहायता करने से बचें जो विभिन्न समुदायों, धर्मों या भाषाई समूहों में नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा देती हो, परंतु राष्ट्रीय एकता के लिए सक्रिय होकर कार्य करें।

कुलपति

आठ–कुलपति

कुलपति को चाहिए कि

(एक) नीति निर्माण, प्रचालन प्रबंधन, मानव संसाधनों के इष्टतम उपयोग और पर्यावरण और धारणीयता के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रेरणादायक और प्रेरक मूल्य आधारित अकादमिक और कार्य नेतृत्व प्रदान करें,

(दो) पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी, सर्वोच्च नैतिकता के साथ आचरण करें और विनिश्चय लें, जोकि विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित में हो,

(तीन) कार्य और शिक्षा के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण, इष्टतम तथा प्रभावी तरीके और कुशलता के साथ संसाधनों के प्रबंधन में विश्वविद्यालय की संपत्ति के प्रबंधक के रूप में कार्य करें,

(चार) विश्वविद्यालय में सहयोग, साझा करने और परामर्श से कार्य करने की संस्कृति को बढ़ावा दें, जिससे अभिनव सोच और विचारों के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके,

(पांच) ऐसी कार्य संस्कृति और नैतिकता को बढ़ावा देने का प्रयास करें जो राष्ट्र और समाज के लिए गुणवत्ता, वृत्तिकता, संतुष्टि और सेवा प्रदान करे,

(छ:) अपने वृत्तिक प्रयासों के माध्यम से जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, लिंग पर विचारणा से बचें।

पुस्तकालयाध्यक्ष

नौ–पुस्तकालयाध्यक्ष

पुस्तकालयाध्यक्ष को चाहिए कि वह:

(एक) आचरण और व्यवहार में उत्तरदायित्वपूर्ण प्रतिमानों का अनुपालन करें जिसकी समाज उनसे अपेक्षा करता है;

(दो) वृत्ति की गरिमा के अनुरूप अपने निजी मामलों का प्रबंधन करें;

(तीन) शिक्षण और अनुसंधान में साहित्य चोरी और अन्य अनैतिक व्यवहार में संलिप्त न हों और इसे हतोत्साहित करें;

(चार) समाज सेवा में संलग्न रहते हुए विस्तार, पाठ्यचर्या से जुड़े हुए और पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में भाग लें,

(पांच) अपने वृत्तिक प्रयासों के माध्यम से जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, लिंग पर विचार करने से बचें।

42–उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में मानकों को बनाए रखना:

उच्चतर शिक्षा में शिक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय /संस्थानों द्वारा निम्नलिखित सिफारिश अपनाई जाएंगी:–

(एक) इस संबंध में संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों और उनमें समय–समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार समस्त विश्वविद्यालयों में पीएचडी उपाधि की मूल्यांकन प्रक्रिया समान होगी। विश्वविद्यालय उन विनियमों को इनकी अधिसूचना के छह मास के भीतर अंगीकार कर लेंगे।

(दो) महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्यों को पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सेवारत अध्यापकों के लिए पीएचडी अधिसंख्य स्थानों के संबंध में विशेष उपबंध किया जाएगा लेकिन, यदि विभाग में पात्र पर्यवेक्षकों के पास कोई रिक्त सीट उपलब्ध नहीं हो तो यह विभाग में उपलब्ध कुल सीटों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(तीन) अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए और देश की अनुसंधान उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विश्वविद्यालय के अध्यापकों को पीएचडी/ एमफिल विद्वानों के पर्यवेक्षण की अनुमति प्रदान करेगा और आवश्यकता आधारित सुविधाएं प्रदान करेगा। तदनुसार विश्वविद्यालय अपनी परिनियमों तथा अध्यादेशों में संशोधन करेंगे।

(चार) इन विनियमों में निर्धारित उपबंधों के अनुसार समस्त नव नियुक्त संकाय सदस्यों को मूल अनुसंधान /कम्प्यूटेशनल सुविधा स्थापित करने के लिए एक बार प्रारम्भिक धन/स्टार्ट अप अनुदान /अनुसंधान अनुदान प्रदान किया जाएगा।

(पांच) इन विनियमों में निर्धारित उपबंधों के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति के लिए पीएचडी उपाधि को अनिवार्य अपेक्षा बनाया जाएगा।

(छः) संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में समन्वय स्थापित करने के लिए अनुसंधान सुविधाओं, मानव संसाधन कौशल और अवसरंचना को साझा करने के लिए राज्य में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/अनुसंधान संस्थाओं के बीच अनुसंधान कलस्टर सृजित किए जाएंगे।

(सात) विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों /संस्थाओं में समस्त नव नियुक्त सहायक आचार्यों के लिए आदर्श रूप से उनके शैक्षिक कार्य शुरू करने से पहले एक मास का अनुगम कार्यक्रम शुरू किया जाएगा लेकिन यह नव-नियुक्त संकाय सदस्य की भर्ती के निश्चित रूप से एक वर्ष के भीतर हो जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानव संसाधन विकास केन्द्रों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय /संस्थाएं अध्यापक और शिक्षण से संबन्धित पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटी) योजना के माध्यम से अपने अधिदेश के अनुरूप उक्त अनुगम कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

(आठ) उक्त अनुगम कार्यक्रमों को सीएएस आवश्यकताओं के प्रयोजन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानव संसाधन विकास केन्द्रों द्वारा पहले से चलाए जा रहे अभिविन्यास कार्यक्रमों के समतुल्य माना जाएगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/ संस्थाएं अपने संकाय सदस्यों को चरणबद्ध तरीके से उक्त कार्यक्रमों में भेजेंगे जिससे शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न न हो।

(नौ) पीएमएमएमएनएमटीटी योजना के अंतर्गत स्कूल ऑफ एजुकेशन (एसआई) टीचिंग लर्निंग सेंटर्स (टीएलसी), फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर्स (एफडीसी), सेंटर्स फॉर अकेडमिक लीडरशिप एंड एजुकेशन मैनेजमेंट (सीएएलईएम) जैसे केन्द्रों द्वारा अध्यापकों/संकाय सदस्यों हेतु आयोजित एक सप्ताह से लेकर एक मास तक के समस्त अल्पकालीन और दीर्घकालीन क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के साथ-साथ अध्यापन संबंधी और विषय विशिष्ट क्षेत्रों के लिए आयोजित किए जा रहे संगोष्ठियों, कार्यशालाओं पर इन विनियमों के अधीन कॅरियर उन्नति योजना में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने में विचार किया जाएगा।

भाग-सात

43-अन्य निबंधन और शर्तें- अन्य निबंधन और शर्तें

(1) पीएचडी/एमफिल और अन्य उच्चतर शिक्षा हेतु प्रोत्साहन

(एक) जिन अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दाखिला रजिस्ट्रीकरण कोर्स वर्क और बाह्य मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुपालन करके संबधित विषय में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है, वे सहायक आचार्य के रूप में भर्ती के प्रवेश स्तर पर प्रदान की जाने वाली वेतन वृद्धि में पाँच गैर मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के हकदार होंगे।

(दो) सहायक आचार्य के पद पर भर्ती के समय एमफिल उपाधि धारक दो गैर मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के हकदार होंगे।

(तीन) क-जो अध्यापक सेवा के दौरान पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं वे तभी प्रवेश स्तर पर तीन गैर मिश्रित वेतन वृद्धि के हकदार होंगे यदि पीएचडी, रोजगार से सम्बंधित विषय में की गई है और जो विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन, कोर्स वर्क, मूल्यांकन आदि हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन करके प्रदान की गई हो।

(ख) तथापि, उन सेवारत अध्यापकों को जिन्हे इन विनियमों के लागू होने के समय से पहले ही पीएचडी की उपाधि प्रदान कर दी गई है, या पीएचडी में नामांकन हो गया हो, जो कोर्स वर्क और मूल्यांकन पूरा कर चुके हों, यदि कोई हो तो और पीएचडी की उपाधि प्रदान करने के संबंध में केवल अधिसूचना जारी की गई हो, तो वे भी प्रवेश स्तर पर तीन गैर मिश्रित वेतन वृद्धि के हकदार होंगे, चाहे, पीएचडी की उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अभी अधिसूचित नही किया गया है।

(चार) अन्य प्रत्येक मामले के संबंध में, वे अध्यापक जो पीएचडी में पहले से ही नामांकित है वे उस स्थिति में भी प्रवेश स्तर पर तीन गैर–मिश्रित वेतन वृद्धि के हकदार होंगे जब पीएचडी प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोर्स वर्क या मूल्यांकन या दोनों, जैसा भी मामला हो, के सम्बन्ध में पीएचडी की उपाधि प्रदान करने हेतु आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए अधिसूचित किया गया हो।

(पांच) ऐसे सेवारत अध्यापक जिनका अभी पीएचडी में नामांकन नहीं हुआ है, को प्रवेश स्तर पर तीन गैर–मिश्रित वेतन वृद्धि का लाभ तभी प्राप्त होगा जब वे सेवा में रहते हुए पीएचडी की उपाधि प्राप्त करें और उक्त नामांकन ऐसे विश्वविद्यालय में होना चाहिए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित नामांकन सहित सम्पूर्ण प्रक्रिया का अनुपालन करता हो।

(छः) ऐसे अध्यापक, जो सेवा के दौरान व्यावसायिक पाठ्यक्रम में एमफिल उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करते हैं जिन्हें संबंधित सांविधिक निकाय / परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हो भी केवल प्रवेश स्तर पर एक अग्रिम वेतन वृद्धि के हकदार होंगे।

(सात) ऐसे सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष जिनके पास प्रवेश स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान में पुस्तकालय विज्ञान की विद्या में ऐसे विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की हो, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में पी०एच०डी० प्रदान करने के लिए नामांकन, कोर्स वर्क और मूल्यांकन के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का पालन करता हो, वे पांच गैर–मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के हकदार होंगे।

(आठ) क–सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष जो सेवाकाल के दौरान कभी भी पुस्तकालय विज्ञान में ऐसे विश्वविद्यालय से जो नामांकन, कोर्स वर्क और मूल्यांकन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करता हो, से पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं वे केवल प्रवेश स्तर पर लागू वृद्धि में तीन गैर–मिश्रित वेतन वृद्धि के हकदार होंगे।

ख–तथापि ऐसे अध्यापक, जो सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष / महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष या उच्च पदों पर आसीन है, जिन्होंने इन विनियमों के लागू होने से पूर्व पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली है या पहले ही कोर्स वर्क और मूल्यांकन, यदि कोई हो तो, पूरा कर लिया हो और इस सम्बन्ध मे केवल अधिसूचना की प्रतीक्षा हो, वे लोग भी केवल प्रवेश स्तर पर लागू वृद्धि में तीन गैर मिश्रित वेतन वृद्धि के हकदार होंगे।

(नौ) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष उच्च पदों पर आसीन अन्य प्रत्येक मामले के संबंध में जो पीएचडी में पहले से ही नामांकित है, वे प्रवेश स्तर पर तीन गैर–मिश्रित वेतन वृद्धि के हकदार होंगे जब पीएचडी प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोर्स वर्क या मूल्यांकन या दोनों, जैसा भी मामला हो के सम्बन्ध मे पीएचडी की उपाधि प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए अधिसूचित किया गया हो।

(दस) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष और उच्च पुस्तकालय पदों पर आसीन सेवारत व्यक्ति, जो पीएचडी में अभी तक नहीं नामांकित है, केवल उस स्थिति में प्रवेश स्तर पर तीन गैर मिश्रित वेतन वृद्धि के हकदार होंगे जब पीएचडी प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोर्स वर्क या मूल्यांकन या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, के सम्बन्ध में पीएचडी की उपाधि प्रदान करने हेतु आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए अधिसूचित किया गया हो।

(ग्यारह) ऐसे सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष जिनके पास पुस्तकालय विज्ञान में एमफिल की उपाधि है के लिए प्रवेश स्तर पर दो गैर–मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकार्य होगी। सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष और जो उच्च पदों पर आसीन है, जो सेवा के दौरान किसी भी समय पुस्तकालय विज्ञान में एमफिल की उपाधि प्राप्त करते हैं के लिए प्रवेश स्तर पर एक गैर–मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकार्य होगी।

(बारह) पूर्वगामी खंडों में किसी शर्त के बावजूद भी, जो पहले से ही इस विनियम या पूर्व योजनाओं/विनियमों के अंतर्गत प्रवेश स्तर पर या सेवा के दौरान पीएचडी /एमफिल की उपाधि के आधार पर अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त कर चुके हैं, वे इस विनियम के अंतर्गत अग्रिम वेतन वृद्धि के लाभ के हकदार नहीं होंगे।

(तेरह) अध्यापक, पुस्तकालय संवर्ग जिन्होंने सेवा के दौरान पहले ही पीएचडी /एमफिल की उपाधि प्राप्त करने हेतु विद्यमान नीति के अनुसार वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त किया है, उन्हें इन विनियमों के अंतर्गत अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(चौदह) उन पदों के लिए जहाँ पूर्व योजनाओं/विनियमों के अंतर्गत प्रवेश स्तर पर पीएचडी/एमफिल की उपाधि के आधार पर कोई वेतन वृद्धि स्वीकार्य नहीं थी, वहा पीएचडी /एमफिल की उपाधि प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ केवल उन नियुक्तियों के लिए होगा, जो इन विनियमों के लागू होने पर या इसके पश्चात् की गई हैं।

भाग–आठ

44–पदोन्नति पदोन्नति भत्ते और प्रसुविधायें

जब किसी व्यक्ति की पदोन्नति होगी, तो पदोन्नति पर उनका वेतन नीचे दिए गए पे मैट्रिक्स अनुसार विहित किया जायेगा

पदोन्नति पर अध्यापक या समकक्ष पद को उस स्तर पर अगले उच्चतर प्रकोष्ठ में प्रविष्ट करके उसके विद्यमान वेतन के अकादमिक वेतन स्तर में कल्पित वेतनवृद्धि की जाएगी और इस प्रकोष्ठ में दर्शाया गया वेतन अब उस पद के अनुरूप नए शैक्षणिक स्तर पर निर्धारित होगा, जहां उसे प्रोन्नत किया गया है। यदि उस वेतन के समान एक प्रकोष्ठ नए स्तर पर उपलब्ध है, तो यह प्रकोष्ठ नया वेतन होगा, अन्यथा उस स्तर पर अगला प्रकोष्ठ अध्यापक या समकक्ष पद का नया वेतन होगा यदि नए स्तर पर इस पद्धति से परिकलित वेतन नए स्तर के पहले प्रकोष्ठ से कम है, तो वेतन नए स्तर के पहले प्रकोष्ठ पर नियत किया जाएगा।

(1) भत्ते और प्रसुविधायें भत्ते और प्रसुविधायें

(एक) अध्यापकों और पुस्तकालय संवर्ग हेतु अन्य भत्ते और प्रसुविधाये जैसे कि गृहनगर यात्रा रियायत, छुट्टी यात्रा रियायत, विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता, संतान शिक्षा भत्ता, परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता, गृह निर्माण भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, क्षेत्र आधारित विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता आदि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान होंगे और समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संगत नियमों द्वारा शासित होंगे।

(दो) राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू पेंशन, उपदान, अनुग्रह राशि इत्यादि भी राज्य विश्वविद्यालय के अध्यापकों और पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा और खेलकूद संवर्ग संबद्ध और घटक महाविद्यालयों सहित महाविद्यालयों, जैसा भी मामला हो में लागू होंगे।

(तीन) चिकित्सा संबंधी लाभ अध्यापकों और पुस्तकालय संवर्ग के लिए समस्त चिकित्सा प्रसुविधा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू होने वाले लाभ के समान होंगे। अग्रतर अध्यापकों और पुस्तकालय संवर्ग को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन रखा जा सकता है या राज्य विश्वविद्यालयों हेतु राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जैसा भी मामला हो के तहत रखा जा सकता है।

परिशिष्ट

परिशिष्ट एक	विद्यमान पदधारियों जो दिनांक 01.01.2016 के अनुसार सारणी मे उपदर्शित विभिन्न श्रेणियों के पदों पर थे, के वेतन नियतन के लिये फिटमेंट सारणी (एम एच आर डी अधिसूचना एम एच आर डी) पत्र संख्या– शुद्धि पत्र एफ0 संख्या– 1–7/2015 यू दो (1) दिनांक 08.11.2017
परिशिष्ट दो	निर्धारण मानदण्ड एव प्रविधि सारणी 1 से 3 –विश्वविद्यालय के लिये सारणी 4–सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष, पुस्तकालयाध्यक्ष इत्यादि।
	विद्यमान पदधारी जो दिनांक 01.01.2016 के अनुसार सारणी में उपदर्शित विभिन्न श्रेणियों के पदों पर स्थित थे, उनके वेतन के नियतन के लिये फिटमेंट सारणी:

सारणी–1

विश्वविद्यालय अध्यापकों के लिये निर्धारण मानदण्ड एवं प्रविधि

क्र0	गतिविधि	ग्रेडिंग मानदण्ड
1	(पढाई गई कक्षाएं/ कुल कक्षाएं) X 100 प्रतिशत (पढाई गई कक्षाओं में ट्यूटोरियल, प्रयोगशाला और अन्य शिक्षण संबंधी गतिविधियां सम्मिलित हैं)	80 प्रतिशत और अधिक उत्तम 80 प्रतिशत से कम लेकिन 70 प्रतिशत से अधिक – संतोषजनक 70 प्रतिशत से कम– असंतोषजनक
2	विश्वविद्यालय/कॉलेज के छात्रों से संबंधित गतिविधियों अनुसंधान गतिविधियों में सम्मिलित	उत्तम– कम से कम 3 गतिविधियों में सम्मिलित।
(क)	प्रशासनिक जिम्मेदारियो जैसे: प्रमुख अध्यक्ष /संकाय/ निदेशक/ समन्वयक, वार्डन आदि	संतोषजनक – 1 से 2 गतिविधियों ।
(ख)	कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा सौंपी गयी परीक्षा और मूल्यांकन कर्तव्य या परीक्षा पेपर के मूल्यांकन में सम्मिलित होना।	असंतोषजनक–किसी भी गतिविधि में सम्मिलित नही होना।
(ग)	छात्र संबंधी सह– पाठ्यचर्या, विस्तार और क्षेत्र आधारित गतिविधियों जैसे छात्र क्लब, कैरियर परामर्श, अध्ययन दौरे, छात्र सेमिनार और अन्य कार्यक्रम, सांस्कृतिक खेल, एनसीसी, एनएसएस और सामुदायकि सेवाएं।	**टिप्पणी –** गतिविधियों की संख्या गतिविधियों की व्यापक श्रेणियों के अन्तर्गत या उससे अतिरिक्त हो सकती है।
(घ)	संगोष्ठी/सम्मेलन/ कार्यशालाएं, अन्य कॉलेज/ विश्वविद्यालय गतिविधियों का आयोजन कराना।	
(ड.)	पी.एच.डी. छात्रों के मार्गदर्शन में सक्रिय रूप से सम्मिलित होने का प्रमाण।	
(च)	राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रायोजित छोटी या बड़ी अनुसंधान परियोजनाओं का संचालन करना। सहकर्मी में कम से कम एकल या संयुक्त प्रकाशन पत्रिकाओं की समीक्षा या यूजीसी सूची।	

समग्र ग्रेडिंग समग्र ग्रेडिंग

अच्छा: शिक्षण में अच्छा है और क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित क्रियाकलापों में संतोषजनक या अच्छा है।

अथवा

संतोषजनक: शिक्षण में संतोषजनक और क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित क्रियाकलापों में अच्छा या संतोषजनक।

संतोषजनक नहीं है: यदि समग्र ग्रेडिंग में न तो अच्छा हो और न ही संतोषजनक हो।

नोट: क्रम संख्या 1 और 2 में दिये गए क्रियाकलापों की ग्रेडिंग के आकलन के प्रयोजन हेतु ऐसी समस्त अवधियाँ जो अध्यापकों द्वारा मातृत्व अवकाश, बाल परिचर्या अवकाश, अध्ययन छुट्टी, चिकित्सा छुट्टी जैसी विभिन्न प्रकार की वैतनिक छुट्टियों पर व्यतीत की गई हैं और ग्रेडिंग आकलन में से प्रतिनियुक्ति को शामिल नहीं किया जाएगा। अध्यापक का शेष अवधि के लिए आकलन किया जाएगा और अध्यापक की ग्रेडिंग करने के लिए आकलन की सम्पूर्ण अवधि में से इन अवधियों को हटा दिया जाएगा। उपरोक्त वर्णित ऐसी छुट्टियों / प्रतिनियुक्ति के कारण अध्यापक को सीएएस के अंतर्गत प्रोन्नति में शिक्षण दायित्वों से उनकी अनुपस्थिति के कारण कोई नुकसान नहीं होगा बशर्ते ऐसी छुट्टियाँ / प्रतिनियुक्ति इन विनियमों में निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन करके सक्षम प्राधिकारियों के पूर्व अनुमोदन से और मूल संस्थान के अधिनियमों, संविधियों और अध्यादेशों के अनुसार ली गई हों।

सारणी – 2

शैक्षणिक/अनुसंधान अंक की गणना हेतु विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए प्रविधि

(आकलन अध्यापकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए, जैसे प्रकाशनों की प्रति, परियोजना स्वीकृति पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपयोग तथा पूर्णता प्रमाण पत्र, पेटेंट दर्ज कराने संबंधी अभिस्वीकृति और स्वीकृति पत्र, विद्यार्थियों को पीएचडी उपाधि प्रदान किए जाने संबंधी पत्र, इत्यादि।)

क्रम संख्या	शैक्षणिक / अनुसंधान क्रियाकलाप	भाषा / मानविकी / कला / सामाजिक विज्ञान / पुस्तकालय / शिक्षा / शारीरिक शिक्षा / वाणिज्य / प्रबंधन तथा अन्य संबंधित विधाएं
1	समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध पत्रों में शोध पत्र	10 प्रति पत्र
2	प्रकाशन (शोध पत्रों के अतिरिक्त)	
	(क) लिखी गयी पुस्तकें जिन्हें निम्नवत के द्वारा प्रकाशित किया गया:	
	अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक	12
	राष्ट्रीय प्रकाशक	10
	सम्पादित पुस्तक में अध्याय	05
	अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	10
	राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	08
	(ख) योग्य संकाय द्वारा भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में अनुवाद कार्य	
	अध्याय अथवा शोध पत्र	03
	पुस्तक	08
3	आईसीटी के माध्यम से शिक्षण ज्ञान–अर्जन, शिक्षण शास्त्र और विषयवस्तु का सृजन तथा नए और नवोन्मेषी पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या का विकास	

	(क) नवोन्मेषी अध्यापन का विकास	05
	(ख) नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों को तैयार करना	02 प्रति पाठ्यचर्या/पाठ्यक्रम
	(ग) एमओओसी	
	4 चतुर्थांश में पूर्ण एमओओसी का विकास (04 क्रेडिट पाठ्यक्रम) (कम क्रेडिट के एमओओसी के मामले में 05 अंक/क्रेडिट)	20
	प्रति मॉड्यूल /व्याख्यान एमओओसी (चार चतुर्थांश में विकसित)	05
	विषयवस्तु लेखक/एमओओसी के प्रत्येक मॉड्यूल हेतु विषयवस्तु विशेषज्ञ (कम से कम एक चतुर्थांश)	02
	एमओओसी हेतु पाठ्यक्रम समन्वयक (04 क्रेडिट पाठ्यक्रम) (कम क्रेडिट के एमओओसी के मामले में 02 अंक/क्रेडिट)	08
	(घ) ई–विषयवस्तु	
	पूर्ण पाठ्यक्रम/ई–पुस्तक हेतु चार 4 चतुर्थांशों में ई–विषयवस्तु का विकास	12
	प्रति मॉड्यूल ई–विषयवस्तु (चार चतुर्थांशों में विकसित)	05
	समग्र पाठ्यक्रम/पत्र/ई–पुस्तक में ई–विषयवस्तु मॉड्यूल के विकास में योगदान (कम से कम एक चतुर्थांश)	02
	संपूर्ण पाठ्यक्रम/पत्र/ई– पुस्तक हेतु ई–विषयवस्तु का संपादन	10
4.	**(क) शोध निर्देशन**	
	पी0एच0डी0	10 प्रति प्रदान की गई उपाधि 05 प्रति जमा किए गए शोध प्रबंध
	एम0फिल0/स्नातकोत्तर शोध प्रबंध	02 प्रति प्रदान की गई उपाधि
	(ख) पूरी की गयी शोध परियोजनाएं	
	10 लाख से अधिक	10
	10 लाख से कम	05
	(ग) जारी शोध परियोजनाएं	
	10 लाख से अधिक	05
	10 लाख से कम	02
	(घ) परामर्श सेवाएं	03
5.	**(क) पेटेंट**	
	अन्तर्राष्ट्रीय	10
	राष्ट्रीय	07
	(ख) नीति दस्तावेज (स0रा0सं0/ यूनेस्को/विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इत्यादि अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय निकाय/संगठन को सौंपे गए)	
	अन्तर्राष्ट्रीय	10
	राष्ट्रीय	07
	राज्य	04
	(ग) पुरस्कार/अध्येतावृत्ति	
	अन्तर्राष्ट्रीय	07
	राष्ट्रीय	05

6.	अतिथि व्याख्यान /संसाधक / संगोष्ठियों/ सम्मेलनों में पत्र प्रस्तुतीकरण/सम्मेलन कार्यवाहियों में पूर्ण पत्र प्रस्तुत करना (संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किए गए पत्र और सम्मेलन कार्यवाहियों में पूर्ण पत्र के रूप में प्रकाशित पत्रों की गणना सिर्फ एक बार की जाएगी)	
	अन्तर्राष्ट्रीय (विदेश)	07
	अन्तर्राष्ट्रीय (देश के भीतर)	05
	राष्ट्रीय	03
	राज्य/विश्वविद्यालय	02

शोध पत्रों के लिए शोध के अंक निम्नानुसार जोड़े जाएंगे:

सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल (थॉमसन रॉयटर्स की सूची के अनुसार अवधारित किए जाने वाले प्रभाव कारक):

(एक) प्रभाव कारक रहित संदर्भित जर्नल में प्रकाशति पत्र – 05 अंक
(दो) 1 से कम प्रभाव कारक वाले पत्र – 10 अंक
(तीन) 1 व 2 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र – 15 अंक
(चार) 2 और 5 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र – 20 अंक
(पांच) 5 और 10 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र – 25 अंक
(छः) 10 से अधिक प्रभाव कारक वाले पत्र – 30 अंक

दो लेखक प्रत्येक लेखक हेतु प्रकाशन के कुल मान का 70 प्रतिशत दो से अधिक लेखक: प्रथम/मूल/संवादी लेखक हेतु प्रकाशन के कुल मान का 70 प्रतिशत और प्रत्येक संयुक्त लेखकों हेतु प्रकाशन के कुल मान का 30 प्रतिशत संयुक्त परियोजनाएं: मुख्य अन्वेषक और सह–अन्वेषक में से प्रत्येक को 50 प्रतिशत प्राप्त होगा।

नोट:

- यदि संपादित पुस्तक अथवा कार्यवाहियों का भाग के रूप में पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो इस पर एक बार ही दावा किया जा सकता है।
- शोध विद्यार्थियों के संयुक्त पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षण और सह पर्यवेक्षण हेतु सूत्र, कुल प्राप्तांक का 70 प्रतिशत होगा। पर्यवेक्षक और सह–पर्यवेक्षक दोनों में से प्रत्येक को 7 प्राप्तांक मिलेंगे।
- अध्यापक के शोध अंकों की गणना करने के प्रयोजनार्थ 5 (ख), नीतिगत दस्तावेज और 6 की श्रेणियों से संयुक्त शोध प्राप्तांक, आमंत्रित व्याख्याता / संसाधक/पत्र प्रस्तुतीकरण संबंधित अध्यापक के कुल शोध अंकों के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत के ऊपरी सीमा होगी।
- शोध प्राप्तांक छः श्रेणियों में से न्यूनतम तीन श्रेणियों से होंगे।

सारणी 3

विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्यों के पद हेतु साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों के चयन संबंधी मानदंड

क्रम संख्या	शैक्षणिक रिकॉर्ड	प्राप्तांक			
1	स्नातक	80 प्रतिशत और उससे अधकि – 15	60 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत से कम –13	55 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत से कम – 10	45 प्रतिशत से लेकर 55 प्रतिशत से कम – 05

2	स्नातकोत्तर	80 प्रतिशत और उससे अधकि–25	60 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत से कम –23	55 प्रतिशत से लेकर [अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 50 प्रतिशत (गैर क्रीमी लेयर) / शारीरिक रुप से निःशक्त] से 60 प्रतिशत से कम – 20
3	एम. फिल.	60 प्रतिशत और उससे अधिक –07	55 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत से कम – 05	
4	पीएच. डी.	30		
5	नेट सहित जे.आर. एफ.	07		
	नेट	05		
	एसएलईटी / एसईटी	03		
6	शोध प्रकाशन (सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध प्रकाशन हेतु 2 अंक)	10		
7	शिक्षण / पोस्ट डॉक्टोरेल अनुभव (प्रत्येक एक वर्ष के लिए 2 अंक)	10		
8	पुरस्कार			
	अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर पर (अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों / भारत सरकार / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के निकायों द्वारा दिए गए पुरस्कार)	03		
	राज्य स्तरीय (राज्य सरकार द्वारा दिए गए पुरस्कार)	02		

तथापि, यदि शिक्षण/पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव की अवधि एक वर्ष से कम है तो अंकों को अनुपातिक रूप से घटा दिया जाएगा।

नोटः–

(क) (एक) एम. फिल. + पीएच.डी. अधिकतम = 30 अंक

(दो) जे. आर. एफ./नेट/सेट अधिकतम = 07 अंक

(तीन) पुरस्कार अवार्ड की श्रेणी में अधिकतम = 03 अंक

(ख) साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा विनिश्चित की जाएगी।

(ग) शैक्षणिक प्राप्तांक –80

शोध प्रकाशन –10

शिक्षण अनुभव –10

कुल –100

(घ) यह अंक संबंधित राज्यों के एसएलईटी/सेट विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए वैध होंगे।

सारणी– 4

पुस्तकालयाध्यक्ष हेतु निर्धारण मानदण्ड एवं प्रविधि

पुस्तकालयाध्यक्षों हेतु निर्धारण मानदण्ड और प्रविधि

क्रम संख्या	क्रिया कलाप	ग्रेडिंग मानदण्ड
1	पुस्तकालय में नियमित उपस्थिति (अपेक्षित उपस्थिति दिवसों के सापेक्ष उपस्थित होने वाले दिवसों के प्रतिशत की गणना) पुस्तकालय की उपस्थिति हेतु प्रत्येक से निम्नवत् कार्य की अपेक्षा होगी– • पुस्तकालय की पाठ्यसामग्री तथा पुस्तकों, पत्रिकाओं और प्रतिवेदन का रखरखाव । • शोधार्थियों के लिये साहित्य पुनर्प्राप्ति सेवाओं और रिपोर्टों के विश्लेषण जैसी पुस्तकालय में पाठकों को दी जाने वाली सेवाओं का उपबंध • संस्थागत वेबसाइट को अद्यतन करने में सहयोग।	90% और उससे अधिक– उत्तम 90% से कम किन्तु 80% और उससे अधिक–संतोषजनक 80% से कम–असंतोषजनक
2	पुस्तकालय की गतिविधियों अथवा विनिर्दिष्ट पुस्तकों या विद्या संबंधी संगोष्ठी /कार्यशाला का आयोजन।	उत्तम–1 राष्ट्रीय स्तर संगोष्ठी/ कार्यशाला + 1 राज्य/संस्थागत कार्यशाला/संगोष्ठी **संतोषजनक–** 1 राष्ट्रीय स्तर संगोष्ठी/कार्यशाला अथवा 1– राज्य स्तरीय संगोष्ठी/कार्यशाला + 1 संस्थागत संगोष्ठी/कार्यशाला अथवा 4–संस्थागत संगोष्ठी/कार्यशाला **असंतोषजनक–** उपर्युक्त दोनो श्रेणियों में न आने वाला

3	यदि पुस्तकालय में कम्प्यूट्रीकृत डाटाबेस है अथवा	**उत्तम–** यदि पुस्तको एवं पत्रिकायें भौतिक रूप 100% कम्प्यूट्रीकृत है।
	यदि पुस्तकालय में कम्प्यूट्रीकृत डाटाबेस नहीं है।	**संतोषजनक–** यदि मूल पुस्तकें एवं पत्रिकाएं 99% कम्प्यूट्रीकृत है। **असंतोषजनक–** उत्तम अथवा संतोषजनक श्रेणी में न होने पर अथवा **उत्तम–** 100% पुस्तक सूची का डाटाबेस अद्यावधिक होना। **संतोषजनक –** 90% डाटाबेस अद्यतन होना। **असंतोषजनक–** पुस्तक सूची डाटाबेस अद्यतन न होना। (सी.ए.एस प्रोन्नति समिति द्वारा आकस्मिक रूप से सत्यापन किया गया)
4	पुस्तकालय सामग्री और गुमशुदा पुस्तकों का मिलान	**उत्तम–** जांच की गयी सूची और गायब पुस्तकें 0.5% से कम **संतोषजनक–** जांच की गयी सूची और गायब पुस्तकें 1% से कम **असंतोषजनक–** सूची की जांच न होना या जांच की गयी और गायब पुस्तकें 1% या अधिक
5	(एक) बिना कम्प्यूट्रीकृत डाटाबेस वाली संस्था में पुस्तकों का डिजिटलाइजेशन (दो) पुस्तकालय नेटवर्क को बढ़ावा देना। (तीन) पुस्तको एवं अन्य स्रोतो के सुलभ कराये जाने से संबंधित प्रक्रिया का व्यवस्थित होना। (चार) महाविद्यालय प्रशासन, शासन एवं अनुशासन से संबंधित कार्यों में सहयोग जिसमें प्रवेश, परीक्षाएं और शिक्षणेत्तर गतिविधियां शामिल हैं। (पांच) उपयोगकर्ताओं के लिए अल्पकालीन पाठ्यक्रम तैयार करना एवं उपलब्ध कराना। (छः) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रिका में न्यूनतम एक शोध पत्र का प्रकाशन।	**उत्तम–** किन्हीं दो गतिविधियो में प्रतिभाग करना। **संतोषजनक–** कम से कम एक गतिविधि **असंतोषजनक–** किसी भी गतिविधि में प्रतिभाग / वचनबद्ध न किया हो।

समग्र ग्रेडिंग समग्र ग्रेडिंग

उत्तम – आइटम 1 में अच्छा और आइटम 4 सहित किन्हीं दो अन्य आइटमों में संतोषजनक/उत्तम

संतोषजनक– आइटम 1 में संतोषजनक एवं आइटम 4 सहित किन्हीं दो आइटम में उत्तम/संतोषजनक होना।

असंतोषजनक– समग्र ग्रेडिंग में न तो उत्तम न ही संतोषजनक।

नोटः–(1) पुस्तकालय कर्मचारिवृंद की उपस्थिति एवं मूल्यांकन मानकों की गणना हेतु आईसीटी तकनीक के उपयोग को अनुमन्यता होगी।

(2) पुस्तकालय के अनिवार्य रूप से प्रकाशित प्रपत्रों, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम अथवा शोध पद्धति में प्रतिभाग किये जाने का प्रमाण–पत्र संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त पूर्णतः विषयक सफल शोध निर्देशन एवं परियोजना पूर्णता विषयक प्रमाण–पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।

(3) सीएएस प्रोन्नति समिति के समक्ष उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को प्राप्त करने एवं उनके दूर करने हेतु विस्तृत प्रणाली उपलब्ध करानी होगी।

अध्याय– दस

धारा 10(2)71 — उपाधियां, और डिप्लोमा प्रदान करना और वापस लेना

45–(क) महा महोपाध्याय मानद उपाधि के लिये डाक्टर आफ लेटर्स (डी०लिट०) की उपाधि ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने साहित्य, दर्शनशास्त्र, कला, संगीत, चित्रकारी अथवा संगीत, नृत्य एवं कला संकाय को समनुदेशित किये गये किसी अन्य विषय की प्रगति में पर्याप्त रूप में योगदान किया हो अथवा जिन्होंने शिक्षा के लिये उल्लेखनीय सेवा की हो, प्रदान की जायेगी।

(ख) कार्य परिषद् स्वतः अथवा विद्या परिषद् की सिफारिश पर, जो उसकी कुल सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किया जायें, मानद उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति के अधीन पुष्टि के लिये प्रस्तुत कर सकती है:

परन्तु यह कि, किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य हो; ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

धारा 47 और 72 — (ग) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत किसी उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र को वापस लेने के लिये धारा 72 के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व, सम्बद्ध व्यक्ति को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोपों को स्पष्ट करने के लिए अवसर दिया जायेगा। कुलसचिव उसके विरूद्ध विरचित आरोपों की सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजेगा और सम्बद्ध व्यक्ति से अपेक्षित होगा कि वह आरोपों की प्राप्ति से अन्यून पन्द्रह दिवस की अवधि के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

धारा 47 और 72 — (घ) मानद उपाधि को वापस लेने के प्रत्येक प्रस्ताव पर कुलाधिपति की पूर्वस्वीकृति अपेक्षित होगी।

(ङ) किसी संस्थान को संबद्ध संकाय बोर्ड की सहमति से विद्या परिषद् की सिफारिश के पश्चात् कार्य परिषद द्वारा ऐसी संस्था के रूप में जहाँ अधिनियम की धारा 22 (1) (क) (ख) की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुसन्धान कार्य किया जा सकता है, मान्यता दी जा सकती है। इस प्रकार की दी गयी मान्यता संबद्ध संकाय बोर्ड की सहमति से विद्या परिषद् द्वारा दी गयी सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा वापस ली जा सकती है।

(च) इस प्रकार मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रबन्धन इसमें निहित होगाः–

(एक) संस्थान का अनुरक्षण करने वाले व्यक्ति या निकाय द्वारा नियुक्त प्रबन्ध समिति या अन्य समकक्ष निकाय जिसके गठन की सूचना कार्य परिषद को दी जायेगी; या

(दो) संस्थान का अनुरक्षण करने वाले व्यक्ति या निकाय द्वारा नियुक्त निदेशक।

(छ) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अनुसन्धान कार्य का मार्गदर्शन, संस्थान के निदेशक और अन्य अध्यापकों द्वारा किया जा सकता है जिन्हें विश्वविद्यालय की अनुसंधान की उपाधियों के लिए पर्यवेक्षक या सलाहकार के रूप में मान्यता दी जा सकती है।

(ज) संस्थान के निदेशक और अन्य अध्यापक, यदि वे इस बात से सहमत हों, संबद्ध विभागाध्यक्ष की सहमति से विश्वविद्यालय के अनुसन्धान छात्रों को उच्च कोटि की व्याख्यानमाला में व्याख्यान दे सकते हैं।

(झ) अपेक्षित अर्हतायें रखने वाला कोई व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की अनुसन्धान उपाधि के लिये संस्थान में अनुसन्धान कार्य करने का इच्छुक हो, संस्थान के निदेशक के माध्यम से कुल सचिव को आवेदन–पत्र देगा। इस प्रकार प्राप्त आवेदन–पत्रों को अध्यादेशों के अधीन गठित विश्वविद्यालय की अनुसन्धान उपाधि समिति के समक्ष रखा जायेगा और यदि समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया जाय, तो आवेदक को ऐसी फीस का संदाय करने पर, जैसी विश्वविद्यालय द्वारा विहित की जाय, कार्य प्रारम्भ करने की अनुज्ञा दी जायेगी।

(ञ) संस्थान के लिए प्राप्त कोई विशिष्ट अनुदान या दान संस्थान के निमित्त रखा जायेगा और उसे संस्थान के लिये व्यय किया जायेगा। विश्वविद्यालय में किसी तत्समान् शिक्षण विभाग के किसी अनुदान का कोई भाग किसी अन्य संस्थान के लिए व्यय नहीं किया जायेगा।

अध्याय– ग्यारह

विशेषाधिकार युक्त महाविद्यालयों का विश्वविद्यालय में प्रवेश और परीक्षा केन्द्रों की मान्यता तथा ऐसे विशेषाधिकार और मान्यता को वापस लेने की प्रक्रिया

क– भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता

48–संक्षिप्त नाम लागू होना तथा प्रारंभः

(1) परिनियम का यह अध्याय भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता के संबंध में होगा।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

47–अस्थायी सम्बद्धता हेतु अर्हता मानदण्डः

(1) सम्बद्धता प्राप्त करने के इच्छुक प्रस्तावित महाविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित अपेक्षाओं अथवा इनमें से किसी के भी संबंध में संबंधित सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा केवल तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के मामले में विहित अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

(2) त्वरित विद्या संबंधी तथा अन्य स्थान संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रशासनिक, विद्या संबंधी तथा अन्य भवन पर्याप्त स्थान सुविधा के साथ महाविद्यालय में निर्मित प्रत्येक भवन निःशक्त के अनुकूल होने चाहिए।

(3) संकायों, व्याख्यान /संगोष्ठी कक्षों, पुस्तकालय के स्थान सुविधा के लिए पर्याप्त विद्या संबंधी भवन तथा प्रत्येक अभ्यास कक्ष में प्रति छात्र न्यूनतम 15 वर्ग फुट होना चाहिए। अन्य विशिष्ट व्यवहार परक पाठ्यक्रमों के लिए प्रति छात्र की आवश्यकता पाठ्यक्रम कार्यक्रम की आवश्यकता पर निर्भर करेगी।

(4) विश्वविद्यालय मानक के अनुसार शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की संख्या होनी चाहिए।

(5) केन्द्र /राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप जल, विद्युत, संवातन, शौचालय, सीवर आदि जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए पर्याप्त सिविल सुविधाएं हों;

(6) सुरक्षा, संरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण आदि हेतु पर्याप्त उपाय हों;

(7) प्रत्येक विषय पर अलग–अलग शीर्षकों में कम से कम 1000 पुस्तकों वाला कोई पुस्तकालय, जो भी अधिक हो, यदि पाठ्यपुस्तकों तथा संदर्भ पुस्तकों, दोनो को सम्मिलित किया जाय, इसके अलावा प्रत्येक विषय पर दो जर्नल होने चाहिए साथ ही अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्य वर्गों के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक की सुविधा भी हो;

(8) विश्वविद्यालय द्वारा यथा विहित आवश्यक संगीत वाद्ययंत्र और उपकरण होने चाहिए;

(9) एक बहुउद्देशीय काम्प्लेक्स /एक प्रेक्षागृह तथा खेल–कूद, जलपान गृह, स्वास्थ्य देखभाल के लिए सुविधाएं तथा विश्वविद्यालय द्वारा यथा विनिश्चित बालक और बालिकाओं के लिए स्थानीय अपेक्षाओं के अनुसार पृथक कामन रूम तथा पृथक छात्रावास;

(10) व्याख्यान /संगोष्ठी कक्षों, पुस्तकालय, संकाय कक्षों, प्राचार्य सहित प्रशासनिक कर्मचारिवृन्द के लिये कक्षों और प्रेक्षागृह, सामान्य कक्षों तथा छात्रावास कक्षों एवं अन्य सुविधाओं के लिए समुचित फर्नीचर हो;

(11) विश्वविद्यालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सम्यक् रूप से गठित प्रबंधन निकाय हो;

48–महाविद्यालय, यदि राज्य सरकार द्वारा न चलाया जा रहा हो तो

(1) इसका प्रबंधन सम्यक् रूप से गठित और रजिस्ट्रीकृत सोसायटी या न्यास द्वारा किया जाएगा।

(2) यह विश्वविद्यालय को एक वचनबंध प्रदान करेगा कि उसके पास अपने सतत और कुशल संचालन के लिए स्वयं के संसाधनो से पर्याप्त आवर्ती आय है।

(3) रजिस्ट्रीकृत सोसायटियों/न्यास को न्यायोचित अपवाद स्वरूप मामलों में प्रथम वर्ष के कार्यक्रम के लिये इस शर्त के अध्यधीन मौजूदा उपलब्ध भवन में महाविद्यालय शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है कि उसके द्वारा सभी अन्य शैक्षणिक तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं को विनियमावली के अधीन पूरा किया गया है और महाविद्यालय पैरा 50(6) तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में दी गई अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप द्वितीय वर्ष के अंत तक भवन निर्माण पूरा कर लेगा तथा तृतीय वर्ष के आरंभ तक महाविद्यालय को प्रस्तावित स्थायी भवन में पूरी तरह स्थानांतरित हो जाएगा, ऐसा न होने पर महाविद्यालय की अस्थायी सम्बद्धता का नवीकरण नहीं किया जाएगा जब तक कि महाविद्यालय स्थायी भवन में स्थानांतरित नहीं हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी भवन में स्थानांतरण हेतु 5 वर्ष से अधिक का समय विस्तार नहीं दिया जाएगा।

(4) किसी महाविद्यालय का प्रस्ताव करने वाली रजिस्ट्रीकृत सोसायटी/न्यास एक बंधपत्र का निष्पादन करेगा।

49–केवल उन विषयों और उन्हीं संकायों में पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के लिये अनुदेश प्रदान करना होगा जिनके लिए विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गयी हो तथा वह भूतलक्षी प्रभाव से सम्बद्धता की मांग नहीं करेगा और ऐसे सभी पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय के समुचित विद्या निकाय द्वारा अनुमोदित पाठ्य विवरण का अनुपालन किया जाएगा।

(1) इस संबंध में बनाए गए विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम और अध्यादेशों, नियमों और विनियमों के समस्त उपबंधों का अनुपालन करना।

(2) समय–समय पर सांविधिक/विनियामक निकायों के द्वारा जारी नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों का पालन करना।

(3) इस प्रभाव तक कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा विहित अध्यापन पदों की संख्या, अध्यापन कर्मचारिवृन्द व शैक्षणिक अर्हता तथा भर्ती/पदोन्नति प्रक्रिया तथा सेवाशर्तें विश्वविद्यालय /राज्य सरकार / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परिनियमों /अध्यादेश /विनियमों के अनुरूप होगी तथा महाविद्यालय द्वारा आरंभ किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम /कार्यक्रम में छात्रों का पर्याप्त शिक्षण सुनिश्चित करेगा तथा महाविद्यालय में छात्र–शिक्षक अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानदण्डों के अनुसार होगा।

(4) इस प्रभाव तक कि अध्यापन और गैर–अध्यापन कर्मचारिवृन्द को नियमित रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग /केन्द्र /राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा समय–समय पर विहित वेतनमान का पूर्ण रूप से भुगतान किया जाएगा,

(5) इस प्रभाव तक कि अध्यापन और गैर–अध्यापन कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति केवल उनके लिए विहित अर्हता तथा अनुभव को आधार मानते हुए ध्यान में रखकर की जाएगी, न कि किसी दान या किसी से मांग करके या उसे स्वीकार करके या किसी अन्य विचार को ध्यान में रखकर की जाएगी।

(6) इस प्रभाव तक कि महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान किए जाने के तीन माह के भीतर विश्वविद्यालय से नियुक्त किए गए अध्यापकों पर अर्हता संबंधी अनुमोदन प्राप्त करेगा तथा अध्यापन कर्मचारिवृन्द में सभी परिवर्तनों तथा ऐसे किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में, जो कि विश्वविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान की जाने वाली शर्तों की पूर्णता को प्रभावित करता हो, एक पखवाड़े के भीतर सूचित करेगा।

(7) इस प्रभाव तक कि छात्रों पर प्रभारित किए जाने वाले सभी प्रकार के शुल्क, समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शुल्क ढांचे के अनुसार ही होंगे।

(8) इस प्रभाव तक कि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा यथा अनुमोदित विहित शुल्क तथा अन्य प्रभारों के अलावा अपने छात्रों तथा उनके अभिभावकों/संरक्षक से कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क (कैपिटेशन फीस) या दान एकत्रित नही करेगा जिससे भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा मिलता हो ।

(9) इस प्रभाव तक कि कोई भी महाविद्यालय किसी भी छात्र को सम्बद्धता प्राप्त होने की प्रत्याशा में किसी अध्ययन कार्यक्रम में दाखिला नहीं देगा अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन के प्रति कार्यक्रम हेतु संस्वीकृत सीटों की संख्या से अधिक दाखिल नहीं करेगा।

(10) इस प्रभाव तक कि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति के बिना, पहले से ही अनुमोदित अध्ययन पाठ्यक्रम /कार्यक्रम को समाप्त नहीं करेगा।

(11) इस प्रभाव तक कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों सहित अन्य वंचित वर्गों, जहां कहीं भी लागू हो, के छात्रों के लिए विद्या तथा कल्याण संबंधी क्रियाकलापों पर महाविद्यालय द्वारा उचित रूप से ध्यान दिया जाएगा।

(12) इस प्रभाव तक कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग /विश्वविद्यालय / सरकार विनियामकों /आदेशों के अधीन रखरखाव किए जाने वाले लेखों के लेखापरीक्षित विवरण सहित समस्त रजिस्टरों तथा अभिलेखों का रखरखाव किया जाएगा तथा कभी भी निरीक्षण हेतु आवश्यक होने पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(13) इस प्रभाव तक कि महाविद्यालय, इस प्रकार की सभी विवरणिकाओं तथा अन्य सूचनाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग /विश्वविद्यालयों /सरकार को उपलब्ध कराएगा ताकि विद्या स्तर को बनाए रखने के संबंध में महाविद्यालय के निष्पादन की निगरानी करने तथा मूल्यांकन करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/विश्वविद्यालय /सरकार को सक्षम बनाया जा सके तथा इस स्तर का बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग /विश्वविद्यालय /सरकार द्वारा जो भी निदेश दिए जायेंगे, उसे बनाए रखने के लिए समस्त कार्यवाहियां करेगा ।

60–अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया

(1) नए महाविद्यालय को आरंभ करने के लिए तथा इसे किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के लिए आवेदन को केन्द्रीय/राज्य सरकार संस्थाओं तथा रजिस्ट्रीकृत सोसायटी/न्यास द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

(2) यदि आवेदक एक सोसायटी/न्यास है, तो यह सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन या न्यास अधिनियम अथवा कोई भी अन्य केन्द्रीय/ राज्य सरकार के अधिनियम के अधीन आवेदन के प्रस्तुतिकरण के दिनांक से पूर्व रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।

(3) सरकार/सोसायटी/न्यास, जिसका महाविद्यालय आरंभ करने का प्रस्ताव है तथा जो अपने आपको विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करना चाहता है और जिसके क्षेत्राधिकार में महाविद्यालय पड़ता है उसे नियत समय के भीतर विश्वविद्यालय को विहित प्रारूप में विश्वविद्यालय के कुलसचिव के नाम डिमांड ड्राफ्ट में विहित शुल्क के साथ आवेदन करना चाहिए।

51–आवेदन को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के साथ जमा किया जाना चाहिए:–

(1) सोसायटी/न्यास का रजिस्ट्रीकरण तथा फर्म का गठन और संगम ज्ञापन के ब्यौरे सहित;

(2) भूमि के वर्गीकरण तथा महानगर या अन्य क्षेत्रों के रूप में इसकी अवस्थिति के संबंध में संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र;

(3) संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भूमि उपयोग प्रमाण–पत्र;

(4) आवेदक के नाम में रजिस्ट्रीकृत भूमि /सरकार द्वारा भूमि पट्टा दस्तावेज;

(5) सरकार द्वारा महाविद्यालय आरंभ करने के लिए सोसायटी /न्यास को दी गई अनुमति संबंधी आदेश साथ ही आरंभ किए जाने वाले पाठ्यक्रम /कार्यक्रम का ब्यौरा;

(6) रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार किया गया तथा संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित भवन का नक्शा;

(7) प्रस्तावित महाविद्यालय के लिए रजिस्ट्रीकृत सोसायटी /न्यास द्वारा रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज जिसमें प्रस्तावित महाविद्यालय के लिए भूमि को चिन्हित किया गया हो;

(8) समग्र (कार्पस) निधि के साक्ष्य के साथ निधियों की अद्यतन स्थिति का ब्यौरा तथा संगत बैंक खातों की छायाप्रति।

52–दिये गये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट:–

(क) शैक्षणिक संस्थाओं को बढ़ावा देने, प्रबंधन तथा प्रचालन में इसके अनुभव सहित सोसायटी /न्यास की पृष्ठभूमि इसके संप्रवर्तकों तथा उनकी पृष्ठभूमि का ब्यौरा इसके आरंभ होने से सामाजिक, धर्मार्थ तथा शिक्षा के क्षेत्र में इसकी गतिविधियां तथा इसका दृष्टिकोण और मिशन क्या है;

(ख) समय–वार महाविद्यालय की विकास योजना, जिसमें शैक्षणिक कार्यक्रमों के चरणबद्ध रूप से चलाने, छात्रों की संख्या में वृद्धि तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों / अनुसंधान आरंभ किए जाने के संबंध में पहले 10 वर्षों के दौरान इसकी विकास योजना को दर्शाया गया हो, तथा शैक्षणिक अवसंरचना जैसे संकाय की नियुक्ति तथा अन्य सहायक सुविधाओं जिसमें छात्र सुविधाएं जैसे छात्रावास, खेलकूद तथा मनोरंजनात्मक सुविधाएं शामिल है, के विकास के लिए स्तरवार समय अनुसूची;

(ग) भूमि उपयोग पैटर्न तथा भावी पैटर्न को दर्शाते हुए वास्तुकलात्मक मास्टर प्लान;

(घ) संकाय नियुक्ति, उन्हें सेवा में बनाए रखने तथा विकास के संबंध में नीति;

(ङ) विद्या संबंधी तथा प्रशासनिक शासन का ढांचा;

(च) छात्रों द्वारा शुल्क के माध्यम से सृजित निधियों के अलावा पूँजी के वित्तपोषण तथा प्रचालनात्मक व्यय का स्रोत; और

(छ) संसाधन संबंधी अनुमान तथा उनकी उपयोग अनुसूची।

(1) विश्वविद्यालय आवेदन की प्रारंभिक संवीक्षा करेगा तथा संतोषजनक पाए जाने पर और आवेदन प्राप्त होने से दो सप्ताह के भीतर आशय का पत्र जारी करेगा ताकि अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु सभी आवश्यकताओं के वास्तविक सत्यापन के लिए तीन माह की अवधि के भीतर निरीक्षण किया जा सके।

(2) कुलपति द्वारा नामित विशेषज्ञों की समिति के माध्यम से विश्वविद्यालय महाविद्यालय का निरीक्षण कराएगा जिसमें निम्नवत् समाविष्ट होंगे:–

(एक) प्रत्येक प्रस्तावित क्षेत्र के विषय के लिए एक विशेषज्ञ;

(दो) महाविद्यालय विकास परिषद् का संकायाध्यक्ष /विश्वविद्यालय का समकक्ष शिक्षाविद्;

(तीन) सरकार के संस्कृति विभाग का एक प्रतिनिधि जोकि उपनिदेशक के स्तर से नीचे का न हो; और

(चार) लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से एक अभियन्ता जोकि अधिशासी अभियन्ता के स्तर से नीचे का न हो।

कुलपति द्वारा यथा नाम निर्दिष्ट किसी भी एक विषय का विशेषज्ञ जो आचार्य स्तर का हो, समिति का अध्यक्ष होगा।

नोटः—आवेदक को विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण बोर्ड के यात्रा व्यय के लिए पर्याप्त धनराशि जमा करनी होगी। निरीक्षण बोर्ड के सदस्यों को उनकी पात्रता के अनुसार टी०ए० और डी०ए० का लाभ मिलेगा।

(3) अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण समिति की रिपोर्ट सम्यक् रूप से भर कर तथा समस्त सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित, विश्वविद्यालय के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय अपने समुचित निकायों के माध्यम से रिपोर्ट संसाधित करेगा तथा महाविद्यालय को अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने या न करने का निर्णय लेगा, तथा निरीक्षण के तीन माह के भीतर अपने निर्णय के कारणों को लिखित में दर्ज करेगा।

(4) महाविद्यालय मे उपलब्ध अवसरचनात्मक एवं अन्य सुविधाओं के आधार पर विश्वविद्यालय महाविद्यालय में प्रत्येक कार्यक्रम के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या के संबंध में निर्णय लेगा।

(5) विश्वविद्यालय की कार्य-परिषद् सम्बद्धता प्रदान किए जाने या न किए जाने के निर्णय पर अंतिम प्राधिकारी होगी।

(6) महाविद्यालय के अध्ययन कार्यक्रम को जारी रखने के संबंध में अस्थायी सम्बद्धता स्वयं विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष दर वर्ष आधार पर इन विनियमों में उपबंधित निरीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

(7) यदि विश्वविद्यालय किसी कारण के चलते महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान नहीं करने का निर्णय लेता है तो वह सम्बद्धता प्राप्त करने के संबंध में शर्तों/अपेक्षाओं को पूरा करने में असफलता को लिखित में दर्ज करेगा, यदि पश्चातवर्ती महाविद्यालय शर्तों/अपेक्षाओं को पूरा करता है तो वह पुनः आवेदन कर सकता है, परन्तु यह पूर्व के आवेदन को अस्वीकृत किए जाने के दिनांक से छह माह तक आवेदन नहीं कर सकता है।

नोटः—संबद्धता शुल्क, वार्षिक निरंतरता शुल्क और सभी शुल्क जमा करने का विशिष्ट दिनांक विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर विनिश्चय किया जायेगा।

53–स्थायी सम्बद्धता के लिए पात्रता मानदण्ड

(1) महाविद्यालय को समय–समय पर विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा विहित विद्या संबंधी तथा प्रशासनिक स्तर बनाए रखते हुए तथा अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त किए हुए संतोषजनक निष्पादन के कम से कम पांच वर्ष पूरे कर लिए जाने चाहिए।

(2) महाविद्यालय द्वारा विनियमों में निर्धारित भवनों का निर्माण कार्य तथा सभी अवसंरचनात्मक/सुविधाएं पूरी कर ली जानी चाहिए।

(3) समस्त अध्यापन और गैर अध्यापन कर्मचारिवृन्द को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सरकारी वेतनमानों पर स्थायी आधार (सरकारी महाविद्यालय के मामले में नियमित आधार) पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

(4) महाविद्यालय में मानदण्डों के अनुसार सम्यक् रूप से गठित महाविद्यालय परिषद् होनी चाहिए।

(5) महाविद्यालय का प्रत्यायन राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद या राज्य/केंद्र सरकार द्वारा किसी अन्य मान्यता एजेंसी द्वारा हुआ होना चाहिए।

54–स्थायी सम्बद्धता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया

(1) जो महाविद्यालय स्थायी सम्बद्धता प्राप्त करना चाहता हो, उसे अस्थायी सम्बद्धता के पांच वर्ष पूरे करने पर विश्वविद्यालय के कुल सचिव के नाम डिमांड ड्राफ्ट के रूप में विहित शुल्क सहित प्ररूप में आवेदन करना चाहिए।

(2) स्थायी सम्बद्धता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया, विनियमों में दी गई अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया जैसी ही होगी।

(3) यदि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय को स्थायी सम्बद्धता प्रदान न किए जाने का निर्णय लेता है, तो इस प्रकार की सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए शर्तों/ अपेक्षाओं पर खरा न उतरने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा, तत्पश्चात् यदि महाविद्यालय शर्तों/अपेक्षाओं पर खरा उतरता है तो महाविद्यालय पूर्व में किए गए आवेदन की अस्वीकृति के दिनांक से छः माह पश्चात् पुनः आवेदन कर सकता है।

55–अध्ययन के नए कार्यक्रमों को जोड़ने हेतु आवेदन करने की पात्रता

(1) विश्वविद्यालय द्वारा नया कार्यक्रम जोड़ने के किसी भी प्रस्ताव पर केवल उच्च शिक्षा हेतु सुविधाओ का समान वितरण सुनिश्चित करने के बाद ही विचार किया जाएगा, ऐसा विशेष रूप से इसके क्षेत्राधिकार मे आने वाले ऐसे क्षेत्र जिन पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है, अविकसित, ग्रामीण, पहाडी, जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान देने के पश्चात् ही किया जाएगा।

(2) विद्यमान स्नातक पूर्व महाविद्यालय के स्तर को स्नातकोत्तर स्तर तक बढ़ाने के किसी भी प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक पूर्व कार्यक्रम के संतोषजनक ढंग से पूरा किए जाने के पश्चात् तथा विनियम के अनुसार प्रस्तावित भवन, योग्य संकाय तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं का पूर्ण रूप से सृजन किए जाने के उपरांत ही विचार किया जायेगा।

(3) नया कार्यक्रम जोड़ने के लिए अथवा विद्यमान कार्यक्रम का स्नातकोत्तर स्तर तक उन्नयन करने के प्रत्येक आवेदन के साथ विश्वविद्यालय के कुल सचिव के नाम डिमांड ड्राफ्ट के रूप मे विहित शुल्क भी साथ लगा होना चाहिए ।

(4) अध्ययन के अतिरिक्त कार्यक्रम हेतु अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने तथा महाविद्यालय मे विद्यमान कार्यक्रम के उन्नयन के लिए प्रक्रिया, अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने के लिए विनियमों में विहित प्रक्रिया के समान ही होगी।

56–सम्बद्धता समाप्त करना

(1) यदि जांच करने पर महाविद्यालय, अधिनियम, परिनियम या अध्यादेश के उपबंधों या नियमों और विनियमों अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / विश्वविद्यालय / सांविधिक / संबंधित विनियामक निकाय के अन्य निदेशों या अनुदेशों का पालन करने में असफल सिद्ध होता है अथवा सम्बद्धता की किसी शर्त का पालन करने में असफल होता है या इस प्रकार आचरण करता है जोकि विश्वविद्यालय के विद्या तथा प्रशासनिक स्तर तथा विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो तो सम्बद्धता के माध्यम से महाविद्यालय को प्रदान किए विशेषाधिकार को आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है या उसमें उपांतर किया जा सकता है।

(2) यदि कोई सम्बद्ध महाविद्यालय कार्य करना बंद कर देता है अथवा किसी विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के वह किसी भिन्न स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है या किसी पृथक समाज, व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह के पास हस्तांतरित हो जाता है तो महाविद्यालय को दी गयी सम्बद्धता इस प्रकार की अस्तित्वहीनता, स्थानांतरण या हस्तांतरण, जैसी भी स्थिति हो, स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा इसे भावी सम्बद्धता के प्रयोजनार्थ नया महाविद्यालय माना जाएगा। विश्वविद्यालय/सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रभावित छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की उचित पद्धति से अपने निर्णयानुसार रक्षा करे।

(3) विनियमों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले आयोग स्वतः या किसी अन्य सूचना या किसी स्रोत द्वारा रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय की जांच करायी जा सकती है तथा महाविद्यालय को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(क) (4) के अधीन इस प्रकार के महाविद्यालय को इस प्रकार के विनिर्दिष्ट अध्ययन पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चलाने तथा किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध उपाधि प्रदान किए जाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित कर सकता है और महाविद्यालय की सम्बद्धता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(क) (5) के अधीन समाप्त मानी जाएगी।

(4) यदि विश्वविद्यालय महाविद्यालय की सम्बद्धता को वापस लेने का निर्णय लेता है अथवा विश्वविद्यालय के आदेश से सम्बद्धता अस्थायी या स्थायी रूप से समाप्त हो जाती है तो इस प्रकार का निर्णय महाविद्यालय के छात्रों के हितों को प्रभावित नहीं करेगा जोकि आदेश जारी किए जाने के समय इसमें अध्ययनरत थे जब तक कि वे कार्यक्रम की सामान्य अवधि के अधीन कार्यक्रम उत्तीर्ण नहीं कर जाते, जिसमें उन्होंने उस समय रजिस्ट्रीकरण करवाया था। विश्वविद्यालय / सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वे समुचित रीति से अपने निर्णयानुसार प्रभावित छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा करे।

परीक्षा केंद्र

(ख) परीक्षा केंद्र

1–परीक्षा केन्द्र की मान्यता हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित शुल्क के साथ स्वीकार किये जायेंगे।

2–यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता पर होने वाला वास्तविक व्यय संबंधित संस्था वहन करेगी। निरीक्षक मंडल में तीन सदस्य होंगे, जिनमें से दो विषय विशेषज्ञ होंगे और कुलपति द्वारा नियुक्त एक सदस्य प्रशासन का प्रतिनिधित्व करेगा। समिति निरीक्षण के पश्चात् मान्यता के संबंध में केंद्र का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

3–आवेदन प्राप्त होने पर, कुलपति एक निरीक्षक बोर्ड नियुक्त करेगा जो संस्था का भ्रमण करेगा और निम्नलिखित के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करेगा–

(क) कि संस्था एक विधिवत रजिस्ट्रीकृत निकाय है;

(ख) कि संस्था के पास व्यक्तिगत अभ्यर्थियों की परीक्षाओं के लिए आवास, फर्नीचर, संगीत वाद्ययंत्र आदि की व्यवस्था करने की क्षमता है;

(ग) संस्था के विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही नहीं हुई है, जो इसे परीक्षा केंद्र के रूप में मान्यता से वंचित कर सकती है।

4–निरीक्षक मंडल की रिपोर्ट संस्था के दौरे के दो सप्ताह के भीतर विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जाएगी और उसे विचार के लिए कार्य परिषद के समक्ष रखा जाएगा।

5–कार्य परिषद रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, एक विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संस्था सशर्त, यदि कोई हो, के साथ आवश्यक मान्यता प्रदान करेगी या आवेदन को अस्वीकार कर देगी।

6–एक परीक्षा केंद्र में न्यूनतम पचास छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित होना होगा, ऐसा न करने पर कार्य परिषद की सहमति के अधीन परीक्षा केंद्र की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। यदि परिषद को परीक्षा केंद्र का पक्ष सही लगता है तो वह कुछ केंद्रों को विशेष मामले के रूप में एक या दो साल तक बहाल रखने पर विचार कर सकती है।

7–वार्षिक निरंतरता शुल्क और समस्त शुल्क जमा करने का विनिर्दिष्ट दिनांक विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर विनिश्चय किया जायेगा।

8–मान्यता प्राप्त केन्द्रों के विशेषाधिकारों को वापस लेना।

(क) जब भी किसी प्रतिकूल प्रतिवेदन या विहित शर्तों को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप, कार्य परिषद किसी संस्थान को दी गई मान्यता के लिए दिए गए सभी या किसी भी विशेषाधिकार को वापस लेने के लिए कार्यवाही शुरू करना आवश्यक समझती है, कार्य परिषद स्वयं के निर्णय से संस्था को अवगत कराते हुए उस शासी निकाय या सरकार को, जैसी भी स्थिति हो, कारण बताओ नोटिस जारी करेगी। अग्रतर यह कि एक संस्था जो मान्यता प्राप्त परीक्षा केंद्र है को एक निश्चित अवधि के लिए विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के लिए प्रवेश दिया जाता है और यदि मान्यता को बहाल नहीं रखा जाता है तो विशेषाधिकार स्वतः वापस ले लिया जायेगा।

(ख) उप– पैरा (क) के अधीन नोटिस में होगा कि,–

(क) कारण जिनके लिए आशायित कार्रवाई पर विचार किया गया है और

(ख) कारण बताओ नोटिस का जवाब विश्वविद्यालय के कुलसचिव तक पहुंचने का विनिर्दिष्ट समय;

(ग) अभिलिखित कारणों के लिये कार्य परिषद उत्तर के लिए अवधि समय–समय पर बढ़ा सकती है किन्तु कुल अवधि तीन महीने से अधिक नहीं होगी;

(घ) उप– पैरा (2) और (3) के अधीन नियत अवधि के भीतर महाविद्यालय को कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्राप्त होने पर, कार्य परिषद संबंधित मान्यता प्राप्त परीक्षा केंद्र द्वारा दिये गये उत्तर और अभ्यावेदन, यदि कोई हो, के आलोक में मामले पर विचार कर सकती है। यदि ऐसा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो वह उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् मामले पर विचार कर सकता है और किसी संस्था को दिए गए मान्यता प्राप्त परीक्षा केंद्र को दिए गए समस्त या किसी भी विशेषाधिकार को वापस लेने के रूप में उचित समझे जाने वाला आदेश दे सकता है।

विश्वविद्यालय, अनुसंधान के लिए छात्रों को आंतरिक उम्मीदवारों के रूप में प्रस्तुत करने के लिए नियमित केंद्र के रूप में विश्वविद्यालय से संबद्ध अनुसंधान केंद्र होंगे।

अनुसंधान केंद्र अनुसंधान केंद्र

1–अनुसंधान केंद्र की संबद्धता के लिए पहली बार या अनुसंधान के लिए एक नया पाठ्यक्रम जोड़ने के लिए सरकार के अधिकारी द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। यदि ऐसी संबद्धता चाहने वाली संस्थापक सोसायटी/शासी निकाय प्रासंगिक प्रस्ताव की एक प्रति के साथ केंद्र को सरकार द्वारा या संस्थापक सोसायटी/शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा बनाए रखा जाता है।

2–समस्त आवेदन विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव के पास पहुंचेंगे।

3–संबद्धता और/या विषय/पाठ्यक्रम को जोड़ने के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित शुल्क के साथ विश्वविद्यालय द्वारा विहित प्रपत्र पर संस्था का विवरण संलग्न किया जाएगा।

4–शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा तय किया जाएगा।

नोटः–उपरोक्त विहित शुल्क के अतिरिक्त, संबंधित केंद्र यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का वास्तविक व्यय वहन करेंगे। कुलपति द्वारा नियुक्त किया गया तीन निरीक्षकों का एक बोर्ड संबद्धता के लिए केंद्र के निरीक्षण के बाद अवसंरचनात्मक ढांचे के विषय में विश्वविद्यालय को प्रतिवेदन देगा।

5–सभी विवरणों और शुल्कों के साथ पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित आवेदन प्राप्त होने पर कुलपति, निरीक्षकों का एक बोर्ड नियुक्त करेगा, जिसमें शिक्षण संकायों के दो विशेषज्ञ और विश्वविद्यालय प्रशासन का एक प्रतिनिधि सम्मिलित होगा।

6–निरीक्षकों का बोर्ड केंद्रों का निरीक्षण करेगा और निर्धारित नियमानुसार विश्वविद्यालय को निम्नानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

7–केंद्र के पास उसके नाम से पाँच लाख रुपये मात्र की स्थायी निधि जमा होगी जिसका उपयोग विशेष रूप से केंद्र के उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

8–केंद्र में एक अच्छे पुस्तकालय का उपबंध होगा।

9–फर्नीचर, शिक्षण सामग्री, संगीत वाद्ययंत्र/उपकरण और दृश्य कला के लिए स्टूडियो उपकरण आदि जैसी सुविधाएं अनिवार्य हैं।

10–विश्वविद्यालय को संबंधित केंद्र के भ्रमण के दो सप्ताह के अन्दर सभी सदस्यों का सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित रिपोर्ट निरीक्षक बोर्ड को प्रस्तुत किया जायेगा। रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उसे अनुमोदन के लिए विद्या परिषद और कार्य परिषद के समक्ष रखा जाएगा। कार्य परिषद के अनुमोदन के पश्चात् अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा। राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् केंद्र को स्थायी संबद्ध केंद्र के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।

संबद्ध केंद्रों के विशेषाधिकारों की वापसी :–

1–जब भी किसी प्रतिकूल रिपोर्ट या विहित शर्तों को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप, कार्य परिषद किसी केन्द्र को दी गई मान्यता के लिए दिए गए समस्त या किसी भी विशेषाधिकार को वापस लेने के लिए कार्यवाही आरम्भ करना आवश्यक समझती है, कार्य परिषद स्वयं के निर्णय से अवगत कराते हुए उस शासी निकाय या सरकार को, जैसा भी मामला हो, कारण बताओ नोटिस जारी करेगी। इसके अतिरिक्त जब किसी केन्द्र को एक कतिपय अवधि के लिए विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के लिए प्रवेश दिया जाता है और संबद्धता को आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो विशेषाधिकार स्वतः वापस ले लिए गए माने जायेंगे।

2–उप–पैरा (1) के अंतर्गत नोटिस में होगा,–

(क) वे कारण, जिनके लिए अभीष्ट कार्रवाई पर विचार किया गया है, और

(ख) कारण बताओ नोटिस का जवाब विश्वविद्यालय के कुलसचिव तक पहुंचने का विनिर्दिष्ट समय।

3–अभिलिखति कारणों से कार्य परिषद प्रतिउत्तर के लिए अवधि समय–समय पर बढ़ा सकती है किन्तु कुल अवधि तीन माह से अधिक की नहीं होगी।

4–उप– पैरा (2) और (3) के अधीन नियत अवधि के भीतर कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर प्राप्त होने पर, कार्य परिषद संबंधित केंद्र द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर और अभ्यावेदन, यदि कोई हो, के आलोक में मामले पर विचार कर सकती है। यदि ऐसा कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नही होता है, तो वह उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् मामले पर विचार कर सकता है और किसी केन्द्र या संस्था को दिए गए सभी या किसी भी विशेषाधिकार को वापस लेने के रूप मे उचित समझे जाने वाला आदेश दे सकता है।

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

महाविद्यालयों और परीक्षा केन्द्र की संबद्धता/मान्यता हेतु आवेदन–पत्र

इस प्ररूप का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजन के लिये किया जा सकता है:–

1–संस्थाओं की संबद्धता/मान्यता

2–अतिरिक्त पाठ्यक्रमों/ विषयों के लिए संबद्धता / मान्यता

3–संबद्धता/मान्यता का विस्तार

भाग– एक

(सभी संस्थाओं द्वारा भरा जाना है)

1–महाविद्यालय का नाम :

2–पूरा पता :

दूरभाष संख्या :

कार्यालय :

निवास स्थान :

फैक्स नं० :

ईमेल :

3–प्राचार्य का नाम :

(जन्मतिथि और अर्हता के विवरण का उल्लेख करते हुये सम्पूर्ण बायोडाटा संलग्न करें)

4–(गैर सरकारी महाविद्यालय हेतु)

(क) महाविद्यालय/केन्द्र का रजिस्ट्रीकरण संख्या .... दिनांक ....

(ख) शासी निकाय/सोसायटी का नाम .... दिनांक ....

(ग) शासी निकाय/सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण संख्या ..... दिनांक ....

(घ) शासी निकाय के सदस्यों का पदनाम सहित नाम व पता (सोसायटी के रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित सूची पृथक रूप में संलग्न करें) एवं परिनियम की अनुप्रमाणति प्रतिलिपि संलग्न करें।

5–क्या शासी निकाय कोई अन्य शैक्षणिक संस्था चलाता है।

यदि हां

(क) संस्था का नाम :

(ख)संबद्धता का विवरण :

(ग) अन्य :

6–महाविद्यालय की स्थापना का दिनांकः

भाग– दो

(मात्र उन महाविद्यालयों/केन्द्रों के लिए, जो पहली बार आवेदन कर रहे हैं)

7–अपेक्षित सम्बद्धता संगीत	
नृत्य	
लोक संगीत	
दृश्य कला	

जो भी लागू हो उस पर सही का निशान लगायें।

8–सम्बद्धता/मान्यता के लिए पाठ्यक्रमों/विषयों का विवरण। (परिशिष्ट–एक देखें)

9–क्या महाविद्यालय किसी अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है, यदि हाँ उसका पूर्ण विवरण दें।

10–अध्यापन/गैर अध्यापन कर्मचारिवृंद का विवरण। (परिशिष्ट–दो देखें)

11–क्या शासी निकाय/महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के नियमानुसार वेतनमान स्वीकार करता है

हाँ [ ] नही [ ]

12–क्रम सं० 10 पर अंकित अध्यापकों के वेतनमान का विवरण। (परिशिष्ट – दो देखें)

13–प्रस्तावित पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु निम्नलिखित विवरण उपलब्ध करायें (पृथक से संलग्न करें)

(क) कक्षाओं का विवरण (कक्षाओं की संख्या व माप)

(ख) फर्नीचर

(ग) वाद्ययंत्र/उपकरण

(घ) पुस्तकें, जर्नल एवं पत्रिकाएं (पुस्तकों की संख्या और सब्सक्राइब्ड जर्नल्स के नाम उल्लिखित करें)

14–महाविद्यालय की वित्तीय स्थिति

क–अचल सम्पत्तियां

(1) जमा धनराशि

(2) वाद्ययंत्रों की अनुमानित लागत

(3) भूमि व भवन की अनुमानित लागत (यदि लागू हो)

ख–वार्षिक आय (यदि आवश्यक हो तो पृथक से शीट संलग्न करें)

1–सरकार से या किसी अन्य अभिकरण से प्राप्त अनुदान

2–दान

3–शिक्षण शुल्क

4–अन्य शुल्क

5–अन्य स्रोत (यदि कोई हों)

ग–गत 03 वर्षों का ऋण करार, संपरीक्षित तुलन–पत्र सहित ऋण खाता का विवरण (यदि कोई हों)

15–भवन का विवरण भवन नक्शा (ब्लू प्रिंट) संलग्न करना अनिवार्य है।

(क) कक्षाओं की संख्या व माप (पृथक सूची संलग्न करें)
शौचालयों की संख्या पुरुषः महिलाः

(ख) प्रेक्षागृह का विवरण– माप
क्षमता

(ग) खेल के मैदान का विवरण (यदि उपलब्ध हो तो)

(घ) क्रीड़ा/खेलकूद की सामग्रियों की पृथक सूची संलग्न करें।

(ड.) क्या भवन स्वामित्व में है, किराये पर है या दान में प्राप्त है

स्वामित्व [ ] किराये [ ] दान [ ]

यदि स्वामित्व में है तो आवंटन रजिस्ट्रीकरण पत्र संलग्न करें।

यदि किराये पर है तो किराया उल्लिखित करें।

यदि दान में है तो निबंधन और शर्तें उल्लिखित करें। (दान व किराये विलेख की प्रति संलग्न करें)

(च) यदि शासकीय भवन में कक्षाएं संचालित होती हैं तो अनुमोदन की प्रति संलग्न करें।

(ज) यदि कोई अन्य व्यवस्था हो, तो विवरण दें।

16–महाविद्यालय/केन्द्र के बैंक खाता का विवरण–

(क) बैंक का नाम

(ख) शाखा का नाम

(ग) खाते का प्रकार

(घ) खाते के संचालन हेतु प्राधिकृत अधिकारी का विवरण:

17–महाविद्यालय का समय।

भाग– तीन

केवल नये पाठ्यक्रमों/विषयों की सम्बद्धता/मान्यता के विस्तार की माँग करने वाले महाविद्यालय /केन्द्र द्वारा भरा जायेगा।

1–ऐसे पाठ्यक्रमों/विषयों का विवरण जिनके लिए सम्बद्धता/मान्यता पहले प्राप्त की गयी है: (परिशिष्ट तीन)

2–ऐसे पाठ्यक्रमों/विषयों का विवरण जिनके लिए सम्बद्धता मांगी गयी:

1– पाठ्यक्रम

2– विषय

3– पिछले तीन वर्षों के दौरान परीक्षाओं में उपस्थित छात्रों की संख्या:

3–विश्वविद्यालय को देय बकाया राशि, यदि कोई हो, का विवरण :

4–प्रस्तावित सम्बद्धता / मान्यता के लिए सरकार / शासी निकाय द्वारा अनुमोदन प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न करें :

5–प्रस्तावित सम्बद्धता के लिए सरकार /शासी निकाय को देय बकाया राशि, यदि कोई हो, का विवरण:

6–नवीन पाठ्यक्रमों के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें:–

1– अतिरिक्त कक्षायें

2– वाद्ययंत्र/उपकरण

3– पुस्तकें

4– फर्नीचर

7–क्या महाविद्यालय द्वारा पूर्व में ही दी गई संबद्धता की समस्त निबन्धन और शर्तें पूरी कर ली हैं? यदि नहीं तो कारण बतायें:

पुनर्भुगतान शर्तों सहित ऋण खाते का विवरण (यदि कोई हो तो)

घोषणा

मैं घोषणा करता हूं कि उपरोक्त सभी कथन मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और यह भी आश्वासन देता हूं कि महाविद्यालय/केन्द्र समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा विहित निबन्धन और शर्तों का पालन करेगा।

शासी निकाय के अध्यक्ष का हस्ताक्षर (गैर राजकीय महाविद्यालयों के लिए)	कानूनी अधिकारी के हस्ताक्षर	प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर मुहर

क: अध्यापन कर्मचारिवृन्द

सं0	नाम	पदनाम	जन्मतिथि	अर्हता		नियुक्ति का दिनांक	वेतन (वेतनमान)
				शैक्षणिक	वृत्तिक		
1		प्राचार्य					
2							
3							
4							
5							
6							
7							

ख: गैर अध्यापन कर्मचारिवृन्द

सं0	नाम	पदनाम	जन्मतिथि	अर्हता	नियुक्ति का दिनांक	वेतन (वेतनमान)
1		प्राचार्य				
2						
3						
4						
5						
6						
7						

धारा 45

अध्याय–बारह

57–(1) विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि, डिप्लोमा और विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्टतायें प्रदान करने के लिये वर्ष में अनधिक एक बार ऐसे दिनांक को और ऐसे समय पर, जैसा कार्य परिषद् नियत करे, एक दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है। दीक्षान्त समारोह

(2) कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा कोई विशेष दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है।

धारा 45 58–इस अध्याय में निर्दिष्ट दीक्षान्त समारोह में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और इससे सम्बन्धित अन्य विषय ऐसे होंगे, जैसा विनियम में दिया गया हो।

धारा 45 59–जहां विश्वविद्यालय को परिनियम के अनुसार दीक्षांत समारोह आयोजित करना सुविधाजनक नहीं लगता है, वहां उपाधि, डिप्लोमा और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताएं संबंधित अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती हैं।

दीक्षांत समारोह प्रक्रिया–उपाधि प्रदान करने और पुरस्कार देने के प्रयोजनार्थ दीक्षांत समारोह साधारणतया प्रति वर्ष दिसम्बर माह में विश्वविद्यालय के मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा और ऐसे समय पर आयोजित किया जाएगा जैसा कुलाधिपति के अनुमोदन से कुलपति द्वारा आवश्यक या सुविधाजनक पाया जाये– दीक्षांत समारोह प्रक्रिया

1–विश्वविद्यालय अपने पात्र छात्रों को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में नियमित रूप से उपाधि और अन्य पुरस्कार प्रदान करेगा।

2–रोजगार, उच्च अध्ययन और/या अन्य अवसरों के लिए जाने वाले पात्र छात्रों को बिना विलम्ब किए उनकी उपाधि और अन्य पुरस्कार देकर सहायता करेगा।

3–दीक्षांत समारोह आयोजित करने के लिए कुलसचिव द्वारा साधारणतया अन्यून चार सप्ताह का नोटिस दिया जाएगा तथापि, विशेष दीक्षांत समारोह के मामले में या किसी अन्य मामले में जहां कुलपति द्वारा इस तरह के पाठ्यक्रम को समीचीन माना जाता है, इस अवधि को घटाकर 10 दिन किया जा सकता है।

4–व्यक्तिगत रूप से उपाधि प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को दीक्षांत समारोह के लिए निर्धारित दिनांक से 15 कैलेंडर दिन पूर्व कुलसचिव के पास दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने के अपने आशय की संसूचना से विहित प्रपत्र में विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर विहित शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। परन्तु यह कि कुलपति विशेष मामलों में दीक्षांत समारोह के दिनांक से सात दिन पूर्व तक देर से आवेदन प्राप्त करने की अनुमति दे सकते हैं, यदि ऐसे आवेदन के साथ विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर विहित विलंब शुल्क लगाया जाता है।

5–ऐसे अभ्यर्थी जो दीक्षांत समारोह में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ हैं, के अनुपस्थिति में दीक्षांत समारोह के दिनांक के एक माह पश्चात् अध्यक्षता प्रपत्र में शुल्क और डाक शुल्क के साथ अपनी उपाधि प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

6–प्रत्येक उपाधि पर कुलपति के हस्ताक्षर होंगे। उपाधि पर दिनांक चाहे दीक्षांत समारोह में प्रदान की जाए या अन्यथा, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दिनांक के समान होगी। इसके अलावा, यदि किसी कारण से दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं किया जाता है, तो उपाधि पर दिनांक विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर में उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार होगी।

7–कुलाधिपति, कुलपति, संकायाध्यक्ष, कार्य परिषद, विद्या परिषद के सदस्य और कुलसचिव उस विश्वविद्यालय की शैक्षणिक पोशाक पहनेंगे जहां से वे स्नातक हैं या कार्य परिषद द्वारा विहित गाउन या कोई अन्य पोशाक पहनेंगे।

8–दीक्षांत समारोह में अभ्यर्थियों को कार्य परिषद द्वारा विहित शैक्षणिक पोशाक पहननी होगी और किसी भी अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा विहित शैक्षणिक वस्त्र के बिना दीक्षांत समारोह में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

9–दीक्षांत समारोह में उपस्थित अभ्यर्थियों को उपाधि विश्वविद्यालय द्वारा यथाविनिश्चित दीक्षांत समारोह के पश्चात् अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान, समय और दिन पर वितरित की जाएगी।

10–विश्वविद्यालय पात्र छात्रों को उपाधि और अन्य पुरस्कार प्रदान करने के लिए निर्धारित तिथियों पर दीक्षांत समारोह आयोजित करेगा या कोई अन्य विधि अपनाएगा।

11–यदि दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाता है, तो इसमें उनके लिए किए गए उपबंधों के अनुसार औपचारिक पहलू सम्मि लित होंगे।

12–यदि किसी कारण से दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं किया जाता है, तो विश्वविद्यालय इस समय केवल पात्र आवेदकों को उपाधि और अन्य पुरस्कार प्रदान करेगा।

13–विश्वविद्यालय के पास समनुदेशित चयनित महाविद्यालय को अपनी ओर से निर्धारित दिनांक पर अपने छात्रों के लिए स्नातक समारोह आयोजित करने की शक्ति होगी।

14–ऐसे महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के निदेशों का पालन करना अपेक्षित होगा और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्नातक समारोह आयोजित करना होगा।

15–कुलाधिपति, संकायाध्यक्ष, कार्य परिषद और विद्या परिषद के सदस्य और कुलसचिव अधिसूचित स्थान पर इकट्ठा होंगे और निम्नलिखित क्रम में शोभा यात्रा के साथ दीक्षांत समारोह स्थल तक चलेंगे:–

1. कुलसचिव
2. विद्या परिषद् के सदस्य
3. कार्य परिषद के सदस्य
4. संकायाध्यक्ष
5. कुलपति
6. मुख्य अतिथि, यदि कोई हो
7. कुलाधिपति

16–कुलाधिपति, मुख्य अतिथि, कुलपति, मुख्यमंत्री, संस्कृति मंत्री, संकायाध्यक्ष, कार्य परिषद के सदस्य, सचिव संस्कृति विभाग, कुलसचिव और कार्य परिषद द्वारा नामित ऐसे अन्य व्यक्ति डाइज पर और कार्य परिषद के सदस्यगण अपने लिए आरक्षित स्थानों पर डाइज के सामने अपना स्थान ग्रहण करेंगे।

17–दीक्षांत समारोह में उपस्थित अभ्यर्थियों को शोभा यात्रा के दीक्षांत समारोह पैनल में प्रवेश करने से पहले अपने लिए आरक्षित स्थानों पर अपना स्थान ग्रहण करना होगा। जब शोभा यात्रा दीक्षांत समारोह हॉल/पंडाल में प्रवेश करता है, तो उपस्थित समस्त जन खड़े हो जाएंगे और तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि शोभा यात्रा के सदस्य क्रमशः अपना–अपना स्थान नहीं ग्रहण कर लेते हैं।

18–कुलसचिव, कुलाधिपति की अनुमति से या उनकी अनुपस्थिति में कुलपति की अनुमति से दीक्षांत समारोह की शुरुआत की घोषणा करेगा। कुलाधिपति के अनुरोध पर और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, कुलपति अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करने की अनुमति देगा। प्रस्तुतीकरण का क्रम निम्नलिखित होगा:–

1. मानद उपाधियाँ, यदि कोई हो
2. डी0लिट0
3. पी0एच0डी0
4. स्नातकोत्तर

निम्नलिखित संकायों में उपाधियां:-

1. संगीत संकाय
2. नृत्य संकाय
3. दृश्य-कला संकाय
4. कला एवं भाषा संकाय
5. लोक संगीत एवं कला संकाय

19-अपने-अपने संकायों के संकायाध्यक्ष संकाय के अधीन विभिन्न उपाधियों के लिए समस्त अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करेंगे और कुलपति संकाति उपाधियों के लिये उनकी अनुपस्थिति में भी उपस्थित अभ्यर्थियों के रूप में स्वीकार करेगा। संकायाध्यक्ष और कुलपति के लिए प्रोद्धरण परिषद द्वारा यथाविहित किया जाएगा, उपाधि प्राप्तकर्ता संकायाध्यक्ष के साथ खड़े रहेंगे और कुलाधिपति उपाधि के लिये अभ्यर्थियों को अंगीकार करेगा।

20-मानद उपाधियाँ प्रदान करने के मामले में, प्राप्तकर्ता को उपाधि ग्रहण करने वाले प्रोद्धरण को कुलाधिपति द्वारा उपयुक्त रीति से संशोधित किया जा सकता है। दीक्षांत समारोह में उपस्थिति और उनकी अनुपस्थिति में भी नियमित और व्यक्तिगत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदत्त की जायेगी।

21-कुलाधिपति या उसकी अनुपस्थिति में कुलपति पदक और पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को पदक और पुरस्कार प्रदान करेगा, जिन्हें पदक और पुरस्कार का मांगकर्ता कहा जाएगा, जिन्हें कुलसचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से बुलाया जाएगा और कुलाधिपति के समक्ष खड़ा होना होगा एवं कुलसचिव द्वारा घोषित किया जाएगा।

22-कुलाधिपति या उसकी अनुपस्थिति में कुलपति मुख्य अतिथि से दीक्षांत समारोह को संबोधित करने का अनुरोध करेगा।

23-तत्पश्चात् दीक्षांत समारोह का संबोधन दिया जाएगा। कुलाधिपति की अनुमति से और उनकी अनुपस्थिति में कुलपति की अनुमति से कुलसचिव दीक्षांत समारोह की समाप्ति की घोषणा करेगा और शोभा यात्रा दीक्षांत समारोह से निकल जायेगी, जब तक शोभा यात्रा क्षेत्र से बाहर नहीं निकल जाती, तब तक सभी लोग खड़े रहेंगे।

24-परिनियम में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी कुलाधिपति, वार्षिक दीक्षांत समारोह या दीक्षांत समारोह के आयोजन का स्थगन कर सकता है। ऐसे मामले में अभ्यर्थियों को कुलपति द्वारा सम्यक् हस्ताक्षरित उपाधियां उनके पते पर प्रेषित की जाएंगी। कुलसचिव दीक्षांत समारोह के स्थगन की सूचना देगा और अभ्यर्थियों से ऐसे आवेदन आमंत्रित करेगा जो उपाधि लेने का इच्छुक हैं और ऐसे आवेदन प्राप्त करने की अंतिम दिनांक निर्धारित करेगा। उपाधि उन अभ्यर्थियों को प्रेषित की जाएगी जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर डाक शुल्क सहित विहित शुल्क के भुगतान पर उपाधि प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। ऐसे अभ्यर्थी जो उपाधि प्राप्त करने के लिए सम्यक् दिनांक के भीतर आवेदन नहीं करते हैं उन्हें अनुपस्थिति की दशा में उपाधि दी जाएगी और अनुपस्थिति में उपाधि के लिए निर्धारित शुल्क दिया जाएगा। ऐसी उपाधि पर दिनांक विद्या परिषद की स्थायी समिति की सिफारिश पर कुलपति द्वारा निर्धारित दिनांक होगा।

25-उपाधि प्रदान करने का दिनांक छात्रों के अर्हता प्राप्त करने और इसके लिए पात्र होने के अपेक्षित दिनांक से 180 दिनों के भीतर होगी। इसके अतिरिक्त, उपाधियों के समय पर वितरण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अपने-अपने संबंधित महाविद्यालयों के माध्यम से अभ्यर्थियों की उपाधियां वितरित करने पर विचार कर सकता है।

26-पाठ्यक्रम और परीक्षाओं जैसी शैक्षणिक क्रियाकलापों के कार्यक्रम के अलावा, वार्षिक कैलेंडर में उपाधि प्रदान करने का दिनांक भी सम्मिलित होगा।

27-यदि आवश्यक हो, तो विश्वविद्यालय एक वर्ष में एक से अधिक बार उपाधि प्रदान करने का कार्यक्रम निर्धारित कर सकता है और इसे अपने शैक्षणिक कैलेंडर में भी सम्मिलित करेगा।

अध्याय तेरह

प्रकीर्ण

अध्यापन पदों का सृजन और इसे भरा जाना

60–अध्यापन पदों का सृजन और इसे भरा जाना–

(1) विश्वविद्यालयों में अध्यापन पद, जहां तक संभाव्य हो, पिरामिड क्रम मे अधिनियम की धारा 29 (1)(क) में अन्तर्विष्ट उपबधों के अनुसार सृजित किए जा सकते हैं, उदाहरण के लिए, आचार्य के एक पद के लिए, प्रति विभाग सह–आचार्य के दो पद और सहायक आचार्य के चार पद होंगे।

(2) विश्वविद्यालय प्रणाली में समस्त स्वीकृत/अनुमोदित पद तत्काल आधार पर भरे जाएंगे।

वर्क–लोड

61–वर्क–लोड–

(1) शिक्षकों का वर्क– लोड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार होगा।

अन्य उपबंध

62–अन्य उपबंध

इस परिनियमावली में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अन्य उपबंध, जो इस परिनियमावली द्वारा आच्छादित नहीं है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता) के सुसंगत उपबंधों द्वारा शासित होंगे।

अध्याय चौदह

विश्वविद्यालय के मृतक कर्मचारियों के आश्रित का नियोजन

63–विश्वविद्यालय के मृतक कर्मचारियों के आश्रित का नियोजन

यदि सेवा में रहते हुए किसी स्थायी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और यथास्थितति पत्नी या पति, जो पहले से ही केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी बोर्ड या निगम के अधीन नियोजित नही है या राज्य सरकार (जिसमें विश्वविद्यालय सम्मिलित है) उसके परिवार के किसी सदस्य, जो पहले से ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार (जिसमें विश्वविद्यालय सम्मिलित है) के अधीन नियोजित नहीं है, को श्रेणी तृतीय या श्रेणी चतुर्थ की सीधी भर्ती के रिक्त गैर–अध्यापन पद के लिए चयन की प्रक्रिया और अधिकतम आयु–सीमा, में छूट के लिये विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कर सकता है, परन्तु यह कि वह कर्मचारी की मृत्यु के दिनांक से 5 वर्ष के भीतर आवेदन करता हो और ऐसे रिक्त गैर–अध्यापन पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता धारित करता हो।

(1) 'आश्रित' का तात्पर्य मृतक का पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री, विधवा या विधुर से है;

(2) कर्मचारी के अन्तर्गत संस्था में नियोजित अध्यापक/गैर अध्यापन कर्मचारिवृंद में सम्मिलित है।

परिभाषाएं

अध्याय पन्द्रह

64–जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, उप परिनियमावली में,–

(1) 'परीक्षक' का तात्पर्य परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश से है।

(2) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(3) 'विश्वविद्यालय के अधिकारी' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (ग) से (ज) तक में किसी उल्लिखित अधिकारी से है।

65-(1) किसी भी ऐसे मामले में जिसमे परीक्षक की राय हो कि किसी अधिकारी की उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति को हानि, अपव्यय या दुरुपयोग जिसके अन्तर्गत दुर्विनियोग या अनुचित व्यय भी है, हुआ है तो वह अधिकारी से लिखित रूप में स्पष्टीकरण देने के लिये कह सकता है कि क्यों न ऐसे अधिकारी पर, ऐसी धनराशि की हानि, धन के अपव्यय या दुरुपयोग के लिये या ऐसी धनराशि के लिये जो सम्पत्ति को हानि, अपवयय या दुरुपयोग के बराबर हो, अधिभार लगाया जाये, और ऐसा स्पष्टीकरण सम्बद्ध व्यक्ति को ऐसे अध्यपेक्षा के संसूचित किये जाने के दिनांक से दो मास से अनधिक अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा। अधिभार

परन्तु यह कि कुलपति से भिन्न किसी भी अधिकारी से स्पष्टीकरण कुलपति के माध्यम से मांगा जायेगा।

टिप्पणी :-(1) परीक्षक द्वारा या इस प्रयोजन के लिये उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रारम्भिक जांच के लिये अपेक्षित कोई सूचना और समस्त संबंधित पत्रादि और अभिलेख अधिकारी द्वारा या (यदि ऐसी सूचना, पत्रादि या अभिलेख उक्त अधिकारी से भिन्न व्यक्ति के कब्जे मे हो, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा) किसी भी स्थिति में दो सप्ताह से अनधिक युक्तियुक्त समय के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा और दिखाया जायेगा।

(2) खण्ड (1) में दिये गये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परीक्षक निम्नलिखित मामलों में स्पष्टीकरण मांग सकता है-

(क) जहाँ व्यय इस परिनियमावली के या अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये अध्यादेशों या विनियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया है;

(ख) जहाँ हानि पर्याप्त अभिलिखित कारणों के बिना कोई उच्च टेंडर स्वीकार करने से हुयी हो;

(ग) जहाँ विश्वविद्यालय को देय किसी धनराशि का परिहार इस परिनियमावली के या अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये अध्यादेशों या विनियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया हो;

(घ) जहाँ विश्वविद्यालय को अपने देयों को वसूल करने में उपेक्षा के कारण हानि हुयी हो; जहाँ विश्वविद्यालय की निधि या सम्पत्ति को ऐसे धन या सम्पत्ति को अभिरक्षा के लिये युक्तियुक्त सावधानी न बरतने के कारण हानि हुयी हो ।

(3) उस अधिकारी को जिससे स्पष्टीकरण मांगा गया हो, लिखित अध्यापेक्षा पर विश्वविद्यालय उसे सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये अध्यापक सुविधाएं देगा। परीक्षक, सम्बद्ध अधिकारी के आवेदन-पत्र पर, उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिये समय को युक्तियुक्त अवधि तक बढ़ा सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि आरोपित अधिकारी अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिये सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण अपने नियंत्रण से परे कारणों से नहीं कर सका।

स्पष्टीकरण: अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों का उल्लघन करके कोई नियुक्ति करने का अवचार करना समझा जायेगा और ऐसी अनियमित नियुक्ति के कारण सम्बद्ध व्यक्ति की वेतन या अन्य देयों का भुगतान विश्वविद्यालय के धन को हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग समझा जायेगा।

विहित अवधि को समाप्ति के पश्चात और स्पष्टीकरण पर, यदि समय के भीतर प्राप्त हो, अवचार करने के पश्चात, परीक्षक अधिकारी पर सम्पूर्ण धनराशि या उसके किसी भाग के लिये, जिसके लिए ऐसा अधिकारी उसकी राय में उत्तरदायी हो, अधिभार लगा सकता है:

परन्तु यह कि यदि दो या अधिक अधिकारियों की उपेक्षा या अवचार के परिणामस्वरूप हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग हो तो प्रत्येक ऐसा अधिकारी संयवन और प्रथक्तः देनदार होगा:

परन्तु यह भी कि कोई अधिकारी किसी ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के दिनांक से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात या उसके ऐसा अधिकारी न रह जाने के दिनांक से छः वर्ष की समाप्ति के पश्चात, इसमें जो पश्चातवर्ती हो, किसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी न होगा।

अधिभार आदेश के विरुद्ध अपील

66—परीक्षक द्वारा दिये गये अधिभार के आदेश से व्यथित अधिकारी, उस मंडल के आयुक्त को जिसमें विश्वविद्यालय स्थित हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है। आयुक्त परीक्षक द्वारा दिये गये आदेश को पुष्ट, विखंडित या परिवर्तित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे। इस प्रकार दिया गया आदेश अन्तिम होगा और इसके विरुद्ध कोई अपील न हो सकेगी।

अधिभार का भुगतान

67—(1) अधिकारी जिस पर अधिभार लगाया गया हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर या ऐसे अग्रसर समय के भीतर जो उक्त दिनांक से एक वर्ष से अधिक न हो जैसा परीक्षक द्वारा अनुमति दी जाये, अधिभार की धनराशि का भुगतान करेगा:

परन्तु यह कि यदि परीक्षक द्वारा दिये गये अधिभार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत की गयी हो तो अपील प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से धनराशि की वसूली के लिये समस्त कार्यवाहियां आयुक्त द्वारा रोकी जा सकती हैं जब तक कि अपील का अन्तिम रुप से विनिश्चय न हो जाये।

(2) यदि अधिभार को धनराशि का भुगतान खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो व भू—राजस्व के बकाया के रुप में वसूल किये जाने योग्य होगी।

अधिभार आदेश के विरुद्ध वाद

68—जहाँ अधिभार के किसी आदेश पर आपत्ति करने के लिये किसी न्यायालय में कोई वाद, संस्थित किया जाये और ऐसे वाद में परीक्षक या राज्य सरकार प्रतिवादी हो, वहां वाद का प्रतिवाद करने में उपगंत समस्त खर्च का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा और विश्वविद्यालय का यह कर्तव्य होगा कि वह इसका भुगतान बिना किसी विलम्ब से करे।

69—विश्वविद्यालय के ऐसे समस्त विद्यमान परिनियम और ऐसे समस्त अध्यादेश जो इस परिनियमावली से असंगत हों ऐसी असंगति की सीमा तक विखंडित किये जाते है और तत्काल प्रभावहीन हो जायेंगे, सिवाय उन बातों के सम्बंध में, जो ऐसे निरस्तीकरण के पूर्व की गई हो या की जाने से छूट गई हों।

परिशिष्ट 'क'

अध्याय– नौ

विश्वविद्यालय के अध्यापन कर्मचारिवृंद के सदस्यों के साथ करार–प्रपत्र

विश्वविद्यालय के अध्यापन कर्मचारिवृंद के सदस्यों के साथ करार–प्रपत्र

यह करार आज दिनांक .... को श्री.. प्रथम पक्ष तथा .... विश्वविद्यालय (जिसे आगे विश्वविद्यालय कहा गया है) दूसरे पक्ष के मध्य किया गया।

एतद्द्वारा निम्नलिखित करार किया जाता है–

1–विश्वविद्यालय, एतद्द्वारा, श्री/श्रीमती/कुमारी .... को दिनांक .... से जब प्रथम पक्ष का पक्षकार अपने पद के कर्तव्यों का कार्य भार ग्रहण करता है, विश्वविद्यालय का अध्यापक नियुक्त करता है, और प्रथम पक्ष का पक्षकार एतद्द्वारा नियुक्त स्वीकार करता है, और विश्वविद्यालय के ऐसे कार्यों में भाग लेने तथा कर्तव्यों का पालन करने का वचन देता है जिनकी उससे उपेक्षा की जाये, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय की सम्पत्ति या निधियों का प्रबन्ध और संरक्षण शिक्षण का संगठन, औपचारिक या अनौपचारिक अध्यापन और छात्रों का परीक्षण, अनुशासन बनाये रखने और किसी पाठ्यचर्या या नैवासिक कार्य–कलाप के सम्बन्ध में छात्र–कल्याण को प्रोन्नति और विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य पाठ्यचर्यातिरिक्त कर्तव्यों का पालन करना भी है जो उसे सौंपे जाये तथा ऐसे अधिकारियों की अधीनता स्वीकार करता हूँ जिनके अधीन वह विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा तत्सम रखा जाये और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित, अध्यापकों की आचरण संहिता का, जैसा कि समय–समय पर उसे संशोधित किया जाये, पालन करेगा और उसके अनुरुप चलेगा:

परन्तु अध्यापक, प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा और कार्य परिषद स्वविवेकानुसार परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिये बढ़ा सकती है।

2–प्रथम पक्ष का पक्षकार विश्वविद्यालय के परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवानिवृत्त होगा।

3–अध्यापक के पद का, जिस पर प्रथम पक्ष का पक्षकार नियुक्त किया गया है, वेतनमान.................... होगा। प्रथम पक्ष के पक्षकार को उस दिनांक से जब वे अपने उक्त कर्तव्यों का भार ग्रहण करता है, उपर्युक्त वेतनमान.... में रूपया प्रतिमास की दर से वेतनमान दिया जायेगा और वह, जब तक कि परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वार्षिक वेतन–वृद्धि रोकी नहीं जाती है, अनुवर्ती प्रक्रमों पर वेतन प्राप्त करेगा:

परन्तु जहां समयमान में कोई दक्षता रोक विहित है, वहां दक्षता रोक के ऊपर अगली वेतन वृद्धि प्रथम पक्ष के पक्षकार को वेतन वृद्धि रोकने के लिये सशक्त प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं दी जायेगी।

4–प्रथम पक्ष का पक्षकार विश्वविद्यालय के किसी ऐसे अधिकार, प्राधिकारी या निकाय के, जिसकी प्राधिकारिता के अधीन वह, जब यह करार प्रवृत्त हो, उक्त अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किन्हीं परिनियमों के अधीन हो, विधिपूर्ण निदेशों का पालन करेगा और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से उन्हें कार्यान्वित करेगा।

5–प्रथम पक्ष का पक्षकार एतद्द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यापकों की आचरण संहिता का जैसा कि समय–समय पर उसे संशोधित किया जाये, पालन करने और उसके अनुरुप चलने का वचन देता है।

6–किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति पर प्रथम पक्ष का पक्षकार विश्वविद्यालय की समस्त पुस्तकें, साधित्र, अभिलेख और अन्य वस्तुएं जो उसके कब्जे में हों, विश्वविद्यालय को दे देगा।

7–समस्त मामलों में, इन पक्षकारों के आपसी अधिकार और दायित्व तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा उन्हें इसमें समाविष्ट और उसी प्रकार से इस करार का भाग समझा जायेगा मानों वे इसमें प्रत्युत्पादित किये गये हों और भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2022 के उपबंधों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

जिसके साक्ष्य में इन पक्षकारों में प्रथम उपरलिखित दिनांक तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये और मुहर लगायी।

अध्यापक के हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले वित्त अधिकारी के हस्ताक्षर

साक्षी

1............................

2............................

परिशिष्ट 'ख'
अध्यापकों के लिये आचरण संहिता

चूंकि जो अध्यापक अपने उत्तरदायित्व के प्रति तथा युवकों के चरित्र निर्माण एवं ज्ञान बौद्धिक स्वतंत्रता और सामाजिक प्रगति को अग्रसर करने के संबंध में जो विश्वास उसमें निहित किया गया है उसके प्रति जागरुक है, उस अध्यापक से इस बात का अनुभव करने की आशा की जाती है कि वह नैतिकता सम्बन्धी नेतृत्व की अपनी भूमिका निर्वाह, समर्पण, नैतिक निष्ठा तथा मन, वचन एवं कर्म मे पवित्रता की भावना से ओत–प्रोत रहकर उपदेश की उपेक्षा आचरण द्वारा आधिक कर सकता है;

अतएव, अब उसकी वृत्ति की गरिमा के अनुरुप यह आचरण संहिता बनायी जाती है कि इसका पालन व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक दोनों प्रकार के आचरण में वस्तुतः निष्ठापूर्वक किया जाये:–

(1) प्रत्येक अध्यापक अपने शैक्षिक कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा एवं कर्तव्य परायणता से करेगा।

(2) कोई भी अध्यापक छात्रों का अभिनिर्धारण करने में न तो कोई पक्षपात या पूर्वाग्रह प्रदर्शित करेगा न उन्हें उत्पीड़ित करेगा।

(3) कोई भी अध्यापक किसी छात्र को अन्य छात्र के विरुद्ध अपने साथ या विश्वविद्यालय के विरुद्व नहीं उत्तेजित करेगा।

(4) कोई भी अध्यापक जाति, मत, पंथ, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता व भाषा के आधार पर शिष्यों में भेदभाव न करेगा। वह अपने साथियों, अधीनस्थ व्यक्तियों तथा छात्रों में भी ऐसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करेगा और अपने भविष्य की उन्नति के लिये उपर्युक्त विचारों का प्रयोग करने की चेष्टा नहीं करेगा।

(5) कोई भी अध्यापक, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के समुचित निकायों तथा कृत्यकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने में इन्कार नहीं करेगा।

(6) कोई भी अध्यापक, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के कार्यकलाप से सम्बन्धित कोई गोपनीय सूचना किसी ऐसे व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा जो उसके सम्बंध में प्राधिकृत न हो।

(7) कोई भी अध्यापक अन्य कोई रोजगार अंशकालिक गृहशिक्षण (ट्यूशन) तथा कोचिंग कक्षायें नहीं चलायेगा।

(8) कक्षा शिक्षण अवधि के उपरान्त भी छात्रों को आवश्यक सहायता और मार्ग दर्शन प्रदान करने के लिए बिना किसी पारिश्रमिक के उपलब्ध रहेंगे।

(9) शैक्षिक कार्यक्रम पूरा कराने की दृष्टि से कोई भी अध्यापक जहाँ तक सम्भव हो पूर्व अनुमति से अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अवकाश लेगा।

(10) निरन्तर अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण द्वारा अपनी शैक्षिक उपलब्धियों का विकास करता रहेगा।

(11) यथास्थिति विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय के शैक्षिक उत्तरदायित्व यथा प्रवेश, छात्रों को परामर्श एवं सहायता, परीक्षा संचालन, निरीक्षण, परिप्रेक्ष्य, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा पाठ्य एवं पाठ्येत्तर गतिविधियों में सहयोग प्रदान करेगा।

(12) लोकतंत्र देश भक्ति और शान्ति के आदर्शों के अनुरूप छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा शारीरिक श्रम के प्रति आदर भाव उत्पन्न करेगा।

आज्ञा से,
मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव।

35 RPH 2025 (Sanskriti Anubhg) Data 8e